

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की सभीका बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक - 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा- 5, 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा - 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत् संचालित होगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च, 2020 के पश्चात् संचालित होगी।

इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड सम्बन्धी एवं शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(सौरभ रवाती)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 14.03.2020

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / मा-स / विविध दिवस / 2018 / 198

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
8. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. उप निदेशक (खेलकुद अनुभाग), कार्यालय हाजा।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक / प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाधार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
16. प्रधानाधार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. प्रधानाधार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / मा-द / मगा / अंग्रेजी माध्यम / प्रवेश / 2019-20 / ३७९

दिनांक: १४.०३.२०

संशोधित सूचना

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.02.2020 द्वारा जिला मुख्यालयों पर सत्र: 2019-20 में स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में सत्र: 2020-21 हेतु नवीन प्रवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 के लिये लॉटरी निकालने की तिथि 19.03.2020 निर्धारित की गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में दिनांक 30 मार्च 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहने के निर्देश जारी किये गये थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 17.03.2020 के अनुसार एक स्थान पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर दिनांक 31.03.2020 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में सत्र: 2020-21 हेतु नवीन प्रवेश कार्यक्रम में कक्षा 1 के लिये लॉटरी निकालने की तिथि तथा अन्य आगामी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित समय-सारणी को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। नवीन समय सारणी के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा यथासमय पृथक से सूचना प्रदान की जाएगी।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, सरकार।
2. निजी संचिव, शासन संचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक शिक्षा।
7. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/211

दिनांक : 18.03.2020

समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान।

विषय :- समस्त राजकीय विद्यालयों में दिनांक : 30 मार्च, 2020 तक विद्यार्थियों के अवकाश के दौरान शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की विद्यालय में उपस्थिति एवं लम्बित करणीय कार्य सम्पादन की सुनिश्चितता बाबत।

प्रसंग :- शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक : 14.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको भली प्रकार विदित है कि कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित सतर्कता के दृष्टिगत प्रासंगिक आदेश द्वारा समस्त प्रकार के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/कोचिंग संस्थान/मदरसे/अन्य प्रकार के शिक्षण संस्थान में आगामी 30 मार्च, 2020 तक विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जा चुका है। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त अवधि में कक्षा-5, 8 की परीक्षाएँ एवं कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होंगी एवं उक्त अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ आवश्यक एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। शिक्षक स्टाफ रूम का उपयोग करते हुए परस्पर आवश्यक दूरी यथा सम्पव बनाए रखें, मास्क एवं सेनिटाइजर आदि का उपयोग करें। सभी शिक्षक/कार्मिक भीड़-भाड़ से बचे, बोर्ड परीक्षा संग्रहण-वितरण केन्द्र तथा अन्य स्थान जहां एकत्र होना है कोरोना वायरस के बचाव हेतु जारी गाइड लाइन का ध्यान रखा जाए।

उपर्युक्त पूर्व प्रदत्त निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु आपको पाबंद करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों के अवकाश की उक्त अवधि के दौरान शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की उपस्थिति विद्यालय में निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रेषित कार्यों तथा विद्यालय की रथानीय एवं तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यवाही सम्पादन की सुनिश्चितता करावें।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना में कोताही/अवज्ञा बरतने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल सक्षम स्तर पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित जिशिअ (मु.), -माध्यमिक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से दल गठन कर समुचित मोनिटरिंग एवं प्रबोधन की कार्यवाही करेंगे तथा अवहेलना करने वाले शिक्षकों/कार्मिकों के विरुद्ध प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा प्रति दिवस सम्बन्धित PEEO रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे एवं सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक से उक्त सूचना प्राप्त कर संकलित करेंगे तथा जिला प्रभारी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

समस्त शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं की रुधि की एक पुस्तक का अध्ययन कर उसकी समीक्षा करेंगे एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम इस "पुस्तक समीक्षा" को निदेशालय के "शिविरा प्रकाशन अनुभाग" को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक शिक्षक से प्राप्त एक पुस्तक समीक्षा के संकलन में से चयनित समीक्षा का प्रकाशन विभागीय पत्रिका - "शिविरा" में समीक्षोपरान्त किया जा सकेगा। शिक्षकों से प्राप्त इन समीक्षाओं में से प्रत्येक जिले की तीन सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा करने वाले तीन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय के पुस्तकालय का अथवा किसी अन्य स्त्रोत से समीक्षा हेतु पुस्तक का चयन किया जा सकता है।

संलग्न:-यथोपरि।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (सचिव प्रभारी) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
- समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु प्रभावी

प्रबोधन हेतु।

8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि जिला क्षेत्राधिकार में सतत क्षेत्र परिप्रेमण द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
9. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उनके पत्र दिनांक : 17.03.2020 के कम में लेख है कि राज्य स्तरीय परीक्षाएं (कक्षा-5,8, 10 एवं 12 की परीक्षाएं) यथावत संचालित हैं। अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान रखते हुए पर्याप्त ऐहतियात बरतते हुए सक्षम स्तर पर अनुमति प्राप्त कर ही आवश्यक परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक / प्रारम्भिक को सतत क्षेत्र परिप्रेमण द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण एवं विद्यालय अवलोकन द्वारा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे एवं अवहेलना की स्थिति में तत्काल सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करावे।
13. प्रधानाधार्य— सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर/राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
14. प्रधानाधार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—समस्त को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक समस्त छात्राध्यापकों का अवकाश रखते हुए उल्लेखित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
15. समस्त जिला प्रभारी, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशानुरूप प्रभारित जिले की रिपोर्ट प्रति दिवस कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करेंगे।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा। 17. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा, कार्यालय हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

६६
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

आगामी 30 मार्च तक विद्यार्थियों के अवकाश की अवधि के दौरान शिक्षक/स्टाफ द्वारा मुख्य करणीय कार्य

- 1) विद्यालय में वृक्षों रोपण कार्यक्रम के तहत लगाए गए वृक्षों की देखभाल तथा आवश्यकतानुसार किचन गार्डन/पौधारोपण की कार्यवाही करना।
- 2) विद्यालय में भण्डार के स्टॉक रजिस्टर का आवश्यक रूप से भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य।
- 3) स्टाफ की सेवा पुस्तिका का पूर्ण संधारण/अपडेशन यथा— सेवा प्रमाणीकरण, एसीपी/अवकाश अन्य प्रकरणों की जांच की कार्यवाही उपरान्त कार्मिकों को अवलोकन करवाया जाना।
- 4) पौषाहार स्टॉक रजिस्टर व कैश बुक जांच/पूर्ण करवाने की कार्यवाही करना।
- 5) विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में आवश्यक जांच/अपडेशन सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- 6) शाला दर्पण पर विभिन्न प्रपत्रों/सूचनाओं(तृतीय टेस्ट अपडेशन/एसआईक्यूई/सत्रांक) की जांच/अपडेशन की कार्यवाही करना।
- 7) उपलब्ध रिकार्ड को सूचीबद्ध कर कुंजी पंजिका का निर्माण करना।
- 8) कैश बुक व बैंक अकाउंट की जांच कर कैश बुक में जांच का प्रमाण पत्र अंकन की कार्यवाही करना।
- 9) पै-मैनेजर पर कार्मिक सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना अपडेशन (परिवार सदस्य/फोटो/अंगूठा चिन्ह आदि)।
- 10) विद्यार्थियों के प्रवेश फोर्म के आधार पर एस.आर. रजिस्टर का अपडेशन।
- 11) जीपीएफ, एसआई एवं एनपीएस की पास बुकों में कटौतियों का इन्द्राज कर सम्बन्धित कार्मिकों को अवलोकन करवाने की कार्यवाही करना।
- 12) शाला दर्पण के प्रपत्र — 10 में कार्मिकों की प्रविष्टियों/छायाचित्र आदि का मिलान कर पूर्ण करने की कार्यवाही करना।
- 13) विभिन्न प्रयोगशालाओं/पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन व नकारा समान के सूचीबद्ध कर आगामी कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार करना।
- 14) कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं कार्यक्रमों को अद्यतन करना आगामी सत्र हेतु तैयारी करना।
- 15) छात्रवृत्ति सम्बन्धी किए गए कार्य की समीक्षा करना तथा आगामी सत्र हेतु पूर्व तैयारी करना।
- 16) विभिन्न पोर्टल — यथा — शाला सिद्धि, शगुन आदि की प्रविष्टियां सुनिश्चित करना।
- 17) शिक्षकों के द्वारा इस अवधि में एम.एच.आर.डी. के "Swayam portal" में पंजीकृत होकर स्वयं से सम्बन्धित पाठ्यक्रम से सम्बद्ध होकर आगामी कार्यवाही हेतु तैयार होना।
- 18) विद्यालय के खेल-कूद, एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. रिकार्ड एवं कैश बुक का संधारण/भौतिक सत्यापन करना।
- 19) विद्यालय के भौतिक विकास हेतु भासाशाह व पूर्व विद्यार्थियों से सम्पर्क कर रजिस्टर तैयार कर विद्यालय के विकास हेतु कार्य योजना बनाना।
- 20) विद्यालय के विभिन्न नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट अद्यतन करवाना।
- 21) पुस्तकालय में शिक्षकों के विषय एवं रुचि की पुस्तकों को चिन्हित/सूचीबद्ध करना एवं अध्ययन करना।
- 22) विषय से सम्बन्धित पाठ्य सहगामी सामग्री/ई-कूनटेन्ट तैयार करना।
- 23) सत्र भर में विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर समीक्षा कर आगामी सुधार हेतु रूपरेखा/योजना तैयार करना।
- 24) विद्यालय में सत्र भर में किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए सुझाव एवं निर्देशों की पालना की समीक्षा कर शेष रहे निर्देशों की पालना करना।
- 25) नकारा समान से भरे कक्षों को खाली कराने हेतु नकारा सामग्री को सूची बद्ध कर निलामी हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करना।
- 26) सत्र भर आहरण एवं वितरण रजिस्टर का ऑन लाइन बिलों से मिलान एवं पै-पोस्टिंग रजिस्टर में इन्द्राज की कार्यवाही की जांच करवाना।
- 27) विद्यालय में बकाया आक्षेपों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करना।
- 28) विद्यार्थियों हेतु वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख तथा शिक्षकों हेतु T.A.F. (शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र) भरना/भरवाना सुनिश्चित करना।


राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 17.03.2020


आदेश

COVID-19 के संक्षण से उत्पन्न रिथिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्षण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाड़े, पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
12. निजी / रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार) 17.3.2020
शासन उप सचिव

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/211

दिनांक : 18.03.2020

समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान।

विषय :- समस्त राजकीय विद्यालयों में दिनांक : 30 मार्च, 2020 तक विद्यार्थियों के अवकाश के दौरान शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की विद्यालय में उपस्थिति एवं लम्बित करणीय कार्य सम्पादन की सुनिश्चितता बाबत।

प्रसंग :- शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक : 14.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको भली प्रकार विदित है कि कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित सतर्कता के दृष्टिगत प्रासंगिक आदेश द्वारा समस्त प्रकार के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/कोचिंग संस्थान/मदरसे/अन्य प्रकार के शिक्षण संस्थान में आगामी 30 मार्च, 2020 तक विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जा चुका है। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त अवधि में कक्षा-5, 8 की परीक्षाएँ एवं कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होंगी एवं उक्त अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ आवश्यक एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। शिक्षक स्टाफ रूम का उपयोग करते हुए परस्पर आवश्यक दूरी यथा सम्पव बनाए रखें, मास्क एवं सेनिटाइजर आदि का उपयोग करें। सभी शिक्षक/कार्मिक भीड़-भाड़ से बचे, बोर्ड परीक्षा संग्रहण-वितरण केन्द्र तथा अन्य स्थान जहां एकत्र होना है कोरोना वायरस के बचाव हेतु जारी गाइड लाइन का ध्यान रखा जाए।

उपर्युक्त पूर्व प्रदत्त निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु आपको पाबंद करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों के अवकाश की उक्त अवधि के दौरान शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की उपस्थिति विद्यालय में निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रेषित कार्यों तथा विद्यालय की रथानीय एवं तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यवाही सम्पादन की सुनिश्चितता करावें।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना में कोताही/अवज्ञा बरतने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल सक्षम स्तर पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित जिशिअ (मु.), -माध्यमिक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से दल गठन कर समुचित मोनिटरिंग एवं प्रबोधन की कार्यवाही करेंगे तथा अवहेलना करने वाले शिक्षकों/कार्मिकों के विरुद्ध प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा प्रति दिवस सम्बन्धित PEEO रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे एवं सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक से उक्त सूचना प्राप्त कर संकलित करेंगे तथा जिला प्रभारी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

समस्त शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं की रुधि की एक पुस्तक का अध्ययन कर उसकी समीक्षा करेंगे एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम इस "पुस्तक समीक्षा" को निदेशालय के "शिविरा प्रकाशन अनुभाग" को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक शिक्षक से प्राप्त एक पुस्तक समीक्षा के संकलन में से चयनित समीक्षा का प्रकाशन विभागीय पत्रिका - "शिविरा" में समीक्षोपरान्त किया जा सकेगा। शिक्षकों से प्राप्त इन समीक्षाओं में से प्रत्येक जिले की तीन सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा करने वाले तीन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय के पुस्तकालय का अथवा किसी अन्य स्त्रोत से समीक्षा हेतु पुस्तक का चयन किया जा सकता है।

संलग्न:-यथोपरि।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (सचिव प्रभारी) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु प्रभावी

प्रबोधन हेतु।

8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि जिला क्षेत्राधिकार में सतत क्षेत्र परिप्रेमण द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
9. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उनके पत्र दिनांक : 17.03.2020 के कम में लेख है कि राज्य स्तरीय परीक्षाएं (कक्षा-5,8, 10 एवं 12 की परीक्षाएं) यथावत संचालित हैं। अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान रखते हुए पर्याप्त ऐहतियात बरतते हुए सक्षम स्तर पर अनुमति प्राप्त कर ही आवश्यक परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक / प्रारम्भिक को सतत क्षेत्र परिप्रेमण द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण एवं विद्यालय अवलोकन द्वारा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे एवं अवहेलना की स्थिति में तत्काल सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करावे।
13. प्रधानाधार्य— सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर/राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
14. प्रधानाधार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—समस्त को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक समस्त छात्राध्यापकों का अवकाश रखते हुए उल्लेखित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
15. समस्त जिला प्रभारी, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशानुरूप प्रभारित जिले की रिपोर्ट प्रति दिवस कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करेंगे।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा। 17. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा, कार्यालय हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

६६
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

आगामी 30 मार्च तक विद्यार्थियों के अवकाश की अवधि के दौरान शिक्षक/स्टाफ द्वारा मुख्य करणीय कार्य

- 1) विद्यालय में वृक्षों रोपण कार्यक्रम के तहत लगाए गए वृक्षों की देखभाल तथा आवश्यकतानुसार किचन गार्डन/पौधारोपण की कार्यवाही करना।
- 2) विद्यालय में भण्डार के स्टॉक रजिस्टर का आवश्यक रूप से भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य।
- 3) स्टाफ की सेवा पुस्तिका का पूर्ण संधारण/अपडेशन यथा— सेवा प्रमाणीकरण, एसीपी/अवकाश अन्य प्रकरणों की जांच की कार्यवाही उपरान्त कार्मिकों को अवलोकन करवाया जाना।
- 4) पौषाहार स्टॉक रजिस्टर व कैश बुक जांच/पूर्ण करवाने की कार्यवाही करना।
- 5) विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में आवश्यक जांच/अपडेशन सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- 6) शाला दर्पण पर विभिन्न प्रपत्रों/सूचनाओं(तृतीय टेस्ट अपडेशन/एसआईक्यूई/सत्रांक) की जांच/अपडेशन की कार्यवाही करना।
- 7) उपलब्ध रिकार्ड को सूचीबद्ध कर कुंजी पंजिका का निर्माण करना।
- 8) कैश बुक व बैंक अकाउंट की जांच कर कैश बुक में जांच का प्रमाण पत्र अंकन की कार्यवाही करना।
- 9) पै-मैनेजर पर कार्मिक सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना अपडेशन (परिवार सदस्य/फोटो/अंगूठा चिन्ह आदि)।
- 10) विद्यार्थियों के प्रवेश फोर्म के आधार पर एस.आर. रजिस्टर का अपडेशन।
- 11) जीपीएफ, एसआई एवं एनपीएस की पास बुकों में कटौतियों का इन्द्राज कर सम्बन्धित कार्मिकों को अवलोकन करवाने की कार्यवाही करना।
- 12) शाला दर्पण के प्रपत्र — 10 में कार्मिकों की प्रविष्टियों/छायाचित्र आदि का मिलान कर पूर्ण करने की कार्यवाही करना।
- 13) विभिन्न प्रयोगशालाओं/पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन व नकारा समान के सूचीबद्ध कर आगामी कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार करना।
- 14) कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं कार्यक्रमों को अद्यतन करना आगामी सत्र हेतु तैयारी करना।
- 15) छात्रवृत्ति सम्बन्धी किए गए कार्य की समीक्षा करना तथा आगामी सत्र हेतु पूर्व तैयारी करना।
- 16) विभिन्न पोर्टल — यथा — शाला सिद्धि, शगुन आदि की प्रविष्टियां सुनिश्चित करना।
- 17) शिक्षकों के द्वारा इस अवधि में एम.एच.आर.डी. के "Swayam portal" में पंजीकृत होकर स्वयं से सम्बन्धित पाठ्यक्रम से सम्बद्ध होकर आगामी कार्यवाही हेतु तैयार होना।
- 18) विद्यालय के खेल-कूद, एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. रिकार्ड एवं कैश बुक का संधारण/भौतिक सत्यापन करना।
- 19) विद्यालय के भौतिक विकास हेतु भासाशाह व पूर्व विद्यार्थियों से सम्पर्क कर रजिस्टर तैयार कर विद्यालय के विकास हेतु कार्य योजना बनाना।
- 20) विद्यालय के विभिन्न नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट अद्यतन करवाना।
- 21) पुस्तकालय में शिक्षकों के विषय एवं रुचि की पुस्तकों को चिन्हित/सूचीबद्ध करना एवं अध्ययन करना।
- 22) विषय से सम्बन्धित पाठ्य सहगामी सामग्री/ई-कूनटेन्ट तैयार करना।
- 23) सत्र भर में विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर समीक्षा कर आगामी सुधार हेतु रूपरेखा/योजना तैयार करना।
- 24) विद्यालय में सत्र भर में किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए सुझाव एवं निर्देशों की पालना की समीक्षा कर शेष रहे निर्देशों की पालना करना।
- 25) नकारा समान से भरे कक्षों को खाली कराने हेतु नकारा सामग्री को सूची बद्ध कर निलामी हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करना।
- 26) सत्र भर आहरण एवं वितरण रजिस्टर का ऑन लाइन बिलों से मिलान एवं पै-पोस्टिंग रजिस्टर में इन्द्राज की कार्यवाही की जांच करवाना।
- 27) विद्यालय में बकाया आक्षेपों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करना।
- 28) विद्यार्थियों हेतु वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख तथा शिक्षकों हेतु T.A.F. (शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र) भरना/भरवाना सुनिश्चित करना।


राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 17.03.2020


आदेश

COVID-19 के संक्षण से उत्पन्न रिथिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्षण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाड़े, पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
12. निजी / रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार) 17.3.2020
शासन उप सचिव



कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,
Email : panjliyak8ppp@gmail.com राजस्थान, बीकानेर Ph. : 0151-2226570

—:आदेश:—

'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020' एवं 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020' को अन्य आगामी आदेश तक के लिए रखगित किया जाता है। उक्त परीक्षा एवं मूल्यांकन की नवीन तिथियां यथावश्यकता बाद में पृथक से लिखित आदेश द्वारा घोषित की जावेंगी।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / प्राशि / पंविप / 5वीं-8वीं / विशेष / 2020

दिनांक: 19.3.2020

प्रतिलिपि:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की सेवा में शासन स्तर से अनुमोदनार्थ।
- आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
- निदेशक, संरकृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
- सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर।
- सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, समस्त।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- प्रधानाचार्य, डाईट, समस्त।


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



क्रमांक: परीक्षा-॥ AD/ 19574

दिनांक 19.03.2020.

—: आदेश :—

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित वर्ष 2020 हेतु कक्षा-10 वीं एवं कक्षा-12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षाओं की नवीन तिथियां बाद में पृथक से समाचार पत्रों/विज्ञप्ति द्वारा सूचित की जाएँगी।

(W.Sum/19/3/2020)
मेघना चौधरी
सचिव

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ

1. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा राज्यमन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक.....।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा).....।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय(मा.).....।
9. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय।
10. रक्षित पत्रावली।

(Dr. Meghna Chaudhary)
विशेषाधिकारी(परीक्षा)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) कोटा
क्रमांक : ३२१० दिनांक : २०/३/२०२०


कार्यालय—आदेश

कोटा जिले के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, निजी विद्यालय, मदरसे, संस्कृत शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं छात्रावास के संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर क्रमांक एस्टे/डीईएस/विविध/५२/२०१९-२०/३५७७ दिनांक १९.३.२०२० की पालना में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यालयों के समस्त स्टॉफ की ५० प्रतिशत उपस्थिति निर्देशित की गई है।

अतः समस्त डीडीओ अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के लिए वैकल्पिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लिए एक कार्य दिवस पर ५० प्रतिशत स्टॉफ की उपस्थिति तथा अगले कार्य दिवस पर शेष ५० प्रतिशत स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आदेशित करें।

ऐसा स्टॉफ जो किसी कार्य दिवस में घर पर है वह संबंधित विद्यालय/संस्था प्रधान के सम्पर्क में रहकर आवश्यकता पड़ने पर कार्य हेतु तत्पर रहेगा। तथा किसी भी आवश्यकता के समय संबंधित कार्मिक को विद्यालय में उपस्थित होने बाबत् पाबन्द किया जा सकता है। उक्त आदेश की पालना समस्त राजकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, निजी विद्यालय, मदरसे, संस्कृत शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं छात्रावास के संस्था प्रधान/अधीक्षक, अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे तथा पालना नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) कोटा



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) कोटा

क्रमांक : ३२१०

दिनांक : २०/३/२०२०

प्रतिलिपि

- श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर।
- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, कोटा।
- श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, कोटा संभाग कोटा।
- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समसा कोटा।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक जिला कोटा।
- समस्त संस्था प्रधान जिला कोटा।
- रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) कोटा


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) कोटा

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक : 14.03.2020 के अनुकम में रपष्ट किया जाता है कि KGBV/समाज कल्याण छात्रावास/TAD छात्रावास एवं शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समरत प्रकार के छात्रावास जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में समिलित होने वाले विद्यार्थी एवं अन्य विद्यार्थी जो इस अवकाश अवधि में छात्रावास में रहने के इच्छुक हैं, उक्त अवधि में छात्रावास में निवास कर सकेंगे। उक्त अवधि में जो छात्र अपने निवास रथान जाना चाहते हैं वे सम्बन्धित छात्रावास वार्डन से अनुमति प्राप्त कर छात्रावास से अपने निवास रथान हेतु प्ररथान कर सकेंगे।

इस अवधि के दौरान छात्रावास स्टाफ (वार्डन एवं अन्य कार्मिक) आवश्यक ऐहतियात वरतते हुए छात्रावास में उपस्थित रहकर छात्रावास में आवासित विद्यार्थियों हेतु संचालित आवश्यक सुविधाएं पूर्व की भाँति यथावत बनाए रखेंगे।

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एन

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 14.03.2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/206

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. उप निदेशक (खेलकुद अनुभाग), कार्यालय हाजा।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) —माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



क्रमांक: परीक्षा-॥ AD/ 19574

दिनांक 19.03.2020.

—: आदेश :—

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित वर्ष 2020 हेतु कक्षा-10 वीं एवं कक्षा-12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षाओं की नवीन तिथियां बाद में पृथक से समाचार पत्रों/विज्ञप्ति द्वारा सूचित की जाएँगी।

(W.Sum/19/3/2020)
मेघना चौधरी
सचिव

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ

1. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा राज्यमन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक.....।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा).....।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय(मा.).....।
9. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय।
10. रक्षित पत्रावली।

(Dr. Meghna Chaudhary)
विशेषाधिकारी(परीक्षा)



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2703544

फैक्स नं: 0141-2701822

क्रमांक:-रास्कूशिप/जय/संस्था-2/विविध पार्ट फाईल/2019-20/11507

दिनांक २०/३/२०२०

कार्यालय आदेश

राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 19.03.2020 द्वारा राज्य के आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त शेष विभागों में आंशिक शट डाउन दिनांक 31.03.2020 तक किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे एवं 50 प्रतिशत कार्मिक घर पर रहेंगे, जो कार्मिक घर पर रहेंगे वे "Work from Home" सुनिश्चित करेंगे। घर से कार्य कर रहे ऐसे कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में कभी भी बुलाया जा सकता है अथवा अन्य कार्य आवंटित किया जा सकता है।

उक्त आदेश के क्रम में परिषद् मुख्यालय के समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन राजकीय कार्य दिवस में अपने स्तर पर प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों में से 50 प्रतिशत को कार्यालय में उपस्थित होने तथा शेष 50 प्रतिशत को "Work from Home" करने हेतु निर्देशित कर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार तुरन्त पालना सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)
 आयुक्त
 रास्कूशिप, जयपुर

दिनांक २०/३/२०२०

क्रमांक:-रास्कूशिप/जय/संस्था-2/विविध पार्ट फाईल/2019-20/11507

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अति, राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय — आदेश

मुख्यमंत्री, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस रिलीज दिनांक : 21.3.2020 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकासपाल एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : प.1(1) विस्ता/ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक : 22.03.2020 के कम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के समस्त कार्यालय, राजकीय / निजी विद्यालय, छात्रावास एवं समस्त अन्य संस्थान दिनांक : 31.03.2020 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्मिक/शिक्षक विना नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्थान/विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

इस अवधि के दौरान सभी कार्यालयों, विद्यालयों/संस्थानों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। अत्यावश्यक कार्यवश ड्यूटी हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों की स्थिति घर से कार्य करने (**Work from Home**) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस अवधि में किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (**Work from Home**) की रहेगी, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। समस्त कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान/कार्मिक उक्तानुसार जिला प्रशासन/नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने—अपने मोबाइल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सअप, ई—मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


दिनांक : 22.03.2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/276

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।

7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–समस्त।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. समस्त पीईईओं/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
19. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक: निसंशि / सामा.प्रशा / 2020 / 12470-75 दिनांक 22.3

दिनांक 22.3.2020

कार्यालय— आदेश

मुख्यमंत्री, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.03.2020 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्थानीय विज्ञान राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं.1(1) चि.स्वा./ ग्रुप-2 / 2020 जयपुर दिनांक 22.03.2020 के कम में संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के समस्त संस्कृत महाविद्यालय/ संभाग कार्यालय च/राजकीय /निजी संस्कृत विद्यालय एवं समस्त अन्य संस्थान दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतया बंद रहेंगे। समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्मिक /शिक्षक विना नियन्त्रण अधिकारी के आदेशों के उक्त अवधि में महाविद्यालय /विद्यालयों में उपस्थित नहीं होंगे।

इस अधिकारी के दौरान सभी संभाग कार्यालय, महाविद्यालय / विद्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अत्यावश्यक कार्यवश डगूटी हेतु निर्देशित किये जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी / अधिकारियों की स्थिति घर से कार्य करने (WORK FROM HOME) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फिल्ड डगूटी हेतु निर्देशित करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर / नियन्त्रण अधिकारी स्वतन्त्र होंगे। इस अधिकारी के दौरान सभी सरकारी कार्मिकों को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

क्रीमी २२-३-२०२०
(डॉ०दीरधारम रामस्नही)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - निजी सचिव, शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - समस्त प्राचार्य, राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान।
 - समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर (चुरू), भरतपुर, कोटा।
 - समस्त संकुल प्रभारी वरि० उपाध्याय / प्रदेशिका संस्कृत विद्यालय, राजस्थान।
 - पत्रावली

(अशोक कुमार योगी)
सहायक निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2020/49


दिनांक: 25/3/20

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:—अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में COVID-19 रोग के बचाव, रोकथाम व नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि घर-घर सर्वे, ओपीडी स्क्रीनिंग के अन्तर्गत या अन्य किसी माध्यम से विभाग को रिपोर्ट होने वाले अन्य राज्यों से आये यात्रियों/नागरिकों को स्क्रीनिंग किया जाकर उनका केटेगरी अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकरण करते हुये आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. केटेगरी 'ए'—बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण प्रारंभ होने से 14 दिवस पूर्व यदि किसी भी यात्री ने अन्य राज्यों में यात्रा की हो तो उन्हें तुरंत प्रभाव से कोरोना हेतु चिन्हित किये गये आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. केटेगरी 'बी'—अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, हाईपर टेंशन, डायविटीज, अरथमा जैसे वीमारियों से ग्रसित रोगियों में बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर भी तुरंत प्रभाव से अगले 14 दिवस तक कोरोना हेतु चिन्हित क्वरेन्टाइन में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. केटेगरी 'सी'—अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले व्यक्तियों में बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर अगले 14 दिवस हेतु होम क्वरेन्टाइन में रखा जाना सुनिश्चित करें।




(रिहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2020/49

दिनांक: 25/3/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
4. समस्त जिला कल्यटर, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. जिला प्रभारी (COVID-19) को भेजकर लेख है कि उक्त अध्यतन (Update) आज ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. सर्वर रूम नं. 302 ई-मेल तथा वेबसाइट पर अपलोड करने वालत।
10. कार्यालय पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

शासकीय आदेश क्रमांक : प.1(1) चिस्वा/ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक: 22.03.2020 के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध /4418/68/276 दिनांक 22.03.2020 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन संचालित समस्त कार्यालय, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास एवं अन्य संस्थान दिनांक : 31.03.2020 तक पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों/कार्मिकों के लिए भी संस्था में उपस्थित न होकर Work From Home की स्थिति में रहने के आदेश जारी किए गए हैं।

उल्लिखित आदेश दिनांक :22.03.2020 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य की समस्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन को निर्दिशित एवं पाबन्द किया जाता है कि उक्त बन्द अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक के वेतन में से कटौती/कमी नहीं की जाए।

उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति पाए जाने पर संबंधित जिला कलेक्टर/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/माध्यमिक को शिकायत की जा सकेगी। शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था के विरुद्ध राजस्थान "गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम-1993" के तहत कार्यवाही अमल में लाइ जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।



(सौरभ स्वामी)
आड.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/पीएसपी/शिकायत/वेतन/2019-20

दिनांक:-26.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक / माध्यमिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
- ✓ 9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. उपनिदेशक (आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. संस्था सचिव / प्रबंधक, गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (समस्त राजस्थान) को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंबद्ध आदेश दिनांक : 22.03.2020 के द्वारा रकूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक : 31.03.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप लॉकडाउन के तहत पूर्णतः बन्द रखे जान के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक : 40-3/2020-डीएम-१(ए) दिनांक : 24.03.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह-९/2019 जयपुर, दिनांक : 26. 03.2020 के अनुक्रम में रकूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों में लॉकडाउन हेतु निर्धारित समयावधि में एतद द्वारा दिनांक : 14.04. 2020 तक चूंची की जाती है।

शेष निर्देश पूर्व प्रसारित समसंबद्धक आदेश दिनांक : 22.03.2020 व समय – समय पर जारी शासकीय निर्देशानुरूप प्रभावी रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)

बाइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 31.03.2020

क्रमांक—शिविरा/माध्य/साप्र/बी-२/विविध/4418/68/278

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, रकूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, रकूल शिक्षा एवं राजस्थान रकूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, रकूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान रकूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त सभागीय संयुक्त निदेशक, रकूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समरत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स रकूल, बीकानेर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउनावि/रामावि/राबाउमावि/रावामावि।
20. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
22. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
23. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक:- ५१

दिनांक ०३।०४।२०

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय—प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त

विषय:- महामारी कोरोना वायरस (COVID - 19) के संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत शेष खाद्यान्न का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस COVID-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न के यथोचित उपयोग हेतु विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020 द्वारा जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा उपरान्त विद्यालयों से शेष खाद्यान्न का उठाव कर संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। अतः निर्देशित है कि संलग्न प्रपत्र में जिले की सूचना तैयार कर ईमेल आईडी itcellmdm@gmail.com, अथवा mdm-rj@nic.in पर आज ही 12 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवायें साथ ही पुष्टि हेतु मिड डे मील राजस्थान के WhatsApp ग्रुप पर Message कर अवगत करावें। खाद्यान्न की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें।

- जिन विद्यालयों से खाद्यान्न (गेहूं / चांवल) प्राप्त किया जा रहा है मैं इसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड संधारण किया जाये एवं उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की पावती प्राप्त की जाये।
- खाद्यान्न के उपयोग से सम्बन्धित रेकॉर्ड का संधारण किया जाये।
- खाद्यान्न की सुपुर्दगी का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में किया जाये।
- जिले में खाद्यान्न के उपयोग की समेकित सूचना विभाग को भिजवाई जाये।

निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं संलग्न प्रपत्र में सूचना आज ही भिजवायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक:-

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलक्टर समस्त।
2. मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

०३।०४।२०
उपायुक्त (क्र.एवं मू.)

दिनांक

०३।०४।२०
उपायुक्त (क्र.एवं मू.)

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक / जिपअ / 1360 सं 1393

सहायक निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), अजमेर।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक), अजमेर।

दिनांक ५-५-२०

विषय :— कोरोना वाइरस संदिग्ध व्यक्तियों के सन्दर्भ में कार्मिकों की होम आईसोलेशन ड्यूटी हेतु निर्देश।

जैसा कि आपको विदित है कि देश वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में/शहरी क्षेत्रों में सामान्य सर्वे करवाया जाकर तीन विन्दुओं (1) सर्दी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, श्वास लेने में दिक्कत वाले व्यक्तियों की पहचान (2) अन्य जिलों से आए/अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों की पहचान एवं (3) अन्य देशों से आए यात्रियों की पहचान की जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी।

अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जानी अपेक्षित हैं—

ग्रामीण क्षेत्रों में की गई व्यवस्था—

1. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 33 में दी गयी शक्तियों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में होम आईसोलेशन पर नजर रखने हेतु आदेश में उकित कार्मिकों को इस बाबत ड्यूटी पर लगाया जाता है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो कार्मिक लगाए जायेगे, जिसमें से एक प्रातः 7 से दोपहर 1 तक एवं दूसरा दोपहर 1 से रात्रि 7 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे।
2. उक्त कार्मिक उस घर की पहचान करेंगे तथा होम आईसोलेटिड व्यक्ति को देखकर उसकी पहचान करेंगे तथा पाबन्द करेंगे कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना है और यदि वे उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कानूनी दण्डात्मक प्रावधान हेतु बताएंगे।
3. यदि ऐसा कोई व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उपखण्ड अधिकारी के कन्ट्रोल रूम पर एवं फ्लाइंग स्क्वाड को सूचित करेंगे।
4. उपरोक्त कार्मिक जब होम आईसोलेशन स्थल पर पहुंच जायेगे तो Text Msg./Whatsapp Msg. से Block Control Room जो कि लॉक में बनाया जाएगा पर सूचना भेजी जाएगी। जब उक्त कार्मिक ड्यूटी पूर्ण कर वापस लौटेगा तो भी संदेश भेजकर जाएगा कि वह अब जा रहा है। ऐसा कार्मिक दूसरी पारी के लिए लगाए गए कार्मिक के आने पर ही अपना ड्यूटी स्थल छोड़ेगा, दूसरी पारी में लगाया गया कार्मिक भी अपनी उपस्थिति ऊपर बताये अनुसार Control Room को भेजेगा। पूर्व नियुक्त कार्मिक जिन्हे पीईआ॒/सीबीईआ॒ द्वारा लगाया गया था, वे तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे जब तक कि इस आदेश से नियुक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति होम आईसोलेटिड स्थान पर नहीं दे देंगे।
5. सुबह 9 बजे एवं दिन में 3 बजे उक्त Block Control Room यह सूचना भेजेगा कि कितने कार्मिकों को आना था कितने आए तथा कितने सामलों में होम आईसोलेशन को Breack किया गया है, तथा किसके द्वारा किया गया उसका नाम पता भी भिजवाएगा। उक्त Block Control Room ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को सेनेटाइजर/मास्टर/एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दिलवाएगा।
6. साथ ही उक्त कार्मिक यह भी सूचित करेंगे कि क्या गांव में कोई व्यक्ति/व्यक्ति समूह लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? उक्त सूचना भी उपखण्ड अधिकारी के Control Room OR Flying Squad को देंगे।
7. यदि पूर्व सर्वे से अब तक कोई अन्य व्यक्ति बाहर से आया हो तो उसकी सूचना भी उपखण्ड अधिकारी को देंगे।
8. शिक्षा विभाग के पीईआ॒/पंचायत राज के पीईआ॒ यदि अन्यत्र ड्यूटी पर नियुक्त नहीं हैं तो सुपरविजन का कार्य करेंगे तथा होम आईसोलेशन ड्यूटी पर लगे कार्मिकों की उपस्थिति पर नजर रखेंगे। (यदि पंचायत प्रसार अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो विकास अधिकारी से चर्चा कर नियुक्त करें।)
9. यदि आज की स्थिति में किसी राजस्व ग्राम में कोई भी होम आईसोलेटिड व्यक्ति नहीं हैं तथा भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कि किसी व्यक्ति को होम आईसोलेटिड किया जाना है तो सम्बन्धित पीईआ॒/सीबीईआ॒ तत्काल किसी कार्मिक को प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ड्यूटी पर लगा सकेगा। बाद में उसकी ड्यूटी बाबत आदेश का अनुमोदन करने हेतु सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद के चैनल से जिला कलक्टर से करवायें। शहरी क्षेत्र में ड्यूटी लगाने पश्चात् अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के माध्यम से भिजवायें।
10. मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी पूर्ण सूचना उपखण्ड अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र—ए के अनुसार) दोपहर 4 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

11. सभी उपखण्ड अधिकारी इस प्रकार से प्राप्त सूचना को zpajmerceo@gmail.com आई डी पर साथ 5:00 बजे तक पहुंचायेगे।

(प्रपत्र-ए)

क्र. सं.	नाम उपखण्ड	कुल आईसोलेटिड व्यक्ति	कुल मकान	कुल कार्मिक जिन्हे इनकी निगरानी हेतु लगाया गया	आज उपरिथित कार्मिक	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा होम आईसोलेशन गया	होम आईसोलेशन ब्रेक मामलों में की गई कार्यवाही
1							
2							
3							

शहरी क्षेत्रों में की गई व्यवस्था – (मात्र नगर निगम अजमेर क्षेत्र हेतु)

1. शहरी वार्ड चूकि बड़े क्षेत्रफल के हैं अतः प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक 4 होम आईसोलेटिड व्यक्तियों के ऊपर सुवह की शिफ्ट में 2 महिला कार्मिक एवं साथ की शिफ्ट में 1 पुरुष कार्मिक लगाया जाए।
2. सुपरविजन हेतु आदेश में अंकित टीम इचाजे प्रिसिंपल/व्याख्याता जिम्मेदार होंगे। ये सुपरवाईजर समेकित रिपोर्ट नगर निगम को उपलब्ध करवायेंगे। इस हेतु नगर निगम द्वारा प्रत्येक 15 वार्ड पर एक प्रभारी नियुक्त किया हुआ है।
3. यदि कोई व्यक्ति जो होम आईसोलेटिड है और वह व्यक्ति होम आईसोलेटिड को ब्रेक करता है तो Flying Squad एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) (सम्पर्क 0145-2627300) को सूचना देंगे। प्रतिदिवस साथ 4 बजे सुपरवाईजर टीम इंचार्ज निम्न प्रारूप में सूचना नगर निगम कन्ट्रोल रूम में आवश्यक रूप में देंगे –

क्र. सं.	वार्ड न.	कुल होम आईसोलेटिड व्यक्ति	कुल मकान	आज दिनांक को उपरिथित कार्मिक	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें होम आईसोलेशन में रखा गया	होम आईसोलेशन ब्रेक मामलों में की गई कार्यवाही

हस्ताक्षर इंचार्ज
(सुपरवाईजर)

[Signature]
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

दिनांक ५-६-२०

क्रमांक / जिपआई / १३६० - १३९३

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
2. अति. कलक्टर (प्रथम / शहर), अजमेर।
3. आयुक्त, नगर निगम अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी (समरत), अजमेर।
5. विकास अधिकारी (समरत), अजमेर।
6. मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी (समरत), अजमेर।
7. प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, अजमेर।

[Signature]
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

कोरोना कन्ट्रोल रूम की सूची, जिला अजमेर

जिला स्तर पर –

क्र. सं.	विवरण	फोन	मोबाइल नम्बर
1	कलेपटेट कन्ट्रोल रूम	0145-2628932	
2	कोरोना कन्ट्रोल रूम	0145-2627143	
3	पुलिस कन्ट्रोल रूम	0145-2629166, 2621349	
4	स्थास्थ विभाग कन्ट्रोल रूम	0145-2631111	
5	हंगर हेल्पलाईन		7976227526

उपखण्ड स्तर पर –

क्र. सं.	विवरण	फोन	मोबाइल नम्बर
1	अजमेर	0145-2431369	7742579247 पूरण मल शर्मा
2	ब्यावर	01462-257336	9460006055 श्री चम्पा लाल, श्री अरविन्द 9460546494
3	किशनगढ़	01463-242216	श्री विजय पाल सिंह 9079103529, श्री रविकान्त 9269109910
4	केकड़ी	01467-222430	श्री गोविन्द 9636965745, श्री बाबूलाल 9783203627
5	मसूदा	01462-266444	श्री ओमप्रकाश लुनावत 9950124043
6	नसीराबाद	01491-224300	श्री फरीद अहमद 7976069598
7	पीसांगन	0145-2775173	श्री प्रेम प्रकाश कुमावत 9784711711
8	भिनाय	01466-273901	श्री राजूलाल 9214969583, श्री रमेश 9784067314
9	सरवाड	01496-230886	श्री रमेश चन्द 9001617918
10	लपनगढ़	01497-225484	श्री भंवर लाल कुकना 7014279078
11	पुष्कर	0145-2773022	श्री राजू वर्मा 9079881174
12	टॉडगढ़	01462-281233	श्री रामेश्वर लाल चौधरी 9414981261

अजमेर नगर निगम क्षेत्र स्तर पर –

क्र. सं.	विवरण	वार्ड नम्बर	फोन	मोबाइल नम्बर
1	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	1-30	0145-2431420	श्रीमती मुन्नी शर्मा 9413949520
2	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	31-60	0145-2622553	पूनम चन्द गहलोत 9414281003

जिला अजमेर “कोरोना” सम्पर्क नम्बर— 0145—2628932
 (आवश्यकता होने पर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें।)

क्र. सं.	उपखण्ड अधिकारी			तहसीलदार		विकास अधिकारी	आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी	मुख्य / वर्त्तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक क
	उपखण्ड	कान्द्रोल रम	उपखण्ड अधिकारी	कान्द्रोल रम	तहसीलदार				
1	अजमेर	01452627143	9530311004, 7528926999	01452627253	9530311014, 9784096203	8764853003, 2624848	9413052922, 01452620749	9414003055	9414450395, 9413379078
2	युक्तर		9953922266, 9079304007	01452773391	9530311024, 9414062294	8764501302, 9414149890	9928109292		9828086205
3	किशनगढ़	01463242216	9530311012, 9717180139	01463245850	9530311022, 8003242521	9414950703	9530300383, 998320477	7568448914	9783667719, 8306800801
4	किशनगढ़		9530311012, 9717180139	01497220484	9530311026	8460454116, 8764853012			किशनगढ़— 7568214541, 9414618572
5	नसीराबाद	01491224300	9414017467	01491220156	9530311016, 9460914296	8764853014, 8107049831		7742026629	9414258548, 01491220053
6	ब्यावर	01462257336	9530311007, 9079313972	01462257132	9530311017, 9079430000	8764853011, 9829274554	9530300214, 9929892151	9414145757	9414644635, 01462257399
7	टाटगढ़		9530311007, 9079313972	01462216033	9530311023, 01462216033		9530300214, 9929892151		9462512352

जिला अजमेर “कोरोना” सम्पर्क नम्बर— 0145—2628932

(आवश्यकता होने पर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें।)

क्र. सं.	उपचारण्ड / ब्लॉक	उपचारण्ड अधिकारी		तहसीलदार		आति पुलिस अधीकारी	विकास अधिकारी	आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी	मुख्य / दस्तक विकास एवं स्वास्थ्य अधिकारी	प्रदर्शन अधिकारी / निरीकार
1	अजमेर	01452627143	9530311004, 7528926999	01452627253	9530311014, 9784096203	कान्द्रोल रुम अधिकारी	कान्द्रोल रुम अधीकारी	तहसीलदार	विकास अधिकारी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2	पुष्कर		9953922266, 9079304007	01452773391	9530311024, 9414062294	8764853003, 2624848	8764501302, 9414149890		9413062922, 01452620749	9414003055
3	किशनगढ	01463242216	9530311012, 9717180139	01463245850	9530311022, 8003242521	9414950703	9530300383, 9983204777		9928109292	9828086205
4	रुपनगढ		9530311012, 9717180139	01497220484	9530311026	9460454116, 8764853012			7568448914	9783667719, 8306800801
5	नसीराबाद	01491224300	9414017467	01491220156	9530311016, 9460914296	8764833014, 8107049831			7742026629	9414258548, 01491220053
6	ब्यावर	01462257336	9530311007, 9079313972	01462257132	9530311017, 9079430000	8764853011, 9829274554	9530300214, 8929892151	9414145757	9414644635, 01462257399	9462512352
7	टाटगढ		9530311007, 9079313972	01462216033	9530311023, 01462216033		9530300214, 9929892151			9462512352

8	મસૂરા	01462266444	9530311008, 9414252652	01462266944 9460111338	9530311018, 9414396863	9530300274, 9414396863	9079610785, 7726807795	9530455202
9	મિનાય	01466273901	9530311010, 7073775907	01466273353 9530311020	9530300183, 7727995207	8003736573, 01466273306	8003736573, 01466273306	9602409465
10	સરવાડ	01496230886	9530311011, 9460014525	01496230024 9649443492	9530311021, 9783257320	9460146174, 01496230015	9414355427, 9414616626	9414450395
11	કેકડી	01467220008	9530311009, 9829687999	01467220062 9414302181	9530311019, 9414302181	9530300241, 7044292828	9887898313 9636941659	6377086927, 9414450395
12	પીસાંગન	01452775174	9530311005, 9828478912	01452775300 8949253986	9530311015, 8949253986	9530300306, 9414846710	9570282905, 8005969280	8828356427
13	વિજયનગર			01462232222 9660342929, 01462232222			7597723328	9530455202
14	અરાઈ			01491281211 7568550977, 01463281211		9530300159, 7300440320	9829248933, 9785004770	9983302920
15	સાવર				9530311388, 6376072662			9414450395
16	ટાંટોટી			01496271201 01496271201				9414450395
17	શ્રીનાગર				9530300350, 9928994111		9460525632, 8306800701	9413379078
18	જાવાજા				9530300214, 9928992151		9168087527, 7691820275	9462512352

નોટ- કાન્દ્રોલ રૂમ DSO- 0145-2627391

આપાટ સ્થિતિ મેં પાસ હેતુ- શ્રી વિશાળ દવે ADM City

	(9414273820)
(ओवर रेट/काला बाजारी/खाद्य सामग्री- रसद) श्री हीरालाल जी DSO 9414669024 खाद्य सामग्री वितरण - श्री हीरालाल जी 9414669024 श्री भगवत्त सिंह जी 9829234488 और श्री किशोर कुमार जी 7073977744	कोरोना संदिग्ध आइसोलेशन- सर्वेचित SDO/TEHSILDAR/CMIHO/BCMO/SHO मेडिकल हेल्प-कंट्रोल रूम 0145-2631111 CMHO श्री के.सोनी 9414003055



सरकार सरकार

—: कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर—305001 :—

क्रमांक— कअ/न्याय/कोरोना/2020/ 105

दिनांक 26-03-2020

—:: आदेश ::—

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अजमेर जिले के लिये निम्नांकित अधिकारियों का "फ्लाईंग स्कॉवायड दल" का तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक गठन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने—अपने ड्यूटी क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर कोरोना वायरस से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होने पर अपने क्षेत्र के अधिकारियों (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट—शहर, अजमेर एवं सबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटगण) एवं चिकित्सा विभाग को देते रहेंगे तथा थानाधिकारी/ वृत्ताधिकारी से समन्वय/ सम्पर्क रखापित करते हुए पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे, साथ ही तथा धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

क्र.सं.	नाम अधिकारी, पद, विभाग एवं मोबाइल नम्बर	आवंटित ड्यूटी क्षेत्र
1	1- श्रीमती प्रीति चौहान, तहसीलदार, अजमेर 97840-96203 2- श्री धनश्याम शर्मा, व्याख्याता, राज आचार्य सरकृत महाविद्यालय, अजमेर 94615-94769	(अजमेर शहर) ए.डी.एम. सिटी, अजमेर के निर्देशानुसार ड्यूटी देंगे
2	1- श्री हेमन्त शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अजमेर 94130-86756 2- डॉ एच एस कुमावत, सहाय्यार्थी, राजकीय सप्तराम पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 81072-7369	(अजमेर शहर) ए.डी.एम. सिटी, अजमेर के निर्देशानुसार ड्यूटी देंगे
3	1- श्री हरीश गोयल, खनिज अभियन्ता, अजमेर 94143-32825 2- डॉ एस एस चारण, सहाय्यार्थी, राजकीय सप्तराम पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 94146-67010	(अजमेर शहर) ए.डी.एम. सिटी, अजमेर के निर्देशानुसार ड्यूटी देंगे
4	1- श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधीक्षक, भू-वैज्ञानिक, अजमेर 94143-10855 2- डॉ सुनील कुमार गोयल, सहाय्यार्थी, राजकीय सप्तराम पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 98871-65968	(अजमेर शहर) ए.डी.एम. सिटी, अजमेर के निर्देशानुसार ड्यूटी देंगे
5	1- श्री जे.के. गुरुबक्षानी, अधीक्षक, खनिज विभाग, अजमेर 98296-98831 2- डॉ राजकुमार नागरवाल, सहाय्यार्थी, राजकीय सप्तराम पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 98294-43424	(अजमेर शहर) ए.डी.एम. सिटी, अजमेर के निर्देशानुसार ड्यूटी देंगे
6	1- श्री पक्ष बडगूजर, तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर 94140-62294 2- श्री सुशील कुमार रिणवा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडल	उपखण्ड क्षेत्र पुष्कर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेंगे
7	1- श्री अभिषेक गहलोत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर 98281-09292 2- श्री श्याम सुन्दर, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलोरा, 94143-71230	उपखण्ड क्षेत्र पुष्कर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेंगे
8	1- श्री रामकिशोर, नायब तहसीलदार, पुष्कर 96678-98597 2- श्री हबीब खान, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गनाहेडा 81048-97701	उपखण्ड क्षेत्र पुष्कर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेंगे

9	1- श्री नोहन सिंह, तहसीलदार, किशनगढ 2- श्री गोपाल कृष्ण सोनी, सहा० आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ	80032-42521 95491-01431	उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
10	1- श्री राम अदत्तर यादव, विकास अधिकारी, पचायत समिति, किशनगढ 2- डॉ० शिवरतन डामा, सहा० आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ	99832-04777 94147-66875	उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
11	1- श्री वी.एस राखावत, अधिकारी अभियन्ता, अविविनि लि किशनगढ 2- डॉ० कोपत्तन लाल नवाल, सहा० आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ	94133-91612 94142-72906	उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
12	1- श्री अमित कुमार नाथुर, सहायक अभियन्ता, पचायत समिति, किशनगढ 2- डॉ० सजय चौधरी, सहा० आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ	98297-91255 94143-95877	उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
13	1- श्री सुरेश फुलवरी, सहायक अभियन्ता, अविविनि लि ब्यावर 2- श्री चुप्रीतक पाठक, सहा० आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	94133-91622 94144-06320	उपखण्ड क्षेत्र ब्यावर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
14	1- श्री शत्लन टण्डन, अधिकारी, जल ग्रहण, जवाजा. 2- श्री एन.डी उपाध्याय, सहा० आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	94687-54858 94137-62072	उपखण्ड क्षेत्र ब्यावर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
15	1- श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा, विकास अधिकारी, पचायत समिति, जवाजा 2- श्री रग्लाल चुवासिया, सहा० आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	99298-92151 99509-92392	उपखण्ड क्षेत्र ब्यावर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
16	1- श्री राजन्द कुमार जोशी, सी.बी.ई.ओ., जवाजा 2- श्री तोहनराज नासलपुरी, सहा० आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	96020-67811 94143-55896	उपखण्ड क्षेत्र ब्यावर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
17	1- श्री कपिल शर्मा, तहसीलदार, केकडी 2- डॉ० अनिल कुमार दावीच, सहा०आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, केकडी	97832-57320 94142-88260	उपखण्ड क्षेत्र केकडी उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
18	1- श्री कुशलंखर सिंह, विकास अधिकारी, पचायत समिति, केकडी 2- श्री चतरातान गोधारा, सहा०आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, केकडी	95302-92210 78911-21513	उपखण्ड क्षेत्र केकडी उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
19	1- श्री श्रद्धन सिंह, नायब तहसीलदार, केकडी 2- डॉ० राहुल तकर्सना, सहा०आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, केकडी	94144-21336 94142-56992	उपखण्ड क्षेत्र केकडी उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
20	1- श्री दुष्टिप्रकाश मीणा, तहसीलदार, नसीराबाद 2- श्री सजय कनांजिया, सहायक आचार्य, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	94609-14296 94142-91233	उपखण्ड क्षेत्र नसीराबाद उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
21	1- श्री शिवदान सिंह, विकास अधिकारी, पचायत समिति, श्रीनगर 2- डॉ० चन्द्र प्रकाश गुप्ता, सहायक आचार्य, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	99289-94111 94603-57225	उपखण्ड क्षेत्र नसीराबाद उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे

34	1- श्री महेश चन्द शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, जन रखारथ्य एव अभियात्रिक विभाग, अजमेर 2- डॉ० सुभाषचन्द, सहा० आचार्य, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	94616-80513 94147-09573	उपखण्ड क्षेत्र भिनाय उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
35	1- श्री दुर्गलाल देवत, सहायक अभियन्ता, अ वि वि नि लि पीसागन 2- डॉ० अनुराग शर्मा, सहा०आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर	94133-91652 94143-64241	उपखण्ड क्षेत्र पीसांगन उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
36	1- श्री नन्द किशोर शर्मा, सी बी ई ओ, मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी, पीसांगन 2- डॉ० राकेश कुमार, सहा०आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर	94615-79472 94145-26178	उपखण्ड क्षेत्र पीसांगन उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
37	1- श्रीमती अनुराधा सेट, सी डी पी ओ, महिला एव बाल विकास अधिकारी, पीसांगन 2- श्री रमेशचन्द शर्मा, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर	94147-08123 94602-12117	उपखण्ड क्षेत्र पीसांगन उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
38	1- श्रीमती शीला घोड़री, तहसीलदार, अराई 2- डॉ० जगदीश प्रसाद शुक्ला, सहा०आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	75685-50977 96801-55067	उपखण्ड क्षेत्र अराई उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
39	1- श्री मधुसूदन, विकास अधिकारी, पचायत समिति, अराई 2- श्री मुकेश कुमार, सहा०आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	95303-00159, 94144-36016	उपखण्ड क्षेत्र अराई उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
40	1- श्री राजीव बल्लभ, सहायक अभियन्ता, पचायत समिति, अराई 2- डॉ० चन्द्र प्रकाश पोखरणा, सहा०आचार्य, श्री रत्नलाल कवरलाल पाटनी, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	94140-04654 94142-59790	उपखण्ड क्षेत्र अराई उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
41	1- श्री कान्त व्यास, तहसीलदार, सरवाड 2- डॉ० अनिल कुमार माथुर, सहा० आचार्य, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	95303-11021 94148-50948	उपखण्ड क्षेत्र सरवाड उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
42	1- श्री पवन कुमार भातरा, विकास अधिकारी, पचायत समिति, सरवाड 2- श्री राजेश शर्मा, सहा० आचार्य, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	94601-46174 96600-04060	उपखण्ड क्षेत्र सरवाड उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
43	1- श्री शकरलाल, नायब तहसीलदार, सरवाड 2- श्री मदनलाल रेडिया, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, केकड़ी	94136-93825 99297-66831	उपखण्ड क्षेत्र सरवाड उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे

अजमेर शहर के लिए "प्रभारी" अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-शहर, अजमेर एव उपखण्ड क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट "प्रभारी" रहेंगे। उक्त नियुक्त अधिकारीगण "प्रभारी अधिकारी" को उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा उन्हीं के निर्देशानुसार ड्यूटी अजाम देंगे।

नोट :-

- 1- यदि किसी अधिकारी का रथानान्तरण हो गया हो तो, उसके रथान पर पदस्थापित अधिकारी ड्यूटी अजाम देंगे।
- 2- जिस टीम के पास सरकारी वाहन उपलब्ध न हो तो वह सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर वाहन प्राप्त करने की व्यवस्था रुचिशाली कराये।
- 3- उपरोक्त अधिकारियों ने से किसी भी अधिकारी की ड्यूटी निरस्ता नहीं की जावेगी। कृपया अनावश्यक पत्र व्यवहार/ सम्पर्क नहीं करें।

Shiv Mohan Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

22	1- श्री भीवराज, नायब तहसीलदार, नसीराबाद 2- श्री डॉ अभियन कमल रैना, सहायक आचार्य, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	82902-49406 93513-29052	उपखण्ड क्षेत्र नसीराबाद उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
23	1- श्री प्रभात त्रिपाठी, तहसीलदार, मसूदा 2- श्री विजय कुमार बशीवाल, सहारा आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मसूदा	95303-11018, 94601-11338 99281-22349	उपखण्ड क्षेत्र मसूदा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
24	1- श्री धर्मराज राठौड़िया, नायब तहसीलदार, मसूदा 2- श्री भानाराम जाट, सहारा आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मसूदा	63756-86986 94602-79688	उपखण्ड क्षेत्र मसूदा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
25	1- श्री अमरचन्द जाटव, नायब तहसीलदार, बिजयनगर 2- श्री मुरलीधर गुर्जर, सहारा आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मसूदा	79764-59060 99287-01342	उपखण्ड क्षेत्र मसूदा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
26	1- श्री राजेन्द्र, विकास अधिकारी, पचायत समिति, सिलोरा 2- डॉ लोकबन्धु सिंह, सहारा आचार्य, श्री रतनलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	94600-17572 93146-36417	उपखण्ड क्षेत्र रूपनगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
27	1- श्री भवरलाल, नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ 2- डॉ सत्यदेव सिंह, सहारा आचार्य, श्री रतनलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	70142-79078 98298-07545	उपखण्ड क्षेत्र रूपनगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
28	1- श्री विजय पाल, नायब तहसीलदार, किशनगढ़ 2- डॉ शिवदत्त कविया, सहारा आचार्य, श्री रतनलाल कवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	90791-03529 99289-90023	उपखण्ड क्षेत्र रूपनगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
29	1- श्री शैलेन्द्र चौधरी, नायब तहसीलदार, टॉडगढ़ 2- श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी, सहारा आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, व्यावर	94142-77774 94145-54826	उपखण्ड क्षेत्र टॉडगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
30	1- श्री शिवदेव गहलोत, सहायक अभियन्ता, जनस्वारा एवं अभियन्ता, व्यावर 2- श्री रामस्वरूप सोनवाल, सहारा आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, व्यावर	96106-87848 94142-84320	उपखण्ड क्षेत्र टॉडगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
31	1- श्री मुरारीलाल उचनिया, अधिशासी अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना जवाजा 2- श्री सहदेव शास्त्री, सहारा आचार्य, स्नातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, व्यावर	89491-60917 99280-88669	उपखण्ड क्षेत्र टॉडगढ़ उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे
32	1- श्रीमती सीमा गौड, विकास अधिकारी, पचायत समिति, भिनाय 2- डॉ महेन्द्र कुमार राका, सहारा आचार्य, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	77279-95207 94147-40989	उपखण्ड क्षेत्र भिनाय उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे।
33	1- श्री राकेश शर्मा, सहायक अभियन्ता, अविविति, भिनाय 2- डॉ गजेन्द्र मोहन, सहारा आचार्य, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	94133-92562 75970-02369	उपखण्ड क्षेत्र भिनाय उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ड्यूटी करेगे

प्रमाण/सम/ 10407-450

दिनांक-

26-03-2020

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है -

- 1 माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर - सूचनार्थ
- 2 माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर - सूचनार्थ
- 3 माननीय सभानीय आयुक्त महोदय, अजमेर सभाग अजमेर - सूचनार्थ
- 4 माननीय महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेज अजमेर - सूचनार्थ
- 5 जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्त प्रत्येक "फ्लाईग स्कवायड दल" के साथ 01-01 पुलिस कार्मिक लगाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 6 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर
- 7 अतिकलक्टर एवं अतिजिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), अजमेर
- 8 अतिकलक्टर एवं अतिजिला मजिस्ट्रेट (शहर), अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि अजमेर शहर में नियुक्त "फ्लाईग स्कवायड दल" को आप अपने स्तर से क्षेत्र आवटित कर, कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
- 9 प्रभारी अधिकारी पूल शाखा कलेक्ट्रेट, अजमेर
- 10 अतिपुलिस अधीक्षक, सी आई डी (विंश०) जोन अजमेर
11. संबंधित अधिकारीगण को पालनार्थ (जरिये सम्बन्धित तहसीलदार)
- 12 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त अधिकारियों को किसी कारणवश कार्यमुक्त करना सम्भव न हो तो आप अपने स्तर से ही समकक्ष अधिकारी को नियुक्त/कार्यमुक्त कर, पालना करना सुनिश्चित करावे। —— (जरिये सम्बन्धित तहसीलदार)
- 13 अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय सघ, अजमेर
- 14 प्रधानाधार्य एवं नियत्रक, जला ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर
- 15 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
- 16 प्रिन्सीपल मेडिकल ऑफिसर, अमृतकौर चिकित्सालय व्यावर
- 17 प्रिन्सीपल मेडिकल ऑफिसर, राजकीय यज्ञानारायण चिकित्सालय, अजमेर
- 18 उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर/व्यावर/केकड़ी/किशनगढ़/नसीराबाद/मसूदा/ पीसागन/ सरवाड /भिनाय रूपनगढ़/टॉडगढ़/पुष्कर/अराई/ विजयनगर/टॉटोटी को प्रेषित कर लेख है कि को प्रेषित कर लेख है कि आपके उपखण्ड में नियुक्त "फ्लाईग स्कवायड दल" को आप अपने स्तर से क्षेत्र आवटित कर, कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
- 19 तहसीलदार, अजमेर/व्यावर/केकड़ी/किशनगढ़/नसीराबाद/मसूदा/पीसागन/ सरवाड/भिनाय /पुष्कर /रूपनगढ़/टाडगढ़/सावर/अराई/ विजयनगर/टॉटोटी को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारीगण एवं उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को तामिल करवाकर, पालना सुनिश्चित करावे।
- 20 उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अजमेर
- 21 निजी सहायक जिला कलक्टर (कार्यालय/निवास), अजमेर
- 22 निजी सहायक अति-जिला मजिस्ट्रेट-शहर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारीगणों को जरिये दूरभाष पर उपरोक्तानुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।
- 23 आदेश पत्रावली

अतिजिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
अजमेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर

s.no	OFFICE	MAIL ID	designation	NAME	MOBILE NO.
1	JD OFFICE AJMER	jdedulaajmer@gmail.com	JD	smt padma saxena sh chandra shekhar smt kamlesh yadav office	9828450677 9460043216 7014659057 0145-2621991
2	CDEO AJMER	cdeoajmer@gmail.com	CDEO	smt padma saxena	9828450677
			AD	sh ajay kumar gupta	9983559369
				office	0145-2620920
3	DEO HQ SEC	deosiajmer@gmail.com	DEO HQ SEC	sh devl singh kachawa	9414002891
			ADEO	smt munni sharma	9413949520
			ADEO	smt darshna sharma	9414239719
				office	0145-2431420
4	DEO HQ ELE	deoe.ajm@gmail.com	DEO HQ ELE	smt anjana shubham	9587192080
			ADEO	sh arun sharma	9414707720
			ADEO	sh bhagwati prasad	9829216278
				office	0145-2622553
5	ADPC SMSA	adpcsmsaajmer@gmail.com	ADPC	sh deep chand bunkar	9785624999
		raissa.aimer@yahoo.co.in	APC	sh shahbuddin	8769658338
			APC*	sh sarveshwar pareek	9460186832
				office	0145-2631760
6	DIET MASUDA	dietmasuda@gmail.com	PRINCIPAL	smt ranju pareek	9413170744
			VICE PRINCIPAL	sh R-p. sharma	9414556123
7	MINORITY STC AJMER	stcajmer01@gmail.com	PRINCIPAL	sh dharmendra jatav	9414355466
			VICE PRINCIPAL	sh ashish kapoor	7597181403
8	CBEO ARAIN	cbeoarain@gmail.com	CBEO	sh pooran chand	9001759092
			ACBEO 1		
			ACBEO 2	sh laxman singh	9928940573
9	CBEO BHINAY	cbeobhinal@gmail.com	CBEO		
			ACBEO 1	sh satya narayan kevat	9413691832
			ACBEO 2	sh arvind sawaslya	8949051735
10	CBEO JAWAJA	cbeojawaja@gmail.com	CBEO	sh r.p. joshi	9602067811
			ACBEO 1		
			ACBEO 2	sh mahendra sangela	9414363371
11	CBEO KEKRI	cbeokekri@gmail.com	CBEO	sh pream chand mochi	9413153747
			ACBEO 1	sh radheshyam kumavat	9610001377
			ACBEO 2	sh ashok Jetwal	9413228559
12	CBEO MASUDA	cbeomasuda@gmail.com	CBEO		
			ACBEO 1	sh aditya pandey	9460972232
			ACBEO 2		
13	CBEO PISANGAN	cheopisangan@gmail.com	CBEO	sh nand kishore sharma	9461579472
			ACBEO 1	sh rajendra singh	9413158435
			ACBEO 2	sh pradeep mehrotra	9413039979
14	CBEO SARWAR	cbeosarwar@gmail.com	CBEO	sh bhagwan divaker	9829449901
			ACBEO 1		
			ACBEO 2		
15	CBEO SILORA	cbeokishangarh@gmail.com	CBEO	sh rajendra kumar sharma	9351350476
			ACBEO 1	sh mohan lal dhaka	9929258144
			ACBEO 2		
16	CBEO SRINAGAR	cbeosrinagar@gmail.com	CBEO		
			ACBEO 1	sh hemant detwal	9784319717
			ACBEO 2	sh teekam meena	8764175737

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

कोराना महामारी (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लॉक डाउन के कारण कक्षा क्रमोन्नति प्रावधानों में सत्र 2019–20 हेतु एकबारीय शिथिलन प्रदान करते हुए, उक्त सत्र में कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को एतद् द्वारा आगामी कक्षा क्रमशः— कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में संबंधित संस्था प्रधान निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे:-

- सत्र 2019–20 में कक्षा 9 एवं 11 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके समग्र मूल्यांकन, के आधार पर आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा सत्र 2019–20 में विद्यार्थी के अब तक के समग्र मूल्यांकन यथा— तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी तथा सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।
- विद्यार्थी की आगामी कक्षा 10 / 12 में क्रमोन्नति के लिये कक्षा 9 / 11 में भारांक प्रतिशत निम्नानुसार होगा :—

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत			सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु भारांक प्रतिशत	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक	30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)	
			100	50	20		

उदाहरणार्थ किसी विद्यार्थी के हिन्दी विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक 30 है और तीनों परख में पूर्णांक 30 में से प्राप्तांक 15 हैं तथा सहशैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्रदत्त अंक 25 हो, तो भारांक की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत			सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्राप्तांक	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक	30		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)	
1	हिन्दी	100	$30 \times 50 / 70 = 21.4 = 22$	$15 \times 20 / 30 = 10$	25	57	

इसी अनुरूप प्रत्येक विषय का आकलन किया जाना है।

- उपर्युक्तानुसार समग्र आंकलन कर कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा क्रमशः 10 एवं 12 में क्रमोन्नत किया जाएगा।

- 4 लॉक डाउन समाप्ति के उपरांत विद्यालय संचालन पुनः प्रारम्भ होने पर संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा सत्र 2019–20 में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में पृथक से क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि संबंधित कक्षा के लिये क्रमोन्नति पात्रता हेतु मान्य होगा।
 - 5 कक्षा 9 एवं 11 में क्रमोन्नत समस्त विद्यार्थी स्वतः ही आगामी कक्षा में प्रवेशित माने जाएंगे। इन विद्यार्थियों के कक्षा क्रमोन्नति का कार्य ऑनलाईन शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।
 - 6 इन क्रमोन्नत विद्यार्थियों द्वारा SMILE (Social Media Interface for Learning Engagement) कार्यक्रम के माध्यम से आगामी कक्षा की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन अध्ययन कराया जाएगा।
 - 6 उक्त शिखिलन एवं प्रावधान केवल सत्र 2019–20 के लिये ही लागू होंगे।
- संलग्न:- क्रमोन्नति प्रमाण-पत्र का प्रारूप।



(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 10.04.2020

क्रमांक:- शिविरा-माध्य / मा-स / 22497 / 2017–18

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (युप-1) राजस्थान, जयपुर को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।
- 5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 6 समस्त संभागीय सयुवत निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- 7 प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
- 8 समस्त मुख्य जिला/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- 9 समस्त जिशिअ (मुख्यालय)-माध्यमिक।
- 10 समस्त संस्था प्रधान- माध्यमिक एवं उमावि को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि संबंधित विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कराते हुए शाला-दर्पण पर क्रमोन्नति की प्रविष्टि करें।
- 11 सहायक निदेशक, शालादर्पण/छात्रवृत्ति/समाज शिक्षा, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।



निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर



विद्यालय का पूरा नाम –.....

क्रमोन्नति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि(विद्यार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री
.....(पिता का नाम) एवं(माता का नाम) जन्मतिथि वर्ग—
.....(समान्य/पिव/अजा/अजजा/अतिपिव/अल्पसंख्यक), S.R. No., सत्र
2019–20 में इस विद्यालय की कक्षा 9/11 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत रहा/रही
है। उक्त(विद्यार्थी का नाम) को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
के आदेश क्रमांक:-शिविरा—माध्य/मा—स/22497/2017–18 दिनांक—10.04.2020 के अनुसरण
में आगामी कक्षा 10/12 में क्रमोन्नत किया जाता है।

दिनांक:

(संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर)


यू—डाईस कोड:.....

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर

:: आदेश ::

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु शासकीय निर्देशानुसूत्र घोषित लॉकडाउन के दौरान कुछ अधिकारी/कार्मिक मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी/कार्मिकों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की ड्यूटी पर लगाए जाने से उन्हें मुख्यालय पर लौटने हेतु अनावश्यक लम्बी यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिससे लॉकडाउन का उद्देश्य विफल होता है एवं संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है। अतः अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिला प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वह केवल मुख्यालय पर उपस्थित कार्मिकों की ही ड्यूटी लगावें। इसी अनुक्रम में अधिकारियों एवं कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की वास्तविक अद्यतन सूचना प्राप्त किए जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. समस्त PEEO / संस्थाप्रधान / कार्मिक, जो कि वर्तमान में अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हैं तथा अपने परिवार के साथ अन्य जिलों में/मुख्यालय से अन्यत्र निवास कर रहे हैं, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करेंगे तथा लॉकडाउन समाप्ति पश्चात् ही मुख्यालय हेतु प्रस्थान करेंगे।
2. समस्त PEEO / संस्थाप्रधानों को मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धित सूचना शाला दर्पण के माध्यम से दर्ज करवाने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में ही आवश्यक बदलाव किए जाकर दिनांक : 13.04.2020 को प्रातः से सायं 05 बजे तक (मुख्यालय पर अधिकारी/कार्मिक के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की सूचना) दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में PEEO / संस्थाप्रधान मुख्यालय के आस-पास के गांव व कस्बों/शहरों में निवास कर रहे अधिकारी/कार्मिक, जो विना किसी लम्बी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं, को मुख्यालय पर उपस्थित मानते हुए उपस्थिति सम्बन्धी सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त PEEO / संस्थाप्रधान द्वारा दर्ज मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धी सूचना दिनांक : 14.04.2020 को ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड/प्रिंट प्राप्त कर सम्बन्धित एसडीएम के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करेंगे।
4. संस्थाप्रधान / PEEO प्रत्येक कार्मिक से दूरभाष पर बात करके ही मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना का पोर्टल पर ऑन लाइन अंकन करेंगे। किसी भी कार्मिक को उक्त कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित नहीं किया जाए। यदि PEEO / संस्थाप्रधान अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर ऑन लाइन उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश पोर्टल पर दर्ज करने में असमर्थ हो, तो PEEO / संस्थाप्रधान दूरभाष के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर उपस्थिति की समेकित सूचना सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त CDEO/CBEO अपने क्षेत्राधिकार में PEEO / संस्थाप्रधानों द्वारा शाला दर्पण पर दर्शाई गई मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धित सूचना का उपयोग केवल कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु करेंगे ताकि मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी/कार्मिक किसी अवधीनक कार्यवाही के भय से चिंतित होकर गलत सूचना अंकित न करें।


 (सौरभ छावाणी)
 आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
 राजस्थान, वीकानेर

दिनांक : 12.04.2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी संचिव, शासन संचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन संचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त संघागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) -माध्यमिक/प्रारम्भिक।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त पीईओ/संस्था प्रधान, राजमानि/रामायि/रावाउमायि/रावामायि।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर।
13. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
 राजस्थान, वीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 22.03.2020 एवं अनुवर्ती आदेश दिनांक: 31.03.2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को दिनांक: 14.04.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप पूर्णत बन्द रखे जाने (लॉकडाउन) के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक : 40-3 / 2020-ठीएम-1(ए) दिनांक: 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 33(2)गृह-9 / 2019 जयपुर, दिनांक: 15.04.2020 के अनुकम में दिनांक: 19.04.2020 तक लॉकडाउन सम्बन्धी उक्त पूर्ववर्ती निर्देश निरन्तर प्रभावी रहेंगे। तदनन्तर दिनांक: 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समयावधि हेतु निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रदान किए जाते हैं:-

1. समस्त राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर. के, भवन तथा समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
2. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में इस आदेश के अनुसरण में बुलाए गए अधिकारी/ कार्मिकों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यक होने पर ई-मेल इत्यादि आधुनिक ऑनलाइन संचार माध्यमों को उपयोग में लिया जा सकेगा।
3. विन्दु संख्या: 01 में वर्णित संस्थान/विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे एवं गृह विभाग के आदेश दिनांक: 15.04.2020 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. विन्दु संख्या: 03 में वर्णित कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, लेखा, सारियकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/ कर्मचारी कार्यालयों में नियमित उपरिवृत्ति देंगे। शेष मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपरिवृत्ति एक समय में एक तिलाई से अधिक न हो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रण अधिकारी रोटर तय करेंगे।
5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्बन्धित अनुभाग/ ग्रुप/ नियंत्रण अधिकारी उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाए जाने हेतु अधिकृत होंगे।

27

6. एक तिहाई तक उपस्थिति सीमित रखने के उद्देश्य से रोस्टर तय करते समय सम्बन्धित नियंत्रण

अधिकारी सप्ताह के दिनों के आधार पर अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य के घण्टे/पारी विभाजित कर आवश्यकतानुसार दैनिक रोस्टर तय कर सकेंगे। पारी व्यवस्था की स्थिति में दो पारियों के मध्य शासकीय निर्देशानुरूप समुचित अन्तराल रखा जाये, ताकि एक साथ कार्मिकों के एकत्र होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। इस अवधि में किसी भी कार्मिक को सामान्यतया मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी, उन्हें प्रशासनिक तौर पर अनुमति स्थितियों के अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान निजी कार्यवश घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

8. शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दे रहे समस्त निलम्बित/पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षारत समस्त कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकन से छूट रहेगी। ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि में अपने वर्तमान वास-स्थान पर ही रहेंगे ताकि अनावश्यक आवागमन से लॉकडाउन का उद्देश्य बाधित न हो।

9. समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाइल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सएप्प, ई-मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।

10. जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट (संवेदनशील स्थान), कफर्यू क्षेत्र, वलस्टर्स इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए विशेष आदेश या प्रतिबन्ध इस आदेश द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर लिवाशील रहेंगे अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं ऐसे क्षेत्रों में निवासरत कार्मिकों की सीमा तक यह आदेश सम्बंधित जिला कलेक्टर के आदेशों के अध्यधीन रहेगा। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र के निवासी कार्मिकों को घर से कार्य करने की स्थिति में रखा जाए।

11. लॉकडाउन सम्बन्धी नवीन शासकीय निर्देशानुसार निवास स्थान से कार्यालय आने-जाने की अनुमति के लिए कार्यालयी परिचय पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय वाहन, संविदा वाहन एवं निजी वाहनों को आधिकारिक परिचय पत्र दिखाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त अनुमति पत्र के अनुमति

किया गया है। अतः जिन कार्मिकों के अभी तक परिचय पत्र नहीं बने हुए हैं वों अपने फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करके परिचय पत्र बनवा लें।

12. मुख्यालय के जिले से बाहर गए हुए कार्मिक/अधिकारी इस आदेश को प्रस्तुत करते हुए सम्बंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेकर मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

13. अधिक संभागित्व वाली बैठकें प्रतिवन्धित रहेंगी। सीमित संभागित्वयुक्त बैठकों में पारस्परिक दूरी संधारण सम्बन्धी निर्देशों की सम्यक पालना की जावे।

14. समस्त शिक्षा विभागीय कार्मिकों को "आरोग्य सेतु ऐप" के प्रयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जावे।

15. कार्मिकों में पारस्परिक निर्धारित न्यूनतम दूरी संधारित किए जाने के लिए भोजनावकाश एवं अन्य कारणों से कार्मिकों के एकत्र होने पर पूर्णतया प्रतिवन्ध रहेगा। कैण्टीन इत्यादि स्थानों पर भी चाय, अल्पाहार एवं भोजनादि के समय निर्धारित न्यूनतम पारस्परिक दूरी का ख्याल रखा जावे।

16. गुटश्चा, तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं कार्यस्थल पर सार्वजनिक जगहों में थूकना सख्ती से प्रतिवन्धित एवं दण्डनीय होगा।

17. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में उपस्थित होने वाले कार्मिक/आगन्तुक (जिन्हें विशेष कारणों से बुलाया गया हो) को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

18. समस्त कार्यालयों में गृह विभाग के आदेशानुसार आवश्यक संक्रमणरोधी उपाय सुनिश्चित किए जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार तापमान जांच एवं सुविधाजनक रथानों पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जावे।

19. प्रतिदिन (पारी व्यवस्था की रिथ्ति में पारियों के मध्य अन्तराल के दौरान) समस्त कार्यालयों को संक्रमण-मुक्त (Sanitize) किया जावे।

20. सामान्यतः अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई की जावे। यार-यार हाथ धोने एवं स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को सामान्यवृत्ति में अपनाने के लिए भी कार्मिकों को प्रेरित किया जावे।

21. समस्त विभागीय अधिकारीगण उपर्युक्त विन्दुओं, शासकीय आदेश दिनांक 15.04.2020 एवं समय-समय पर कोरोना महामारी के सम्बन्ध में जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की अपने अधिकार क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉकडाउन के लम्बे अन्तराल के बाद कार्यालय पुनः खुलने पर

202

लम्बित कार्यों का आवश्यकता एवं प्राथमिकतावार आकर्षन कर यथाशीघ्र निरतारण की कार्य योजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें।

६१
(रौरक रवामी)
आई.ए.एम.

निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 17.04.2020

क्रमांक: शिविरा / माध्य / साप्र / बी-२ / विविध / 4418 / 68 / 337

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलकटर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा / पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) —माध्यमिक / प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ / संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि / राबाउमावि / राबामावि।
20. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को कार्यालय हाजा में उपर्युक्तानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
24. रक्षित पत्रावली।

६१
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

पत्रांक जिपआ० / 2020 / कोरोना / 1407


दिनांक : 7.4.2020

नहावक निदेशक,
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला -अजमेर।

विषय : कोरोना वाइरस संदिग्ध व्यक्तियों की होम आईसोलेशन की सूचना के संबंध में

सन्दर्भ : कार्यालय पत्रांक जिपआ०/ 1360-1393 दिनांक 4.4.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार होम आईसोलेशन ब्रेक करने वाले व्यक्तियों एवं होम आईसोलेशन की डयूटी में अनुपस्थित रहे कामिकों की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र (अ) एवं प्रपत्र (ब) में प्रतिदिन इस कार्यालय में स्थापित कोरोना कन्ट्रोल रूम के ई मेल एड्रेस zpajmerceo@gmail.com पर रात्रि 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवावें।


राजेन्द्र सिंह राठौड़,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (कुपाल) अपनी अपार्टमेंट
कोरोना वाले व्यक्ति अधिकारी (समाज) जिला अजमेर
पत्रांक - 2073
15मि - 07-4-2020

जिला शिक्षा अधिकारी (कुपाल) माउन्टेन अपार्टमेंट
कुपाल वाले व्यक्ति अधिकारी (समाज) जिला अजमेर

मूल में जरी एवं अनुचान प्रपत्र (ए) की सूचना के साथ-साथ
कोरोना प्रपत्र (अ) (ब) की सूचना भी उल्लिखित नियंत्रण कारों को
कुरमाछ पर लाउ दरावे एवं मेल भी करों।


किशोर पटेल
15मि - 07-4-2020

होम आइसोलेशन ब्रेक करने वाले व्यक्तित्व का विवरण

प्राप्ति - ५

होम आइसोलेशन उत्पृष्ठी में अनुपरिधत रहे कार्बिकों की सूखना

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/शाप्र/बी-२/विविध/4418/68/

दिनांक: 06.05.2020

-:: आदेश ::-

इस कार्यालय के लॉक डाउन विषयक समसंख्यक आदेश दिनांक: 22.03.2020 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों को पूर्णतः बंद (लॉक डाउन) रखते हुए कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर घर रो कार्य करने (वर्क फॉम होम) की स्थिति में रखा गया था। तदुपरांत लॉक डाउन अवधि में कुछ कार्मिकों के लॉक डाउन लागू होने से पूर्व से ही अवकाश, राजकीय यात्रा अथवा रविवारीय अवकाश के कारण एवं कुछ कार्मिकों द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न परिस्थितिवश एवं कुछ अन्य कार्मिकों द्वारा मुख्यालय पर रहने के आदेशों की अवहेलना कर बिना अनुमति मुख्यालय से अन्यत्र प्रस्थान की स्थितियां राखना में आई।

इस स्थिति में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020 दिनांक: 12.04.2020 के द्वारा लॉक डाउन की परिस्थिति को देखते हुए कार्मिकों को लंबी यात्रा न करने हेतु निर्देशित करते हुए जिला प्रशासन रो केवल मुख्यालय पर उपलब्ध शिक्षकों में से ही कोविड-19 संबंधी ड्यूटी लगाये जाने की अपेक्षा की गई थी एवं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने हेतु कार्मिकों की वास्तविक अवस्थिति की सूचना ली गई थी।

लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों के वेतन आहरण एवं कोविड-19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत विभिन्न रत्नों से वांछित भागदर्शन के संबंध में एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश/पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्याग:-

जिन कार्मिकों ने नियंत्रण अधिकारी की पूर्वानुमति से अवकाश अथवा मुख्यालय अवकाश लेकर लॉक डाउन लागू होने से पूर्व मुख्यालय परित्याग किया था एवं लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सके या लॉक डाउन अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन किया, उन्हें आवेदित अवकाश अवधि पूर्ण होने तक के लिए नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जावे एवं शेष लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे।

2. बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्याग:-

आदेश दिनांक 22.03.2020 के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बिना पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को सम्बंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भविष्य में बिना पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबन्द करते हुए लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आदेश दिनांक 12.04.2020 के बाद बिना युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के गुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचना भिजावाई जावे।

3. मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक:-

लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जो कार्मिक लॉक डाउन अवधि में कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, संबंधित मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें 16 मई, 2020 के पश्चात ड्यूटी हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलायें।

4. मुख्यालय से बाहर गये कार्मिकों की मुख्यालय वापसी एवं कोविड-19 ड्यूटी:-

द्विन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे समस्त कार्मिक/शिक्षक 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति की एवज में इन्हें उपार्जित अवकाश देय नहीं होंगे। संबंधित मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी द्विन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत कोविड-19 ड्यूटी से मुक्त किये गये कार्मिकों को छोड़कर मुख्यालय पर उपस्थित शेष समस्त कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 16 मई, 2020 के पश्चात ड्यूटी लगाये जाने हेतु तत्काल उपलब्ध करायें। 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर नहीं पहुंचने

वाले कार्मिकों की सूची संभागीय संयुक्त निदेशक स्तर पर समेकित कर 20 मई, 2020 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सनिश्चित करेंगे।

5. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की मुख्यालय पर उपस्थिति:-

5. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का मुख्यालय भर उत्तराखण्ड के आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक: 4307 जयपुर, दिनांक: 03.04.2020 के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर युप का अध्यक्ष नामित किया गया है, अतः समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) अपनी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर आदेशों की पालना करेंगे।

6. मिड-डे-मील प्रभारः—

मिड-डे-मील प्रभार- बिन्दु संख्या-3 के अनुसार यदि पोषाहार प्रभारी को 16 मई, 2020 के पश्चात् डियूटी से राहत दी जाती है तो संबंधित संरथा प्रधान/PEEO स्टॉक में उपलब्ध सामग्री एवं अभिलेख का सत्यापन कर अन्य कार्यक्रम को प्रभार हस्तान्तरण के उपरान्त ही मुक्त कर सकेंगे।

२ बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड-१९ संबंधी ड्यूटी:-

बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड-19 संबंधी ड्यूटी:-
 बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने की स्थिति में किसी भी कार्मिक/शिक्षक की परीक्षा संबंधी कार्य या अन्य किसी राजकार्य हेतु अथवा कोविड-19 सम्बन्धी किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाई जाने पर तत्काल उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(सौरभ स्वामी)
आड.ए.एस.

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 06.05.2020

सिविजा / साध्य / साप्र / बी-२ / विविध / 4418 / 68 /

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
प्रतिलिपि (उत्तरांग प्रभारी) राजस्थान सरकार जयपुर

- प्रातालाप : ११० नामक संख्या

 1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
 5. समस्त ज़िला कलवटर।
 6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
 7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
 8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
 9. समस्त मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ज़िला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
 10. समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
 11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संर्दू केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
 12. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राजमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
 13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 14. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समर्संस्थाक आदेश दिनांक: 17.04.2020 ह्वारा रक्खूल शिक्षा विभाग में शासकीय निर्देशानुलूप दिनांक: 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समस्यावधि हेतु लॉकडाउन संबंधी नवीन निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 1 व 3 में आशिक संशोधन करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) कार्यालय भी प्रशिक्षणार्थीयों का अवकाश एवं शिक्षक—प्रशिक्षण गतिविधियां बन्द रखते हुए अन्य कार्यालयी कार्य सम्पादित करने हेतु चूनतम टाफ के साथ संचालित रहेंगे। शेष निर्देश गूल आदेशानुसार पथावत रहेंगे।

भारत सरकार के आदेश क्रमांक: 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक: 01.05.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक: 02.05.2020 के अनुकम में दिनांक: 04.05.2020 से दिनांक: 17.05.2020 तक लॉकडाउन संबंधी उक्त पूर्ववर्ती आदेश दिनांक: 17.04.2020 रक्खूल शिक्षा विभाग में निरन्तर प्रभावी रहेगा।

(सौरभ स्वामी)
आज.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/घी-2/विविध/4418/68/360

दिनांक: 03.05.2020
०५

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सहायक, गान्धीय शिक्षा राज्य मंत्री (रवतंत्र प्रगार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, रक्खूल शिक्षा, गांधा एवं पुरताकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, रक्खूल शिक्षा एवं राजस्थान रक्खूल शिक्षा परिषद सह विशेष शासन सचिव, रक्खूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान रक्खूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. रामस्त जिला कलाकार।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सी.एल), अजमेर।
10. रामस्त संभागीय संस्थान निदेशक, रक्खूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय छाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. रामस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) —माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. रामस्त मुख्य व्यांक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. रामस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा गद्दाविधालय, जोधपुर।
18. समस्त पीईओ/संस्था प्रधान, राजमार्ग/शामार्ग/राजाउमार्ग/रावामार्ग।
19. रामस्त पीपु/अनुगाम अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
20. प्रगारी, गण्डार अनुगाम को कार्यालय हाजा।
21. सिरटम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. टाफ़ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
23. रक्खूल आदेशानुसार पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 22.03.2020 एवं अनुवर्ती आदेश दिनांक 31.03.2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को दिनांक 14.04.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप पूर्णतः बन्द रखे जाने (लॉकडाउन) के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक : 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक: 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 33(2)गृह-१/2019 जयपुर, दिनांक: 15.04.2020 के अनुकम में दिनांक: 19.04.2020 तक लॉकडाउन सम्बन्धी उक्त पूर्ववर्ती निर्देश निरन्तर प्रभावी रहेंगे। तदनन्तर दिनांक: 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समयावधि हेतु निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रदान किए जाते हैं:-

1. समस्त राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर. के, भवन तथा समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
2. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में इस आदेश के अनुसरण में बुलाए गए अधिकारी/ कार्मिकों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यक होने पर ई-मेल इत्यादि आधुनिक ऑनलाइन संचार माध्यमों को उपयोग में लिया जा सकेगा।
3. विन्दु संख्या: 01 में वर्णित संस्थान/विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे एवं गृह विभाग के आदेश दिनांक : 15.04.2020 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. विन्दु संख्या: 03 में वर्णित कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, लेखा, सांख्यिकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/ कर्मचारी कार्यालयों में नियमित उपरिवृत्ति देंगे। शेष मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपरिवृत्ति एक समय में एक तिटाई से अधिक न हो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी रोस्टर तय करेंगे।
5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्बन्धित अनुभाग/ ग्रुप/ नियंत्रण अधिकारी उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाए जाने हेतु अधिकृत होंगे।

21

6. एक तिहाई तक उपस्थिति सीमित रखने के उद्देश्य से रोस्टर तय करते समय समन्वित नियंत्रण

अधिकारी सप्ताह के दिनों के आधार पर अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य के घण्टे/पारी विभाजित कर आवश्यकतानुसार दैनिक रोस्टर तय कर सकेंगे। पारी व्यवस्था की स्थिति में दो पारियों के मध्य शासकीय निर्देशानुरूप समुचित अन्तराल रखा जावे, ताकि एक साथ कार्मिकों के एकत्र होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। इस अवधि में किसी भी कार्मिक को सामान्यतया मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी, उन्हें प्रशासनिक तौर पर अनुमति स्थितियों के अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान निजी कार्यवश घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

8. शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दे रहे समस्त निलम्बित/पदरक्षापन आदेशों की प्रतीक्षारत समस्त कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकन से छूट रहेगी। ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि में अपने वर्तमान वास-स्थान पर ही रहेंगे ताकि अनावश्यक आवागमन से लॉकडाउन का उद्देश्य बाधित न हो।

9. समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाइल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सएप्प, ई-मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।

10. जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट (संवेदनशील स्थान), कफर्यू क्षेत्र, वलस्टर्स इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए विशेष आदेश या प्रतिबन्ध इस आदेश द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर प्रभावशील रहेंगे अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं ऐसे क्षेत्रों में निवासरत कार्मिकों की सीमा तक यह आदेश सम्बंधित जिला कलेक्टर के आदेशों के अध्यधीन रहेगा। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र के निवासी कार्मिकों को घर से कार्य करने की स्थिति में रखा जाए।

11. लॉकडाउन सम्बन्धी नवीन शासकीय निर्देशानुसार निवास स्थान से कार्यालय आने-जाने की अनुमति के लिए कार्यालयी परिचय पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय वाहन, संविदा वाहन एवं निजी वाहनों को आधिकारिक परिचय पत्र दिखाए जाने पर यिनां किसी अतिरिक्त अनुमति पत्र के अनुमति

किया गया है। अतः जिन कार्मिकों के अभी तक परिचय पत्र नहीं बने हुए हैं वो अपने फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करके परिचय पत्र बनवा लें।

12. मुख्यालय के जिले से बाहर गए हुए कार्मिक/अधिकारी इस आदेश को प्रस्तुत करते हुए सम्बंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेकर मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

13. अधिक संभागित्व वाली बैठकें प्रतिवन्धित रहेंगी। सीमित संभागित्वयुक्त बैठकों में पारस्परिक दूरी संधारण सम्बन्धी निर्देशों की सम्यक पालना की जावे।

14. समस्त शिक्षा विभागीय कार्मिकों को ‘आरोग्य संतु ऐप’ के प्रयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जावे।

15. कार्मिकों में पारस्परिक निर्धारित न्यूनतम दूरी संधारित किए जाने के लिए भोजनावकाश एवं अन्य कारणों से कार्मिकों के एकत्र होने पर पूर्णतया प्रतिवन्ध रहेगा। कैण्टीन इत्यादि स्थानों पर भी चाय, अल्पाहार एवं भोजनादि के समय निर्धारित न्यूनतम पारस्परिक दूरी का ख्याल रखा जावे।

16. गुट्झा, तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं कार्यस्थल पर सार्वजनिक जगहों में थूकना सख्ती से प्रतिवन्धित एवं दण्डनीय होगा।

17. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में उपस्थित होने वाले कार्मिक/आगान्तुक (जिन्हें विशेष कारणों से बुलाया गया हो) को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

18. समस्त कार्यालयों में गृह विभाग के आदेशानुसार आवश्यक संक्रमणरोधी उपाय सुनिश्चित किए जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार तापमान जांच एवं सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जावे।

19. प्रतिदिन (पारी व्यवस्था की स्थिति में पारियों के मध्य अन्तराल के दौरान) समस्त कार्यालयों को संक्रमण-मुक्त (Sanitize) किया जावे।

20. सामान्यतः अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई की जावे। बार-बार हाथ धोने एवं स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को सामान्यवृत्ति में अपनाने के लिए भी कार्मिकों को प्रेरित किया जावे।

21. समस्त विभागीय अधिकारीगण उपर्युक्त विन्दुओं, शासकीय आदेश दिनांक: 15.04.2020 एवं समय-समय पर कोरोना महामारी के सम्बन्ध में जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की अपने अधिकार क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉकडाउन के लम्बे अन्तराल के बाद कार्यालय पुनः खुलने पर

लम्बित कार्यों का आवश्यकता एवं प्राथमिकतावार आकर्षण कर यथाशीघ निरतारण की कार्य योजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे।

६१
(रामरंग रवागी)
आई.ए.एस.

निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 17.04.2020

क्रमांक: शिविरा / माध्य / साप्र / बी-२ / विविध / 4418 / 68 / 337

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलकटर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा / पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) —माध्यमिक / प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ / संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि / राबाउमावि / रावामावि।
20. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को कार्यालय हाजा में उपर्युक्तानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
24. रक्षित पत्रावली।

६१
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेंट भिनाय जिला अजमेर

क्रमांक / उखभि / आपदा / कोरोना / 2020 / 5070

दिनांक:— 12.05.2020

निमित्त:—


श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
अजमेर

विषय— ग्राम स्तरीय पंचायत स्तरीय कमेटी व पंचायत स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय कमेटी व क्वारेनटाईन सेंटर की सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना मेरे उपखण्ड क्षेत्र भिनाय अन्तर्गत आने वाले ग्राम स्तरीय सतर्कता कमेटी व पंचायत स्तरीय कमेटी व पंचायत स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय आइसोलेशन/ क्वारेनटाईन सेंटर की सूचना सलांगन कर श्रीमान् की सेवा मेरे सादर प्रेषित है।

सलांगन :— उक्तानुसार


(संजू मीणा)
उपजिला मजिस्ट्रेट
भिनाय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार भिनाय
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिनाय
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिनाय


(संजू मीणा)
उपजिला मजिस्ट्रेट
भिनाय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मिनाय जिला अजमेर

पचायत स्तरीय आइसोलेशन / व्यारेटाईन सेंटर की सूचना

क्र.सं.	नाम पचायत	इन्टीट्युशनल आइसोलेशन / व्यारेटाईन सेंटर का नाम उपलब्ध कर्मसूल	बिजली की व्यवस्था	पानी की व्यवस्था
1	मिनाय	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाय	14 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
2	बादनवाडा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बादनवाडा	8 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
3	नागोला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोला	4 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
4	देवलियाकला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलियाकला	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
5	पड़ागा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ागा	2 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
6	कुम्हारिया	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारिया	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
7	सिंगावल	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगावल	13 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
8	एकलसिंगा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एकलसिंगा	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
9	पाड़लिया	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाड़लिया	4 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
10	बड़गांव	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
11	कनईकला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनईकला	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
12	नादसी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादसी	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
13	कैरेट	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरेट	12 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
14	सोबडी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोबडी	8 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
15	छुदसा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छुदसा	5 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
16	कराटी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कराटी	3 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
17	चापानेरी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चापानेरी	6 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
18	लामारा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लामारा	7 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
19	गुडाखुर्द	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडाखुर्द	4 पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है

22	धांतोल	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धांतोल	7	पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
23	बूबकिया	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूबकिया	6	पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है
24	बड़ली	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ली	7	पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है

उपर्युक्त अंकोंकारी
मिनाय

કાર્યાલય ઉપખણ્ડ અધિકારી ભિનાય જિલ્લા અજમેર

ગ્રામ સ્તરીય કમેટી

ક્ર.સ.	ગ્રામ પંચાયત કા નામ	શહેરસ્વ કા નામ	ગ્રામ અધ્યાપક કા નામ	મોબાઇલ નંબર	મોબાઇલ વાર્ડ પંચ કા નામ	મોબાઇલ નંબર	આગનવાડી કાર્યકર્તા કા નામ	મોબાઇલ નંબર
01.	ભિનાય	ભિનાય	શ્રી દેવેન્દ્ર ભિશા		શ્રી દુર્દાશામ માલી	9414928164	શ્રીમતિ શર્મિલા વૈખાંડત	9784054145
02.	છકુદરા	છકુદરા	શ્રી મહુદ દેશવાળી		શ્રી અચણ વૈરવા	9358196010	શ્રીમતિ રણતમબાર કવર	9166180685
	સેદરેયા	સરથાંપ	શ્રી બવલેશ જાટ		શ્રી રણજિત સિંહ	9680070407	શ્રીમતિ નૌરતી	8432235091
	જોરાવરસુરા	ધાંતોલ	શ્રી જિતોચ્ચ અગ્રવાલ		શ્રી કાનારામ ગુર્જર	9001015911	શ્રીમતિ તાસ વૈઘાંવ	9602051956
03.	ધાંતોલ	ચદમયગઢખણ્ડા	શ્રી માણી લાલ ખટીક		શ્રી સમા ગુર્જર	9829086695	શ્રીમતિ ઊંઝ દર્શે	48890296060
	યુઝરથાલા	યુઝરથાલા	શ્રી દેવીલાલ જાટ		શ્રીમતિ ધાપુ રાવત	9929868632	શ્રીમતિ દમયાંતી નાગર	8003705430
	એકલસિંગા	એકલસિંગા	શ્રી ગોપાલ માલી		શ્રી રામકૃષ્ણ ખાતરોલ	7849800724	શ્રીમતિ સરોજ કંબર	7568902084
04.	રાફલસિંગા	હિયાલિયા	શ્રી હિલિય સિહ કવિયા		શ્રી બાંનુ ગુર્જર	9928959435	શ્રીમતિ સીમા	9001050056
	ઝાબરકેયા	બનોડીયા	શ્રી અયુલ શર્મા		શ્રી કેંલાશ વૈરવા	9413072552	શ્રીમતિ રેખા વૈઘાંવ	9636789692
	રામમાલિયા	રામમાલિયા	શ્રી સુરેચ સિહ ગોડ		શ્રી મેલ રાવત	7877360422	શ્રીમતિ સુમિત્રા	9680491929
05.	રામનાથગંડે	રામનાથગંડે	શ્રી કુલરાજ કુન્હર		શ્રીમતિ રામુ દેવી	9602662242	શ્રીમતિ ચિતા કોઘરી	9602884524
	સોબડી	સોબડી	શ્રી રામદયાલ જોશી		શ્રી રામલાલ	9672402112	શ્રીમતિ ગોપાલી	7737006194
	હેસામુરા	હેસામુરા	શ્રી મનોજ તિવાડી		શ્રીમતિ પ્રેમ દેવી	9829422045	શ્રીમતિ નિરંજના	9649344511
	ધાણ	ધાણ	શ્રી નિખિલ તિવાડી		શ્રી રામદેવ પટેલ	9414333640	શ્રીમતિ શોમા રાવત	9929021441
	ચાર્વિલ્યા	ચાર્વિલ્યા	શ્રી અનિલ કુમાર		શ્રી કિશુ ગુર્જર	9414880994	શ્રીમતિ મીના વૈઘાંવ	7410808969
06.	પ્રાતાપપુરા	પ્રાતાપપુરા	શ્રી દિનેશ કુમાર રખણીકાર		શ્રી હરુગાન વૈરવા	9799550742	શ્રીમતિ કિરણ વૈરવા	9414550625
	કાંદનવાડા	કાંદનવાડા	શ્રી હરમેદ સિહ દેવલા		શ્રીમતિ પ્રેમ દેવી	9784128962	શ્રીમતિ સપ્તાહ ગુર્જર	9950762158
07.	વાંદનવાડા	વાંદનવાડા	શ્રી પવન કુમાર ધૂમસ		શ્રી રતનલાલ ગુર્જર	9982144818	શ્રીમતિ રેખા વૈરવા	9636495040
	રામેશવરસુરા	રામેશવરસુરા	શ્રી મહેશ કુમાર પારીક		શ્રી દેવેન્દ્ર ખીંચી	9414556755	શ્રીમતિ શુર્મિલા	9252088533

		श्री परसा राम	श्री न्यारसीलाल जाट	7690097810	श्रीमति मीरा	8233558771
08.	करांटी	श्री मकदूम अहमद	श्री प्रभु रावत	9983085857	श्रीमति सुनीता	9667142932
	गोवलिया	श्री सूर्यप्रकाश टेलर	श्री कालु सिंह रावत	9829564310	श्रीमति सुलेचना	7792897037
	गोपालपुरा	श्री रामप्रसाद भाष्मी	श्री हनुमान जाट	9636440775	श्रीमति चंदा रामा	9602456798
	प्रतापपुरा	श्री रामप्रसाद भाष्मी	श्रीमति संपति रावत	9929561217	श्रीमति भगवती	9462964001
09.	कुम्हारिया	श्री धीरोदास लाल गोस्वामी	श्री सत्तोष पारीक	8290848889	श्रीमति शशि	9660726757
	किटाप	श्री लक्ष्मण ईदास	श्रीमति मंजु गुर्जर	9784399882	श्रीमति दीपमाला	8947830424
10.	सुरजपुरा	श्री पवन कुमार धूमस	श्री मांगल भील	8290965120	श्रीमति श्यामा	8561939701
	राताकोट	श्री सत्यनारायण सोलकी	श्री रामकरण खटीक	9680337213	श्रीमति चंदा	8290130971
	झीमिया	श्री अविनाश वैष्णव	श्री हगामी भील	9166565077	श्रीमति सीता शर्मा	9929282316
11.	सिंगावल	श्री मुमताज अली	श्रीमति इन्द्रा देवी	7413093773	श्रीमति भवरी	8003982584
	खटाणो का	श्री मोट रफीक	श्री महवीर गुर्जर	9799631838	श्रीमति दुर्गा वैष्णव	8432646787
	खड़ो	श्री प्रभु लाल भील	श्रीमति लाल देवी	7878317184	श्रीमति प्रेम कवर	8890683075
12.	पडांगा	श्री गजेन्द्र सिंह	श्रीमति लीला देवी	8890509985	श्रीमति सरोज	8290207925
	सवाईमुरा	श्री काना राम	श्रीमति रेखा देवी	9829945322	श्रीमति लक्ष्मी	9636619480
	अर्जुनपुरा	श्री राकेश कुमार चौधरी	श्री मांगलाराम	9660249778	श्रीमति सुमित्रा	
	देवपुरा	श्री भवर लाल रेगर	श्री गोपाल सिंह	9414550622	श्रीमति शशि	9602048649
13.	देवपुरा	श्री हनुमान चौधरी	श्रीमति सतोष देवी	8949427280	श्रीमति बबली	9929543025
	अमरगढ़	श्री पूसा लाल चमार	श्री रामचन्द्र दरोगा	8000704048	श्रीमति मंजु	9680975228
	गोतीपुरा	श्री राकेश कुमार चौधरी	श्रीमति ललिता जाट	9252469846	श्रीमति सुशीला	8432875595
	गज्जनानाडी	श्री रामचन्द्र दरोगा	श्रीमति बरदी देवी	9460414560	श्रीमति जूमा गुर्जर	8432073503
	नागोला	श्री कैलाश चन्द धोबी	श्रीमति पूजा देवी	9672464444	श्रीमति सुशीला	
	बडला	श्री महिपाल सिंह	श्रीमति पूजा कुमार	9929726318	श्रीमति कमला	9461769535
	बालापुरा	श्री ओम प्रकाश भाष्मी	श्री कालुराम जाट	9636250496	श्रीमति सरस्वती	9667380013
	सपनीखेड़ा	श्री महिपाल सिंह	श्रीमति पूजा देवी	9352970434	श्रीमति सोनू	9829122926
	पाडलिया	श्री राकेश कुमार	श्रीमति गीता	7665359573	श्रीमति पुष्पा	9001613585
15.	मुडियाखेड़ा	मण्डोरवलिया	श्री जीतराज जाट	9680950905	श्रीमति विमला जाट	9680306771

	विलिया	श्री मुकेश माली	श्री प्रहलाद जाट	9784560375	श्रीमति लतानी	9660717118
16.	चावडिया	श्री भागचन्द जैन	श्री भैरुलाल	9636244067	श्रीमति प्रेम देवी	9829536267
	बडगांव	श्री हीरलाल	श्री महावीर माली	75685330699	श्रीमति पञ्च टेलर	9829012948
	रघुनाथपुरा	श्री धर्मेन्द्र चौधरी	श्रीमति लाला देवी	8239986844	श्रीमति कृष्णा शर्मा	9928116530
	कारयाखुर्द	श्री बाबू लाल जाट	श्रीमति गोहनी देवी	8696892801	श्रीमति रेखा	9928960992
17.	कोईकला	श्री लालाराम कुम्हर	श्री हेम सिंह	8696257684	श्रीमति निशा कंवर	8890405156
	कोईखुर्द	श्री रामस्वरूप बैरवा	श्रीमति रेखा देवी	8949471224	श्रीमति माया कंवर	8003319516
	निमोड़ा	श्री लोकेश मीणा	श्रीमति महेन्द्र खट्टिक	9636459294	श्रीमति उषा छीपा	9571829473
	धांडो का खेड़ा	श्रीनरेन्द्र कुमार वर्मा	श्रीमति हंसा देवी	9649933845	श्रीमति निर्मला	8890406194
	लझीपुरा	श्री अब्दुल कलाम	श्री भवरलाल गुर्जर	9649272704	श्रीमति सावित्री	9667966304
18.	केरोट	श्री नाथू लाल स्वर्णकार	श्री कैलाश जागिंड	9610345837	श्रीमति गायत्री शर्मा	9950682672
	कांदोलाई	श्री पंकज तिवाड़ी	श्रीमति कमलेशी गुर्जर	8769280593	श्रीमति नर्बदा	9680074896
	जैतुर्गा	श्री अविनश शर्मा	श्री रमेशवर कुमारत	9828159484	श्रीमति दुर्गा शर्मा	9602805765
	बूबकिया	श्री सत्यप्रकाश कछोट	श्री पुखराज गुर्जर	9928556831	श्रीमति स्नेहलता	9950500805
	खायड़ा	श्री निसार अहमद	श्रीमति तोला देवी	9660349009	श्रीमति मधुबाला	8769957108
19.	पीपलिया	श्री अख्तर खान	श्रीमति सीता बैरवा	9929311871	श्रीमति कुसुम शर्मा	9950025891
	सोलकंला	श्री रमेश कलवार	श्रीमति मनफूली	7357594818	श्रीमति सुगनी	9571834494
	रेणा	श्री दिनेश रेण	श्री शैतान भावी	7300214309	श्रीमति मैना	
	सोलखुर्द	श्री अभय सिंह पवार	श्री विष्णुलाल भीत	7568628748	श्रीमति रामकर	8875858419
20.	देवलियाकंला	श्री रामप्रसाद रेण	श्री गोपाल लाल गुर्जर	9950978203	श्रीमति पुष्पा शर्मा	8003246787
	माताजी का	श्री गोविन्द नारायण त्रिपाठी	श्री मुकेश गुर्जर	9950400413	श्रीमति गायत्री	8094347120
	खेड़ा	श्री मुकेश गुर्जर	श्रीमति गायत्री			
21.	बडली	श्री सतपाल जाट	श्री राम सिंह	7023490747	श्रीमति सीता शर्मा	8875588495
	नांदसी	श्री सत्य नारायण ओझा	श्री छोटे सिंह	9784505:60	श्रीमति अनुराधा	9660930520
22.	कुखथल	श्री शनि लाल जैन	श्री किशनगोपाल बलाई	9950118278	श्रीमति आशा	9602652770
	काचरिया	श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़	श्री सत्यनारायण	9166975693	श्रीमति सज्जना	9649662525

23.	ચાપોનરી	ચાપાનેરી	શ્રી રામગોપાલ વૈરવા	શ્રી રજનીશ કુમાર	9462559999	શ્રીમતિ સજ્જન	9929508736
	ગુડાખુર્ડ	શ્રી શાન્તિ લાલ રેગર	શ્રી ઉમાશકર	9680496679	શ્રીમતિ સાવિંગ્ઝ	9602051947	
24.	ગુડાખુર્ડ	ગુડાખુર્ડકંલા	શ્રી વિજય સિહ ચાસળ	શ્રી પ્રેમચંદ	9610819436	શ્રીમતિ લાદી સેન	8875858419
	ગુડાખુર્ડ	ગુડાખુર્ડ	શ્રી બાલુરામ કુમાર	શ્રી સુરતશામ જાડ	9950360590	શ્રીમતિ પરમેશ્વરી	8003246787
	ખેડી	ખેડી	શ્રી ઉમરાવ સિહ વારી	શ્રી ભાગવદ ગુર્જર	9672653729	શ્રીમતિ લાલ દેવી	8094347120
	પાડોલાઈ	પાડોલાઈ	શ્રી મદન લાલ રેગર	શ્રી શિવરાજ જાડ	8209856374	શ્રીમતિ માયા નાયક	8875588495
	લામગારા	લામગારા	શ્રી રામધન નગવાડા	શ્રી ધીરૂ જાડ	8003917387	શ્રીમતિ મંજૂ	9660930520
	ગનાહેડા	ગનાહેડા	શ્રી અશોક તેરથાલ	શ્રીમતિ સીતા દેવી	9214682569	શ્રીમતિ સુલોચના	9602652770
	નિમેઢા	નિમેઢા	શ્રી રામકીશન જાગિડ	શ્રીમતિ લાલી દેવી	8290143916	શ્રીમતિ મંજૂ છીપા	9649662525
25.	લામગરા	લામગરા	શ્રી સત્યનારાયણ વૈરવા	શ્રી પ્રધાન જાડ	9828113706	શ્રીમતિ અનિતા	9680074896
	બહુનાલ્યેડા	બહુનાલ્યેડા	શ્રી રાજેન્દ્ર કુમાર શર્મા	શ્રી લાદૂ કેરવા	9571970121	શ્રીમતિ હંસા	9929508736
	ખેળલ્યેડા	ખેલ્યેડા	શ્રી રાજેન્દ્ર કુમાર શર્મા	શ્રી મંહેદુ કુમારવાળ	9588219833	શ્રીમતિ મીનાલી	9602051947

ઉપખાંડ અધિકારી
મિનાય

कार्यालय उपस्थिति अधिकारी मिनाय. ड्रेजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

ब्लॉक स्टारीय आइसोलेशन / क्वारेंटाइन सेंटर की सूचना

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	इन्टीट्यूशनल आइसोलेशन / क्वारेंटाइन सेंटर का नाम	उपलब्ध करारे	बिजली की व्यवस्था	पानी की व्यवस्था
1	भिनाय	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाय	14	पूर्ण व्यवस्था है	पूर्ण व्यवस्था है


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

राजस्थान सरकार
गृह (मुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9 (16)गृह-5 / 2020

जयपुर, दिनांक 13.05.2020

आदेश

राज्य में कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के तहत राज्य में हाल ही आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजोज ऑर्डर्नेस, 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान परिथितियों अनुसार राज्य में होम क्वारनटीन व्यवस्था को सूचारू रूप से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए निम्न समितियां गठित की जाती हैं :-

राज्य स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री अमय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आयोजना होम क्वारनटीन व्यवस्था (डिजीटल) (क) रजिस्ट्रेशन एवं होम क्वारनटीन के आदेश (ख) ऑनलाईन/डिजीटल समीक्षा/निगरानी -CQAS एवं राज्य कोविड इन्फो (ग) क्वारनटीन का उल्लंघन (डिजीटल)	राज्य प्रभारी
3.	श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता होम क्वारनटीन सिरिटम की स्थानीय व्यवस्था (क) सुनिश्चित करना कि स्थानीय स्तर पर समस्त क्वारनटीन प्रबन्धन समितियां, स्थानीय निवासियों (resident committees) एवं समीक्षा व्यवस्था स्थापित हैं एवं सूचारू रूप से क्रियान्वील हैं। (ख) सामुदायिक चेताना (ग) आगमन/पंजीकरण आंकड़ों का मिलान (घ) होम क्वारनटीन उल्लंघन करने वालों को क्वारनटीन सेन्टर में भेजना/अन्य कार्यवाही	राज्य प्रभारी
4.	श्री राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/पंचायत स्तर पर क्वारनटीन केन्द्र स्थापित करना एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था	राज्य प्रभारी
5.	श्री भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास शहरी क्षेत्र के क्वारनटीन केन्द्र	राज्य प्रभारी
6.	श्री पी.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य राज्य भण्डारण निगम कोविड केयर सेन्टर (ब्लॉक/शहर/जिला मुख्यालय रतार)	राज्य प्रभारी
7.	श्री के.के. पाठक, सचिव, महिला अधिकारिता विभाग	सह प्रभारी

उक्त समिति जिलों में प्रवासियों के आगमन/रजिस्ट्रेशन एवं क्वारनटीन प्रबन्धन व्यवस्था की समीक्षा कर निर्धारित ग्रपत्र में राज्य स्तरीय दैनिक समीक्षा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को प्रस्तुत करेगी। उक्त रिपोर्ट में उच्चतम स्तर पर विचारणीय बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख होगा।

उपरोक्त समिति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 12 मई, 2020 के अतिक्रमण में है।

जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय सांसद(लोकसभा / राज्यसभा)	—	सदस्य
3.	जिले के विधायकगण	—	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	—	समन्वयक
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
7.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय	—	सदस्य
8.	जिला रसद अधिकारी	—	सदस्य
9.	आयुक्त, नगर परिषद	—	सदस्य
10.	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	—	सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
12.	जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी / जन प्रतिनिधि	—	सदस्य

जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

उक्त समिति निम्न कार्य करेगी :-

1. जिला/ब्लॉक रत्तर पर Covid Care Centre चिह्नित कर स्थापित करना
2. जिला मुख्यालय पर Covid Care Centre की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना
3. जिले के शेष Covid Care Centre की प्रबन्धकीय/ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
4. जिले के Quarantine Centre की प्रबन्धकीय/ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
5. जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, Screening एवं होम क्वारनटीन की समीक्षा
6. Home Quarantine/Quarantine केंद्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा
7. दैनिक आधार पर सूचना राज्य रत्तर पर प्रेषित करना
8. राज्य स्तरीय समिति के अन्य निर्देशानुसार

उपखण्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट	—	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय विधायक	—	सदस्य
3.	पुलिस उप अधीक्षक	—	सदस्य
4.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	—	सदस्य
5.	तहसीलदार	—	सदस्य
6.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
7.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
8.	अधीशासी अधिकारी, नगर पालिका	—	सदस्य
9.	प्रवर्तन अधिकारी / रसद	—	सदस्य
10.	जिला कलेक्टर/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य अधिकारी / जन प्रतिनिधि	—	सदस्य

उक्त समिति निम्न कार्य करेगी :-

1. ब्लॉक स्तर पर Covid Care Centre की स्थापना और उसकी प्रबंधकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था
2. उपखण्ड में प्रवासियों के ग्राम/वार्ड स्तर पर आगमन अनुसार पंजीकरण व Screening व्यवस्था सुनिश्चित करना व गहन पर्यवेक्षण करना
3. प्रत्येक गाँव/मोहल्ले आदि स्तर पर स्थानीय निवासियों की समिति क्रियान्वयील होने की समीक्षा
4. ग्राम/पंचायत स्तर पर स्थापित Quarantine केन्द्रों की व्यवस्था की नियन्त्र समीक्षा
5. होम क्वारनटीन की सुचारू व्यवस्था की समीक्षा
6. Home Quarantine/Quarantine केन्द्रों में उल्लंघन प्रकरणों की समीक्षा
7. निर्धारित प्रपञ्च में दैनिक सूचना जिला स्तर टीम (गृह विभाग के आदेश क्रमांक IT WAR ROOM/SPL-11 दिनांक 11.05.2020) को प्रस्तुत करना
8. जिला स्तरीय समिति के अन्य निर्देशानुसार

ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	-	संयोजक
2.	पटवारी	-	सह संयोजक
3.	सरपंच	-	सदस्य
4.	ग्राम विकास अधिकारी	-	सदस्य
5.	बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)	-	सदस्य
6.	बीट कानिस्टरबल	-	सदस्य
7.	ANM	-	सदस्य
8.	महिला पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	-	सदस्य
9.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि	-	सदस्य

वार्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति (नगरीय क्षेत्र)

1.	बूथ लेवल अधिकारी (BLO)	-	संयोजक
2.	स्थानीय पार्षद	-	सदस्य
3.	सफाई निरीक्षक	-	सदस्य
4.	बीट कानिस्टरबल	-	सदस्य
5.	ANM/स्वास्थ्य कार्यकर्ता	-	सदस्य
6.	आशा सहयोगिनी	-	सदस्य
7.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि	-	सदस्य

उक्त ग्राम/वार्ड स्तर समितियां निम्न कार्य करेंगी :—

1. ग्राम/मोहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारू रूप से क्रियान्वील होना सुनिश्चित करना
2. प्रत्येक प्रवासी, जिसका आगमन हुआ है, उसका पंजीकरण (फॉर्म-4) Screening एवं होम क्वारनटीन के आदेश जारी कर लागू कराना सुनिश्चित करना। इसका मुख्य दायित्व BLO का होगा
3. होम Quarantine व्यवस्था की गहन निगरानी व उल्लंघन करने वालों की सूचना SDM को तत्काल देना
4. स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से Quarantine केंद्रों की सुचारू प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल SDM को देना
5. दैनिक सूचना SDM को प्रस्तुत करना
6. SDM/उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्य निर्देशों की पालना करना

प्रवासियों के पंजीकरण एवं क्वारनटीन की शेष व्यवस्था गृह विभाग द्वासा आवागमन आदि व्यवस्था सम्बन्धी जारी SOP दिनांक 11.05.2020 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 अनुसार यथावत रहेगी।


(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकित्सा एवं रवारथ्य विभाग
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य मण्डारण निगम
7. सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आयोजना
8. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
9. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास
10. सचिव, महिला अधिकारिता विभाग
11. उप सचिव, मुख्य सचिव
12. समस्त कलेक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग


(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9 (16)गृह-5 / 2020

जयपुर, दिनांक 13.05.2020

आदेश

राज्य में कोविड-19 का प्रकोप है एवं इस बाबत राजस्थान एपिडेमिक डिजीजे झॉर्डिनेन्स, 2020 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 भी जारी कर दी गई है।

चूंकि राज्य में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन है एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से उक्त अध्यादेश की धारा 4(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रवासी, जिन्होंने हाल ही राज्य में प्रवेश किया है, अथवा आगामी दिनों में आने वाले हैं, के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. समस्त उपरोक्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण किया जायेगा।
2. स्क्रीनिंग में जिन प्रवासियों में कोविड-19 से सम्बन्धित किसी प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं, उनको क्वारनटीन अवधि/स्वरूप होने तक कोविड केयर सेन्टर में रखा जायेगा।
3. अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारनटीन करना सम्भव नहीं है, उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जायेगा। इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जाँच की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राजीव स्वरूप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव,
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
5. उप सचिव, मुख्य सचिव
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
8. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, समस्त रेज
9. समस्त कलेक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(पी.सी.बरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

कार्यालय उपर्युक्त अधिकारी एवं उपर्युक्त मंजिस्ट्रेट धोद मु०-सीकर
क्रमांक ५९३

दिनांक - १६-५-२०२०

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक ५९३ दिनांक 15.05.2020 के द्वारा कोविड 19 विभाग की सेवाओं में जा चले गए विवरणों द्वारा गिरफ्तार कार्मिकों ने से यहि संहेत्र से किसी कार्मिक की व्यक्ति लगातार पुनरावृत हो गयी है या विस्तीर्ण एकल भौतिक/विभाव/मनोवृती/या वर्ष से अप्रैल वर्ष की वाता/वर्षावा लेप विभाव की व्यक्ति लग गयी है या पीड़ितों द्वारा जारी आदेश के तहत कोविड 19 के रास्ते पर विस्तीर्ण कार्मिक ने लगातार एक माह तक छान्ती कर ली है या गुरुत्वावाली कारण से विस्तीर्ण पीड़ितों को यह समाजान दे जाता है कि वोइ कार्मिक कोविड 19 से संबंधित व्यक्ति करने में असमर्थ है तो उक्त वर्णित कार्मिकों के स्थान पर नवीन कार्मिकों को नियुक्ति द्वारा गिरफ्तार कर अधिकारियाँ इसको उत्तराल सुनित करें।

RJY
उपर्युक्त मंजिस्ट्रेट

धोद मु० सीकर

दिनांक:- १६-५-२०२०

क्रमांक:- ५९३

प्रतिलिपि-पालनार्थ

- गुरुत्वावाली विभाव अधिकारी धोद।
- कोर गुप्त अधिकारी (पीड़ितों) रामस्त. व्लॉक धोद
- रक्षित पत्रावली। पत्रांक-८४० दिनांक 16.05.20

कार्यालय, मुख्य व्लॉक शिक्षा अधिकारी, धोद (सीकर)

RJY
16/5/2020
उपर्युक्त मंजिस्ट्रेट

समस्त पीड़ितों, व्लॉक धोद (सीकर) को श्रीमान उपर्युक्त अधिकारी एवं उपर्युक्त मंजिस्ट्रेट, धोद (सीकर) का मूल आदेश धोद मु० सीकर अंजाकर लेख है कि श्रीप्रभावकाश में कोविड-१९ संक्रमण की रोकथाम ठेगुणाम स्तरीय नियमों द्वारा उपर्युक्त एवं माननीय निदेश द्वारा माध्यम शिक्षा विकाने के इस बाबत जारी विभिन्न आदेशों की अनुपलग्न में शिथिलता प्रदान करते हुए कार्मिकों की सुशोधित परिवर्तित सूची आज ती जारी करना सुनिश्चित करें एवं दोषधित कार्मिकों को भी सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्यालय को भी तत्काल सुनिश्चित करें। सभी पीड़ितों इस कार्म वी प्रभावी मोनिटरिंग करें।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9 / 2019

जयपुर दिनांक: 31.5.2020

आदेश

विषय :— लॉकडाउन 5.0 (दिनांक 1 से 30 जून, 2020) के क्रियान्वयन आदेश।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 30.5.2020 द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 30 जून, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स बनाई गयी हैं।

क्रमिक रियायतों के साथ एक लम्बी अवधि के लॉकडाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने और हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। तथापि वायरस से खतरा अभी भी जारी है। यह गाईडलाईन्स कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ऐहतियाति और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानी पूर्वक बहाली के सिद्धान्तों पर आधारित है एवं जनता द्वारा जिम्मेदार स्व-नियमन (Self Regulation) अपेक्षित है।

तदनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन्स जारी की जाती है:—

A. कन्टेनेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र
(Containment Zones / Curfew areas)

ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र की उपयुक्त पहचान की जायेगी एवं कन्टेनेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। यिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

इन गाईडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, जो आवश्यक हों, का निर्धारण करेंगे।

**B. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध
(Restriction Under Section 144 CrPC):**

रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

- (a) पुलिस / जिला प्रशासन / सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं।
- (b) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा / पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय / निजी) पारी / आपातकालीन ड्यूटी पर।
- (c) IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन / पुलिस से प्राप्त करना होगा)।
- (d) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।
- (e) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ)।
- (f) ट्रक / माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं का आवागमन या खाली लौट रहे हों।

सभी कार्य स्थल (दुकानें / कार्यालय / कारखाने आदि) उपयुक्त समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुच जायें, जब तक कि खुले रहने बाबत् जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो।

तथापि यह प्रतिबन्ध निम्न पर लागू नहीं होगा :

- (1) निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैकिट्रियाँ।
- (2) रात की पारी वाली फैकिट्रियाँ।
- (3) निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)

शर्तें : इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सड़क पर नहीं आयेगा

- (4) IT और ITeS कम्पनी।
- (5) दवा की दुकाने।

C. नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियां (Negative List / Prohibited Activities)

सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

- i. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अलावा यात्रियों के लिये सभी अन्राष्ट्रीय हवाई यात्राएँ।
- ii. मैट्रो रेल सेवाएँ।
- iii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम,एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
- v. सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन / अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएँ एवं बड़े सामूहिक आयोजन।
- vi. होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब हाउस (स्पोर्ट्स सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएँ और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक-अवे को छोड़कर, जो पहले से ही अनुमत हैं)।
- vii. शॉपिंग मॉल्स।
- viii. सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे।

D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety Prescriptions)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा :

- (1) सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है।

- (3) सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट—“दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनेटाईजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

- (1) जहाँ तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए।
- (2) कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंबे ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)।
- (4) सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (5) सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- (7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की कियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।



3. भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable People)

- (1) जनसंख्या के निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को भाग को कोविड-19 की विद्यमान परिस्थितियों में भेद्य व्यक्ति घरीकृत किया जाता है:
- 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति।
 - पुराने रोगों एवं सङ्खण्टा परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति।
 - गर्भवती महिलाएँ।
 - 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
- (2) ऐसे व्यक्तियों को यथा सम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाती है और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही बाहर जायें।
- (3) घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की अक्षरशः पालना करें।

E. अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities) :

1. विशिष्ट प्रतिबंधों / सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुमत गतिविधियां

निम्नांकित गतिविधियां नीचे वर्णित प्रतिबंधों के साथ अनुमत की जाती हैं:

i सभी दुकानें : निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ खोली जा सकती हैं :

(a) दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, बिक्री नहीं की जायेगी।

(b) दुकानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक दूरी (6 फीट दूरी) के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं हो अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना करने पर दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

ii प्रत्येक ग्राहक की सेवा के ऊपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि।

iii दुकान / स्टॉल / ठेला / कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा :

a- स्वच्छता / साफ सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जायेगा।



b- सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का संधारण किया जायेगा। व्यक्तियों का जमाव अनुमत नहीं होगा।

c- विशेष तौर पर नगर निकाय अधिकारीगण इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

iv पार्क/सामुदायिक पार्क निम्नांकित शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे :

(a) व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिये मुख्य द्वार खुले रखें जायें।

(b) सभी छूने / सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें ढका जा सकता है, ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम/झूले आदि।

(c) यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके बाबत निर्धारित प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा।

(d) सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जायेगी। एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी।

(e) पार्क के इन्वार्ज प्राधिकारी उपरोक्त शर्तों की पालना कराने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

v विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजनकर्ता पर निम्न शर्तें लागू होगी :

(a) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।

(b) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(c) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

vi अन्त्येष्टी / अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

2. सभी अन्य अनुमत गतिविधियां (All other Permitted Activities):

(1) ऊपर वर्णित भाग-सी की नकारात्मक सूची / नेगेटिव लिस्ट की गतिविधियों तथा ऊपर (1) के अनुसार विशिष्ट प्रतिबन्धों के साथ अनुमत गतिविधियों, के अलावा और सभी खुल / संचालित हो सकती हैं, बशर्ते किसी कानून, आदेश या विनियमन द्वारा निषिद्ध नहीं की गयी हो।

(2) सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे।

(3) निजी कार्यालय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। तथापि निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो "वर्क फ्रॉम होम" को प्रोत्साहित किया जाये।

3 ऊपर 1 एवं 2 में अनुमत की गयी गतिविधि के लिये पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी (जब तक कि विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया हो), निम्नांकित शर्तों के अधीन :

- (a) ऐसी ईकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा भाग-डी में निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी। भाग-ई.1 की ईकाईयां भी संबंधित गतिविधि के लिये विनिमित्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगी।
- (b) जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों / अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की सभी ईकाईयों द्वारा अनुपालना की जा रही है।
- (c) यह पाये जाने पर कि कोई ईकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है, उसे बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (d) कोई भी ईकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती हैं, के विरुद्ध लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी आदेशों की उल्लंघना करने के लिये सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

F. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :

- (i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति / अनुज्ञा / पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) अन्य सभी कामर्शीयल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अन्तर-राज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेंगी (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त)। परन्तु बस संचालक उत्तरदायी होगा कि निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के उत्तरने/चढ़ने एवं यात्रा से पूर्व/बाद में बस का पूर्ण सैनिटाईजेशन आदि की पूर्ण पालना हो।
- (v) अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।
- (vi) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

G. सामुदायिक जागरूकता/स्वयंसेवक

(Community Awareness / Volunteers):

- 1- कोविड-19 से मुकाबले हेतु अपनाये गये रोकथाम उपायों के लिये सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या उसे नहीं

अपनाना न केवल उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिये बल्कि दूसरे के लिये भी भारी हानिकारक हो सकता है। इसलिये संचार के सभी माध्यमों – प्रिन्ट और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के माध्यम से आवश्यक ऐतिहायिक उपायों पर लोगों को शिक्षित/जागरूक करने के साथ साथ उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एक बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम जनहित में प्रारम्भ किया जावे।

- 2- विद्यालय / महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाईन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं, वे अपने शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये दैनिक आवश्यक आदतों के भाग के रूप में आवश्यक हैं। जैसे कि:
 - (a) घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस आने तक चेहरे पर मास्क / कवर पहनना।
 - (b) एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का करने का व्यवहार एवं सुनिश्चित करें।
 - (c) हाथों को साबुन एवं पानी से बार बार धोना तथा किसी सार्वजनिक सम्पर्क की सतह को जैसे दरवाजा, हैण्डल आदि को छूने के पश्चात आवश्यक रूप से हाथ धोना / सेनेटाईज़ करना।
- 3 गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्वैच्छिक और समुदाय अथवा अन्य संगठनों और समूहों को पूरे जोश के साथ इस संदेश को प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- 4 जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सेवकों की सूची तैयार करे जो सुविधाजनक स्थान पर आमजन को सामाजिक दूरी के साथ साथ फेस मास्क / कवर पहनने के संबंध में लोगों को समझाइश कर सकें।

H. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।


 (राजीव स्वरूप) ३१/३/२०
 अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जैल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(पी.सी.वेरवाल) १५८८०
विशिष्ट शासन सचिव, मृह

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9 / 2019

जयपुर दिनांक: 31.5.2020

आदेश

विषय :— लॉकडाउन 5.0 (दिनांक 1 से 30 जून, 2020) के क्रियान्वयन आदेश।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 30.5.2020 द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 30 जून, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स बनाई गयी हैं।

क्रमिक रियायतों के साथ एक लम्बी अवधि के लॉकडाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने और हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। तथापि वायरस से खतरा अभी भी जारी है। यह गाईडलाईन्स कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ऐहतियाति और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानी पूर्वक बहाली के सिद्धान्तों पर आधारित है एवं जनता द्वारा जिम्मेदार स्व-नियमन (Self Regulation) अपेक्षित है।

तदनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन्स जारी की जाती है:—

A. कन्टेनेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र
(Containment Zones / Curfew areas)

ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र की उपयुक्त पहचान की जायेगी एवं कन्टेनेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। यिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

इन गाईडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, जो आवश्यक हों, का निर्धारण करेंगे।

**B. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध
(Restriction Under Section 144 CrPC):**

रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

- (a) पुलिस / जिला प्रशासन / सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं।
- (b) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा / पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय / निजी) पारी / आपातकालीन ड्यूटी पर।
- (c) IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन / पुलिस से प्राप्त करना होगा)।
- (d) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।
- (e) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ)।
- (f) ट्रक / माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं का आवागमन या खाली लौट रहे हों।

सभी कार्य स्थल (दुकानें / कार्यालय / कारखाने आदि) उपयुक्त समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुच जायें, जब तक कि खुले रहने बाबत् जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो।

तथापि यह प्रतिबन्ध निम्न पर लागू नहीं होगा :

- (1) निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैकिट्रियाँ।
- (2) रात की पारी वाली फैकिट्रियाँ।
- (3) निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)

शर्तें : इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सड़क पर नहीं आयेगा

- (4) IT और ITeS कम्पनी।
- (5) दवा की दुकानें।

C. नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियां (Negative List / Prohibited Activities)

सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

- i. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अलावा यात्रियों के लिये सभी अन्राष्ट्रीय हवाई यात्राएँ।
- ii. मैट्रो रेल सेवाएँ।
- iii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम,एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
- v. सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन / अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएँ एवं बड़े सामूहिक आयोजन।
- vi. होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब हाउस (स्पोर्ट्स सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएँ और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक-अवे को छोड़कर, जो पहले से ही अनुमत हैं)।
- vii. शॉपिंग मॉल्स।
- viii. सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे।

D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety Prescriptions)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा :

- (1) सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है।

- (3) सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट—“दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनेटाईजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

- (1) जहाँ तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए।
- (2) कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंबे ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)।
- (4) सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (5) सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- (7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की कियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।



3. भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable People)

- (1) जनसंख्या के निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को भाग को कोविड-19 की विद्यमान परिस्थितियों में भेद्य व्यक्ति घरीकृत किया जाता है:
- 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति।
 - पुराने रोगों एवं सङ्खण्टा परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति।
 - गर्भवती महिलाएँ।
 - 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
- (2) ऐसे व्यक्तियों को यथा सम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाती है और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही बाहर जायें।
- (3) घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की अक्षरशः पालना करें।

E. अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities) :

1. विशिष्ट प्रतिबंधों / सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुमत गतिविधियां

निम्नांकित गतिविधियां नीचे वर्णित प्रतिबंधों के साथ अनुमत की जाती हैं:

i सभी दुकानें : निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ खोली जा सकती हैं :

(a) दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, बिक्री नहीं की जायेगी।

(b) दुकानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक दूरी (6 फीट दूरी) के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं हो अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना करने पर दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

ii प्रत्येक ग्राहक की सेवा के ऊपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि।

iii दुकान / स्टॉल / ठेला / कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करना आवश्यक होगा :

a- स्वच्छता / साफ सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जायेगा।



b- सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का संधारण किया जायेगा। व्यक्तियों का जमाव अनुमत नहीं होगा।

c- विशेष तौर पर नगर निकाय अधिकारीगण इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

iv पार्क/सामुदायिक पार्क निम्नांकित शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे :

(a) व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिये मुख्य द्वार खुले रखें जायें।

(b) सभी छूने / सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें ढका जा सकता है, ताकि उनका उपयोग नहीं किया जाये, जैसे खुले जिम/झूले आदि।

(c) यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके बाबत निर्धारित प्रतिबंध इन पर भी जारी रहेगा।

(d) सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जायेगी। एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी।

(e) पार्क के इन्वार्ज प्राधिकारी उपरोक्त शर्तों की पालना कराने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

v विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजनकर्ता पर निम्न शर्तें लागू होगी :

(a) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।

(b) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(c) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

vi अन्त्येष्टी / अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

2. सभी अन्य अनुमत गतिविधियां (All other Permitted Activities):

(1) ऊपर वर्णित भाग-सी की नकारात्मक सूची / नेगेटिव लिस्ट की गतिविधियों तथा ऊपर (1) के अनुसार विशिष्ट प्रतिबन्धों के साथ अनुमत गतिविधियों, के अलावा और सभी खुल / संचालित हो सकती हैं, बशर्ते किसी कानून, आदेश या विनियमन द्वारा निषिद्ध नहीं की गयी हो।

(2) सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे।

(3) निजी कार्यालय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। तथापि निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो "वर्क फ्रॉम होम" को प्रोत्साहित किया जाये।

3 ऊपर 1 एवं 2 में अनुमत की गयी गतिविधि के लिये पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी (जब तक कि विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया हो), निम्नांकित शर्तों के अधीन :

- (a) ऐसी ईकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा भाग-डी में निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी। भाग-ई.1 की ईकाईयां भी संबंधित गतिविधि के लिये विनिमित्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगी।
- (b) जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों / अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की सभी ईकाईयों द्वारा अनुपालना की जा रही है।
- (c) यह पाये जाने पर कि कोई ईकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है, उसे बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (d) कोई भी ईकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती हैं, के विरुद्ध लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी आदेशों की उल्लंघना करने के लिये सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

F. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :

- (i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति / अनुज्ञा / पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) अन्य सभी कामर्शीयल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अन्तर-राज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेंगी (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त)। परन्तु बस संचालक उत्तरदायी होगा कि निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के उत्तरने/चढ़ने एवं यात्रा से पूर्व/बाद में बस का पूर्ण सैनिटाईजेशन आदि की पूर्ण पालना हो।
- (v) अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।
- (vi) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

G. सामुदायिक जागरूकता/स्वयंसेवक

(Community Awareness / Volunteers):

- 1- कोविड-19 से मुकाबले हेतु अपनाये गये रोकथाम उपायों के लिये सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या उसे नहीं

अपनाना न केवल उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिये बल्कि दूसरे के लिये भी भारी हानिकारक हो सकता है। इसलिये संचार के सभी माध्यमों – प्रिन्ट और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के माध्यम से आवश्यक ऐतिहायिक उपायों पर लोगों को शिक्षित/जागरूक करने के साथ साथ उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एक बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम जनहित में प्रारम्भ किया जावे।

- 2- विद्यालय / महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाईन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं, वे अपने शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये दैनिक आवश्यक आदतों के भाग के रूप में आवश्यक हैं। जैसे कि:
 - (a) घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस आने तक चेहरे पर मास्क / कवर पहनना।
 - (b) एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का करने का व्यवहार एवं सुनिश्चित करें।
 - (c) हाथों को साबुन एवं पानी से बार बार धोना तथा किसी सार्वजनिक सम्पर्क की सतह को जैसे दरवाजा, हैण्डल आदि को छूने के पश्चात आवश्यक रूप से हाथ धोना / सेनेटाईज़ करना।
- 3 गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्वैच्छिक और समुदाय अथवा अन्य संगठनों और समूहों को पूरे जोश के साथ इस संदेश को प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- 4 जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सेवकों की सूची तैयार करे जो सुविधाजनक स्थान पर आमजन को सामाजिक दूरी के साथ साथ फेस मास्क / कवर पहनने के संबंध में लोगों को समझाइश कर सकें।

H. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।


 (राजीव स्वरूप) ३१/३/२०
 अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जैल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(पी.सी.वेरवाल) १५८८०
विशिष्ट शासन सचिव, मृह

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय — आदेश

मुख्यमंत्री, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस रिलीज दिनांक : 21.3.2020 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकासपाल एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : प.1(1) विस्ता/ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक : 22.03.2020 के कम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के समस्त कार्यालय, राजकीय / निजी विद्यालय, छात्रावास एवं समस्त अन्य संस्थान दिनांक : 31.03.2020 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्मिक/शिक्षक विना नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्थान/विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

इस अवधि के दौरान सभी कार्यालयों, विद्यालयों/संस्थानों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। अत्यावश्यक कार्यवश ड्यूटी हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों की स्थिति घर से कार्य करने (**Work from Home**) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस अवधि में किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (**Work from Home**) की रहेगी, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। समस्त कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान/कार्मिक उक्तानुसार जिला प्रशासन/नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने—अपने मोबाइल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सअप, ई—मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 22.03.2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/276

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।

7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–समस्त।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. समस्त पीईईओं/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
19. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/

दिनांक 20.05.2020

:आदेश:

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के पत्रांक प.33(2) गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 18.5.2020 द्वारा समस्त राजस्थान में लॉकडाउन दिनांक 18 से 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसी अनुक्रम में शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों/ विद्यालयों/ संस्थानों में उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.04.2020 के अधिक्रमण में निम्नलिखित नवीन निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. राजकीय विद्यालयों में नॉन वेकेशन स्टाफ (भवालयिक कर्म., सहा.कर्म. आदि) उपस्थित होंगे।
2. गैर सरकारी विधातय निर्धारित सीमा में स्टाफ के साथ केवल कार्यालय कार्य हेतु खुल सकेंगे।
3. अन्य संस्थान (IASE, DIET, शा.शि.महाविद्यालय इत्यादि) में शिक्षण एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधिया बंद रहेंगी। संस्थान गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोनवार निर्धारित सीमा तक केवल नॉन वेकेशन स्टाफ के साथ कार्यालय कार्यों के लिए खुल सकेंगे।

ब्लॉक, जिला तथा संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल एवं निदेशालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। स्टाफ के सम्बन्ध में गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.5.2020 में निर्धारित सीमाएं लागू रहेंगी।

शेष समस्त निर्देश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.4.2020 के अनुसार अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/

दिनांक 20.05.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पटेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर/अजमेर।
8. समस्त प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
9. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
10. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर।
11. समस्त PEEO/संस्था प्रधान रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि./रा.बा.मा.वि।।
12. सिस्ट एनलिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टाफ आफिसर निदेशक निजी अनुभाग कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।


निदेशक माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 22.03.2020 एवं अनुवर्ती आदेश दिनांक: 31.03.2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को दिनांक: 14.04.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप पूर्णत बन्द रखे जाने (लॉकडाउन) के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक : 40-3 / 2020-ठीएम-1(ए) दिनांक: 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 33(2)गृह-9 / 2019 जयपुर, दिनांक: 15.04.2020 के अनुकम में दिनांक: 19.04.2020 तक लॉकडाउन सम्बन्धी उक्त पूर्ववर्ती निर्देश निरन्तर प्रभावी रहेंगे। तदनन्तर दिनांक: 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समयावधि हेतु निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रदान किए जाते हैं:-

1. समस्त राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर. के, भवन तथा समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
2. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में इस आदेश के अनुसरण में बुलाए गए अधिकारी/ कार्मिकों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यक होने पर ई-मेल इत्यादि आधुनिक ऑनलाइन संचार माध्यमों को उपयोग में लिया जा सकेगा।
3. विन्दु संख्या: 01 में वर्णित संस्थान/विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे एवं गृह विभाग के आदेश दिनांक: 15.04.2020 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. विन्दु संख्या: 03 में वर्णित कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, लेखा, सारियकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/ कर्मचारी कार्यालयों में नियमित उपरिवृत्ति देंगे। शेष मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपरिवृत्ति एक समय में एक तिलाई से अधिक न हो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रण अधिकारी रोटर तय करेंगे।
5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्बन्धित अनुभाग/ ग्रुप/ नियंत्रण अधिकारी उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाए जाने हेतु अधिकृत होंगे।

21

6. एक तिहाई तक उपस्थिति सीमित रखने के उद्देश्य से रोस्टर तय करते समय सम्बन्धित नियंत्रण

अधिकारी सप्ताह के दिनों के आधार पर अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य के घण्टे/पारी विभाजित कर आवश्यकतानुसार दैनिक रोस्टर तय कर सकेंगे। पारी व्यवस्था की स्थिति में दो पारियों के मध्य शासकीय निर्देशानुरूप समुचित अन्तराल रखा जाये, ताकि एक साथ कार्मिकों के एकत्र होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। इस अवधि में किसी भी कार्मिक को सामान्यतया मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी, उन्हें प्रशासनिक तौर पर अनुमति स्थितियों के अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान निजी कार्यवश घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

8. शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दे रहे समस्त निलम्बित/पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षारत समस्त कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकन से छूट रहेगी। ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि में अपने वर्तमान वास-स्थान पर ही रहेंगे ताकि अनावश्यक आवागमन से लॉकडाउन का उद्देश्य बाधित न हो।

9. समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाइल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सएप्प, ई-मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।

10. जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट (संवेदनशील स्थान), कफर्यू क्षेत्र, वलस्टर्स इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए विशेष आदेश या प्रतिबन्ध इस आदेश द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर लिवाशील रहेंगे अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं ऐसे क्षेत्रों में निवासरत कार्मिकों की सीमा तक यह आदेश सम्बंधित जिला कलेक्टर के आदेशों के अध्यधीन रहेगा। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र के निवासी कार्मिकों को घर से कार्य करने की स्थिति में रखा जाए।

11. लॉकडाउन सम्बन्धी नवीन शासकीय निर्देशानुसार निवास स्थान से कार्यालय आने-जाने की अनुमति के लिए कार्यालयी परिचय पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय वाहन, संविदा वाहन एवं निजी वाहनों को आधिकारिक परिचय पत्र दिखाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त अनुमति पत्र के अनुमति

किया गया है। अतः जिन कार्मिकों के अभी तक परिचय पत्र नहीं बने हुए हैं वों अपने फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करके परिचय पत्र बनवा लें।

12. मुख्यालय के जिले से बाहर गए हुए कार्मिक/अधिकारी इस आदेश को प्रस्तुत करते हुए सम्बंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेकर मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

13. अधिक संभागित्व वाली बैठकें प्रतिवन्धित रहेंगी। सीमित संभागित्वयुक्त बैठकों में पारस्परिक दूरी संधारण सम्बन्धी निर्देशों की सम्यक पालना की जावे।

14. समस्त शिक्षा विभागीय कार्मिकों को "आरोग्य सेतु ऐप" के प्रयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जावे।

15. कार्मिकों में पारस्परिक निर्धारित न्यूनतम दूरी संधारित किए जाने के लिए भोजनावकाश एवं अन्य कारणों से कार्मिकों के एकत्र होने पर पूर्णतया प्रतिवन्ध रहेगा। कैण्टीन इत्यादि स्थानों पर भी चाय, अल्पाहार एवं भोजनादि के समय निर्धारित न्यूनतम पारस्परिक दूरी का ख्याल रखा जावे।

16. गुटश्चा, तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं कार्यस्थल पर सार्वजनिक जगहों में थूकना सख्ती से प्रतिवन्धित एवं दण्डनीय होगा।

17. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में उपस्थित होने वाले कार्मिक/आगन्तुक (जिन्हें विशेष कारणों से बुलाया गया हो) को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

18. समस्त कार्यालयों में गृह विभाग के आदेशानुसार आवश्यक संक्रमणरोधी उपाय सुनिश्चित किए जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार तापमान जांच एवं सुविधाजनक रथानों पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जावे।

19. प्रतिदिन (पारी व्यवस्था की रिथ्ति में पारियों के मध्य अन्तराल के दौरान) समस्त कार्यालयों को संक्रमण-मुक्त (Sanitize) किया जावे।

20. सामान्यतः अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई की जावे। यार-यार हाथ धोने एवं स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को सामान्यवृत्ति में अपनाने के लिए भी कार्मिकों को प्रेरित किया जावे।

21. समस्त विभागीय अधिकारीगण उपर्युक्त विन्दुओं, शासकीय आदेश दिनांक 15.04.2020 एवं समय-समय पर कोरोना महामारी के सम्बन्ध में जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की अपने अधिकार क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉकडाउन के लम्बे अन्तराल के बाद कार्यालय पुनः खुलने पर

202

लम्बित कार्यों का आवश्यकता एवं प्राथमिकतावार आकर्षन कर यथाशीघ्र निरतारण की कार्य योजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें।

६१
(रौरक रवामी)
आई.ए.एम.

निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 17.04.2020

क्रमांक: शिविरा / माध्य / साप्र / बी-२ / विविध / 4418 / ६८ / ३३७

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
३. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
४. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
५. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
६. समस्त जिला कलकटर।
७. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
८. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
९. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
१०. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
११. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
१२. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा / पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
१३. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) —माध्यमिक / प्रारम्भिक।
१४. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
१५. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
१६. समस्त प्रधानाचार्य।
१७. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
१८. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
१९. समस्त पीईईओ / संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि / राबाउमावि / राबामावि।
२०. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
२१. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को कार्यालय हाजा में उपर्युक्तानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
२२. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
२३. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
२४. रक्षित पत्रावली।

६१
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—::आदेशः—

शिविरा पंचांग वर्ष : 2019–20 में प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाएं (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) लॉकडाउन के उपरान्त दिनांक : 24.06.2020 से विद्यालय स्टाफ हेतु खोली जा चुकी है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक : 30.06.2020 द्वारा राजस्थान राज्य हेतु अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020) के क्रियान्वन आदेशान्तर्गत सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रखे जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त शासकीय निर्देशों के अनुसरण में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :—

- समस्त शिक्षण संस्थाओं में 31 जुलाई, 2020 तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कक्षा शिक्षण संबंधी विद्यालयीन गतिविधियां बन्द रहेगी। विद्यार्थियों हेतु स्वयं से संबंधित प्रवेश, टी.सी., कक्षोन्नति प्रमाण-पत्र एवं अंक तालिका प्राप्त करने जैसे आवश्यक कार्यों के अलावा विद्यालय आवागमन निषेध रहेगा।
- उक्त अवधि में विद्यालय के समस्त कार्मिक कार्यदिवसों में विद्यालय संचालन समय के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं इस दौरान विद्यालय से संबंधित विभिन्न आवश्यक कार्य संपादन के साथ-साथ लंबित कार्यों का निष्पादन भी सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभिन्न करणीय कार्यों का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22473/मिड-डे-मील/2018 दिनांक : 19.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि के दौरान का खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) कक्षा- 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना तथा उक्तानुरूप स्टॉक रजिस्टर का मिलान एवं अद्यतन संधारण।
2. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा-स/पर्यावरण/2017/91 दिनांक : 25.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप समस्त विद्यालयों में “पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना” निर्माण तथा वर्षात्रितु के आगमन को देखते हुए विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य।
3. विद्यालय में समन्वित / समीपवर्ती / कैचमेट एरिया में स्थित आंगनबाड़ियों से संपर्क कर कक्षा-1 में प्रवेश योग्य विद्यार्थियों के नव-प्रवेश तथा विगत वर्ष विभिन्न कक्षाओं में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का विद्यालय में पुनर्नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु दिनांक : 01 से 15 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा कैचमेट एरिया में विद्यालय प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय में आयु के अनुरूप प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा।
4. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा-मा/माध्य/शालादर्पण/60304(2)/2016-17/198 दिनांक : 22.06.2020 द्वारा विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न मॉड्यूल्स में वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि के संबंध में शाला दर्पण प्रभारी के साथ अन्य कार्मिकों/शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्देशानुरूप संस्था प्रधान द्वारा संबंधित प्रभारी गण एवं शाला दर्पण प्रभारी के मार्फत विभिन्न प्रपत्रों तथा मॉड्यूल्स में विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों की अद्यतन पूर्ति का कार्य उक्त अवधि के दौरान संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. इस दौरान ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं पूर्व से संचालित स्मार्टल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऑनलाईन शिक्षण गतिविधियां पूर्ववत् संचालित रहेंगी।

6. इस अवधि में विद्यालय में सत्र : 2019-20 के दौरान अध्ययनरत रहे कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र तथा कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र के साथ अंक तालिका का वितरण आवश्यक रूप से कर दिया जाए।
7. इस अवधि में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित समर्त शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करते हुए प्रशिक्षण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
8. उक्त अवधि में बोर्ड परीक्षा उत्तर पुरितका मूल्यांकन संबंधी समर्त कार्यों में संबंधित संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।
9. विगत सत्र में किए गए भुगतानों से संबंधित आहरण एवं वितरण रजिस्टर का ऑनलाईन विलों से मिलान एवं पै-पोर्टिंग रजिस्टर में इन्द्राज की कार्यवाही का सत्यापन।
10. विद्यालय के समर्त कार्मिकों की सेवा पुरितकाओं का अद्यतन संधारण एवं लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के निरतारण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
11. विद्यालय योजना निर्माण तथा उसकी समीक्षा।
12. विद्यालय की विभिन्न रोकड़ पुस्तिकाओं (यथा— राजकीय रोकड़
13. / विद्यार्थी कोप/ एसडीएमसी/ एसएमसी) के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन।
14. विद्यालय के लंबित अंकेक्षण आक्षेपों की पालना एवं पूर्ति की सुनिश्चितता।
15. विद्यार्थियों से संबंधित एस.आर. रजिस्टर का अद्यतन संधारण।

उपर्युक्त निर्देशों की समर्त संबंधितों द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :— ३०.०६.२०२०

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/विधिध दिवस/2018/236

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी संघिव, शासन संघिव, रक्तूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, रक्तूल शिक्षा एवं राजस्थान रक्तूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन संघिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल रॉपटर्स रक्तूल बीकानेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. समर्त संभागीय रायुक्त निदेशक, रक्तूल शिक्षा।
9. समर्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समर्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक/प्रारंभिक।
11. समर्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. समर्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संरक्षा प्रधान को निर्देशों की पालना एवं क्रियान्वयित हेतु
समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
13. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर

क्रमांक :- मुजिशिअ / अज / सामान्य / राष्ट्रीय कार्यक्रम / 2020/ २१० दिनांक :- ४-५-२०२०

01. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक अजमेर।

02. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला – अजमेर

विषय :- कोविड 19 के संदर्भ में तृतीय सर्वे बाबत।

प्रसंग :- क्रमांक/जिपअ/2020/2257-2258/दिनांक :- 07.05.2020

विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के प्रासंगिक पत्रानुसार दिनांक 09.05.2020 को समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आबादी क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के कर्मचारीयों द्वारा सर्वे किया जाना है। आप द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में भी दिनांक 21.03.2020 एवं 04.04.2020 को सर्वे किया जा चुका है। पूर्व भी भाँति प्रत्येक घर-घर सर्वे किया जाना सुनिश्चित करे ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में आप द्वारा नियुक्त किए गये वार्ड प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

सर्वे निम्नानुसार किया जाएगा।

प्रपत्र-अ (संलग्न)

इस प्रपत्र में साधारण सर्दी, जुखाम, सरदर्द, बुखार, श्वास अवरोध के व्यक्तियों को सूची बद्द किया जाएगा।

प्रपत्र-ब (संलग्न)

इस प्रपत्र में दिनांक 01.05.2020 एवं उसके बाद जो व्यक्ति बाहर से आये हैं। उनकी सूचना दी जानी है। बाहर से आने का अर्थ किसी अन्य ग्राम/शहर/जिले/राज्य से आने का है।

प्रपत्र-द (संलग्न)

यह Formate No 4 है जो कि DOIT द्वारा आनलाइन अपलोड किया जाता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों का भरना है जो दिनांक 26.04.2020 एवं उसके पश्चात् राजस्थान राज्य से बाहर से आये हैं। यह प्रपत्र अंग्रेजी के Times New Roman Font में ही भरा जाना है।

प्रपत्र-स (संलग्न)

इस प्रपत्र को पूर्व की भाँति कार्यालय द्वारा समेकित रूप से भेजा जाएगा।

समस्त प्रपत्रों की सॉफ्ट एवं हार्ड कापी सीबीईओ/डीईओ मुख्यालय द्वारा समेकित कर इस कार्यालय को मेल की जाएगी एवं संबंधित उपर्युक्त अधिकारी को भी मेल की जाएगी। कोई भी पीईईओ/संस्थाप्रधान सीधे जिला स्तर पर सूची मेल नहीं करेंगे।

संलग्न उपरोक्तानुसार


(देवी सिंह) ४/५/२०२०

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
अजमेर

प्रतिलिपि :-

01. श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर।
02. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
03. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर।
04. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर।
04. रक्षित पत्रावली।


(अजय कुमार गुप्ता) ०८.५.२०२०

सहायक निदेशक
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
अजमेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

फलांक / जिप्रम / 2020 / २२५७ - २२५८

दिनांक 7-5-2020

सहायक निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), अजमेर।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक), अजमेर।

घिष्य :- सामान्य रवास्था सर्वे/होमआइसोलेशन कार्य हेतु निर्देश।

प्रसंग :- राजस्थान सरकार गृह (पुप-९) विभाग के प.३३(२)गृह-९/2019 दि. 26.04.2020 के ग्रन्थ में।

जैसा कि आपको घिष्यित है कि देश वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में/शहरी क्षेत्रों में सामान्य सर्वे करवाया जाकर दो विन्दुओं (1) सर्दी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, श्वास लेने में दिवकरत वाले व्यक्तियों की पहचान (2) दिनांक 01.05.2020 से अन्य जिलों से आए/अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों की पहचान की जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जानी है। यह सर्वे कार्य कंफगू ग्रन्थ क्षेत्र को छोड़ते हुए तत्काल पूरा किया जाना है।

सामान्य सर्वे जिसमें परिवार के सदस्यों से आपसी बातचीत के आधार पर यह पता लगाया जायेगा कि परिवार का कोई सदस्य सर्दी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, श्वास लेने में दिवकरत से सम्बन्धी कठिनाई महसूस करता हो तो ऐसे सभी व्यक्तियों का अंकन इस हेतु निर्धारित प्रपत्र (3) में किया जायेगा।

क्र. सं.	मकान नं.	मकान में निवासित परिवारों की संख्या	किसाने परिवारों की उस मकान में तर्ह रिपोर्ट भरी गई	सर्दी, जुखाम, बुखार, श्वास लेने में दिवकरत वाले क्षेत्रों का प्रकार (सर्दी, जुखाम, बुखार, श्वास लेने में दिवकरत स्टीफ या व्यक्तिशक्त के पूर्व में दिखाया गया/स्क्रीनिंग कराई गयी)		व्यापक विवरण	मोबाइल नंबर	दि. तिथि
				नाम होमी	श्वास लेने का प्रकार (सर्दी, जुखाम, बुखार, श्वास लेने में दिवकरत स्टीफ या व्यक्तिशक्त के पूर्व में दिखाया गया/स्क्रीनिंग कराई गयी)			

- पूर्व में जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 1360-1393 दिनांक 04.04.20 से होम आइसोलेशन हेतु बता — यह व्यवस्थाएं की जानी है, उनके बारे में विस्तार से बताया गया था, जो पुनः इस पत्र के माध्यम से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। जो विन्दु संख्या 3 से 11 तक निम्नानुसार है।
- आपदा प्रवर्चन अधिनियम 2005 की घारा 33 में दी गयी व्यक्तियों को अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में होम आइसोलेशन पर नजर रखने हेतु आदेश पत्रांक 1360-1393 दिनांक 04.04.20 में उकित कार्मिकों को इस बाबत ड्यूटी पर आईसोलेशन पर नजर रखने हेतु आदेश पत्रांक 1360-1393 दिनांक 04.04.20 से उकित कार्मिकों को इस बाबत ड्यूटी पर दोपहर 1 से रात्रि 7 बजे तक ड्यूटी पर कार्य कर रहे हैं।
- उक्त कार्मिक पूर्ववत उस घर की पहचान करें तथा होम आइसोलेटिंग व्यक्ति को देखकर उसकी पहचान करें तथा उक्त कार्मिक पूर्ववत उस घर के पारी में दो कार्मिक लगाये हुए हैं, जिसमें से एक प्रातः 7 से दोपहर 1 तक एवं दूसरा दोपहर 1 से रात्रि 7 बजे तक ड्यूटी पर कार्य कर रहे हैं।
- यदि ऐसा कोई व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उपर्युक्त अधिकारी के कन्ट्रोल रूम पर एवं पलाइंग स्क्यूड को सूचित करें।
- उपरोक्त कार्मिक यह होम आइसोलेशन स्थल पर पहुंच जायेंगे तो Text Msg./Whatsapp Msg. से Block Control Room जो कि ब्लॉक में बनाया जाएगा पर सूचना भेजी जाएगी। यदि उक्त कार्मिक ड्यूटी पूर्ण कर वापस Control Room तो नी सदैया भेजकर जाएगा कि वह अब जा रहा है। ऐसा कार्मिक दूसरी पारी के लिए लगाए गए कार्मिकों के आने लाईगा तो नी सदैया भेजकर जाएगा कि वह अब जा रहा है। ऐसा कार्मिक दूसरी पारी गी अपनी उपस्थिति ऊपर बताये अनुसार Control Room ही अपना ड्यूटी स्थल छोड़ेगा, दूसरी पारी में लगाया गया कार्मिक गी अपनी उपस्थिति ऊपर बताये अनुसार Control Room को भेजेगा। पूर्व नियुक्त कार्मिक जिन्हे पीईईओ/सीबीईओ द्वारा लगाया गया था, वे तब तक कार्यमुक्त नहीं होंगे। जब तक कि इस आदेश से नियुक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति होम आइसोलेटिंग स्थान पर नहीं दे देंगे।
- गुरुह 9 बजे एवं दिन में 3 बजे उक्त Block Control Room यह सूचना भेजेगा कि कितने कार्मिकों को आना था कितने आए तथा कितने मामलों में होम आइसोलेशन को Breack किया गया है, तथा किसके द्वारा किया गया उसका नाम पता भी भिजायेगा। उक्त Block Control Room ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को सेनेटाइजर/मास्क/एवं अन्य आवश्यक सूचियाएं भी दिलवाएंगा।
- साथ ही उक्त कार्मिक यह भी सूचित करेंगे कि व्या गांव में कोई व्यक्ति/व्यक्ति रागू हॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? उक्त सूचना भी उपर्युक्त अधिकारी के Control Room OR Flying Squad को देंगे। तथा सम्बन्धित थानाधिकारी को पूर्व में जिला गजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर अजमेर के पत्रांक 2166-79 दिनांक 18.04.2020 के अनुसरण में एक आई आर हेतु सूचना देंगे।
- दिनांक 01.05.2020 से अब तक कोई अन्य व्यक्ति बाहर से (रथानीय जिले/अन्य जिलों/अन्य राज्यों से) आया हो तो उसकी सूचना प्रपत्र (3) में राग्यनिया पीईईओ को देंगे।

क्र. सं.	नाम	विलास नाम	पृष्ठा	संलग्न नं.	किसान जाहा से आया		किसान दिनांक से आया
					अजमेर जिले में किसान जाहा से (विलास का नाम)	संलग्न के अन्वयिते की आया (उस जिले का नाम/गांव)	

9. शिक्षा विभाग के पीईओ/पंचायत राज के पीईओ यदि अन्यत्र दृष्टी पर नियुक्त नहीं है तो सुपरविजन का कार्य करेंगे तथा होम आईसोलेशन डॉटी पर लगे गार्मिकों की उपरिधि पर नजर रखेंगे। (यदि पंचायत प्रसार अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो विकास अधिकारी रो चर्चा कर नियुक्त करें)।
10. मुख्य स्लॉक शिक्षा अधिकारी पूर्ण सूचना उपलब्ध अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-रा के अनुसार) दोपहर 4 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम उपलब्ध	कुल आईसोलेटिड व्यक्ति	कुल मकान	कुल जिन्हे निगरानी होना लगाया गया	कार्मिक इनकी हेतु लगाया गया	आज उपरिधि कार्मिक	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके हारा होम आईसोलेशन गया	होम आईसोलेशन ब्रेक गामलों में की गई कार्यवाही
1								
2								
3								

11. राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्र के साथ प्रपत्र -द सलांग कर इस पत्र के साथ भिजवाया जा रहा है, जिसमें विवरण दर्ज करने हेतु निर्देश निम्नानुसार है –

- प्रपत्र-द के कॉलम न. 2 में क्यारानटाईन कोटेगरी में होम आईसोलेशन को अंकित किया जाना है।
- समस्त डाटा अंग्रेजी भाषा के Times of Roman font में भरा जाना है। डाटा एकसेल शीट में तैयार किया जाना है (पीईओ/स्लॉक में किया जाना है)।
- शहरी क्षेत्र में बार्ड का अंकन किया जावे एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/ग्राम पंचायत का अंकन किया जाना है।
- यदि एक परिवार में मुखिया के अलावा 2 वयस्क रादस्य व 3 सदस्य नावालिंग हैं तो प्रवास विवरण में वयस्कों के विवरण के साथ उनके पृथक्-पृथक् मोबाइल नम्बर दिया जाना है।
- कॉलम संख्या 15 व 16 में Latitude & Longitude दर्ज करने हेतु अपने स्मार्ट फोन से प्ले स्टोर में जाकर NoteCam एप्लिकेशन डाउनलोड कर संकेतित/संदिग्ध व्यक्ति के घर के बाहर खड़े होकर उसके घर/उसकी फोटो इस एप्लिकेशन के माध्यम से लेनी होगी। इस एप में फोटो खेंचते समय Latitude & Longitude एवं समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। यदि कोई अद्यापक इस बारे में सहयोग प्राप्त करना चाहे तो स्थानीय ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक से सम्पर्क कर सकते हैं। इस बायत अद्यापक सूचना विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- यदि ऐसा कोई प्रवासी व्यक्ति कोविड-19 पोजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आया है, और ऐसे प्रवासी व्यक्ति को जानकारी हो तो ऐसे कोविड प्रोजिटिव व्यक्ति का नाम/नॉ. न. प्रपत्र के कॉलम संख्या 22 व 23 में विवरण दर्ज किया जाना है।

विश्व मोहन शर्मा

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

दिनांक

क्रमांक/जिपअ/2020/
प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
- अति. कलक्टर (प्रथम/शहर), अजमेर।
- आयुक्त, नगर निगम अजमेर।
- उपलब्ध अधिकारी (समस्त), अजमेर।
- दिक्षांग अधिकारी (समस्त), अजमेर।
- मुख्य दर्बार शिक्षा अधिकारी (समस्त), अजमेर।
- प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, अजमेर।

विश्व मोहन शर्मा

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

काम्पिका

ਪ੍ਰਪਤ ਅ

कामङ्गलय

૧૫

S. No	Quarantine Category * (HOME/ INSTITUTION AL)	From Date (dd-mm-yyyy)	To Date (dd-mm-yyyy)	Full Name	Gender * (MALE/ FEMALE)	Date of Birth (dd-mm-yyyy)	Rural/ Urban	District Name	TEhsil,	BLOCK	GPOWA RD	Address	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

S. No.	Mobile	Reason for Quarantine	Source State (* when Migration (Within India))	State	Date of Arrival (dd-mm-yyyy) (* when Migration (Within India))	Name of CO+VE Person (* when CONTACT WITH CO+VE)	CO+VE Person Mobile Number (* when CONTACT WITH CO+VE)	SOURCE COUNTRY (* when INTERNATIONAL TRAVEL)	DATE OF ARRIVAL IN INDIA (dd-mm-yyyy) (* when INTERNATIONAL TRAVEL)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

फ्रमांक: प.33 (2)गृह-9 / 2019

जायपुर, दिनांक: 26.04.2020

जिला कलेक्टर (समरत)


विषय :- लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से राजरथान में आ रहे राजरथान के मूल निवासी - महत्वपूर्ण निर्देश।

ऐसा ज्ञात में आया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अन्य राज्यों से राजरथान के मूल निवासी अपने राज्यों से परमिट आदि लेकर याहनों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं एवं अपने शहर/ गाँव जा रहे हैं, एवं इस प्रवृत्ति की आगामी दिनों में घढ़ने की सम्भावना है। इस स्थिति में राज्य के लोगों की कोरोना संक्रमण से बचाव करने के उद्देश्य से निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थापित की जावे : -

1. राज्य के सीमा याले जिलों में चैकपोरट रथापित की जावे, जहाँ समरत आगन्तुकों का रजिस्ट्रीकरण हो, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नम्बर आदि अंकित हो। इस बायत् आपको पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. चूंकि ये व्यक्ति अपने निजी साधनों से सीधे अपने घर पहुँच सकते हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को नहीं होती, अतः यह आयरथक है कि रथानीय रूपर पर मौहल्लों एवं गाँवों में सुदृढ़ सूचना तंत्र हो, जिससे कि इस अवधि में कोई भी गाथा व्यक्ति आये, तो उसके बारे में सूचना रथानीय प्रशासन को गिल सके, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति आगामी 14 दिनों तक होग क्यारनटीन में रहें।
3. प्रत्येक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके पास ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध हो जो यह तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को नियमित रूप से देगा। पटवारी को इस कार्य में BLO (तृ॔थ लेगल अधिकारी) राहायता करेगा। शहरी क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था रथापित की जाये। जिला कलेक्टर इस बायत् आदेश जारी करेंगे।
4. रथानीय रागुदाय में जन धेतना विकसित की जाए कि वे भी अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी याहर का व्याप्ति आता है तो उसकी रूपना रथानीय प्रशासन को हो एवं ये 14 दिनों के लिए अपने पार के अन्दर ब्यारनटीन में रहें। साथ ही यदि कोई ऐसा व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसकी भी रूपना यह तत्काल


रथानीय प्रशारान को दे, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को घर से हटाकर प्रशारान के Isolation Centre में रखा जा सके।

5. कुछ ऐसे गाँव हैं, जहाँ रथानीय लोग बाहर से आ रहे व्यक्तियों को गाँव में प्रवेश नहीं करने दे रहे। ऐसी स्थिति में वहाँ किसी खूल आदि भवन में क्वारनटीन सेन्टर बनाया जाये, जहाँ पर बाहर से आये व्यक्तियों को ठहराया जा सके एवं वहाँ के खाने-पीने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी रथानीय लोगों को दिया जाये।


(राजीव सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ऐसु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग
4. समरत सम्भागीय आयुक्त
5. समरत महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, रेज
6. समरत पुलिस अधीक्षक


अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/

दिनांक 20.05.2020

:आदेश:

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के पत्रांक प.33(2) गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 18.5.2020 द्वारा समस्त राजस्थान में लॉकडाउन दिनांक 18 से 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसी अनुक्रम में शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों/ विद्यालयों/ संस्थानों में उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.04.2020 के अधिक्रमण में निम्नलिखित नवीन निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. राजकीय विद्यालयों में नॉन वेकेशन स्टाफ (भवालयिक कर्म., सहा.कर्म. आदि) उपस्थित होंगे।
2. गैर सरकारी विधातय निर्धारित सीमा में स्टाफ के साथ केवल कार्यालय कार्य हेतु खुल सकेंगे।
3. अन्य संस्थान (IASE, DIET, शा.शि.महाविद्यालय इत्यादि) में शिक्षण एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधिया बंद रहेंगी। संस्थान गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोनवार निर्धारित सीमा तक केवल नॉन वेकेशन स्टाफ के साथ कार्यालय कार्यों के लिए खुल सकेंगे।

ब्लॉक, जिला तथा संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल एवं निदेशालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। स्टाफ के सम्बन्ध में गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.5.2020 में निर्धारित सीमाएं लागू रहेंगी।

शेष समस्त निर्देश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.4.2020 के अनुसार अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/

दिनांक 20.05.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पटेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर/अजमेर।
8. समस्त प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
9. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
10. प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर।
11. समस्त PEEO/संस्था प्रधान रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि./रा.बा.मा.वि।।
12. सिस्ट एनलिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टाफ आफिसर निदेशक निजी अनुभाग कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।


निदेशक माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / शाप्र / बी-२ / विविध / 4418 / 68 /

दिनांक: 06.05.2020

-:: आदेश ::-

इस कार्यालय के लॉक डाउन विषयक समसंख्यक आदेश दिनांक: 22.03.2020 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों को पूर्णतः बंद (लॉक डाउन) रखते हुए कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर घर रो कार्य करने (वर्क फॉम होम) की स्थिति में रखा गया था। तदुपरांत लॉक डाउन अवधि में कुछ कार्मिकों के लॉक डाउन लागू होने से पूर्व से ही अवकाश, राजकीय यात्रा अथवा रविवारीय अवकाश के कारण एवं कुछ कार्मिकों द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न परिस्थितिवश एवं कुछ अन्य कार्मिकों द्वारा मुख्यालय पर रहने के आदेशों की अवहेलना कर बिना अनुमति मुख्यालय से अन्यत्र प्रस्थान की स्थितियां राखना में आई।

इस स्थिति में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020 दिनांक: 12.04.2020 के द्वारा लॉक डाउन की परिस्थिति को देखते हुए कार्मिकों को लंबी यात्रा न करने हेतु निर्देशित करते हुए जिला प्रशासन रो केवल मुख्यालय पर उपलब्ध शिक्षकों में से ही कोविड-19 संबंधी ड्यूटी लगाये जाने की अपेक्षा की गई थी एवं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने हेतु कार्मिकों की वास्तविक अवस्थिति की सूचना ली गई थी।

लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों के वेतन आहरण एवं कोविड-19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत विभिन्न रत्नों से वांछित भागदर्शन के संबंध में एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश/पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्याग:-

जिन कार्मिकों ने नियंत्रण अधिकारी की पूर्वानुमति से अवकाश अथवा मुख्यालय अवकाश लेकर लॉक डाउन लागू होने से पूर्व मुख्यालय परित्याग किया था एवं लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सके या लॉक डाउन अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन किया, उन्हें आवेदित अवकाश अवधि पूर्ण होने तक के लिए नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जावे एवं शेष लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे।

2. बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्याग:-

आदेश दिनांक 22.03.2020 के निर्देशों के विपरीत परिस्थितिवश बिना पूर्वानुमति मुख्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों को सम्बंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भविष्य में बिना पूर्वानुमति मुख्यालय न छोड़ने के लिए पाबन्द करते हुए लॉक डाउन अवधि का वेतन आहरित किया जावे, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आदेश दिनांक 12.04.2020 के बाद बिना युक्तियुक्त कारण एवं पूर्वानुमति के गुख्यालय छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय को सूचना भिजावाई जावे।

3. मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक:-

लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जो कार्मिक लॉक डाउन अवधि में कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, संबंधित मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी उन्हें 16 मई, 2020 के पश्चात ड्यूटी हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर ड्यूटी से राहत दिलायें।

4. मुख्यालय से बाहर गये कार्मिकों की मुख्यालय वापसी एवं कोविड-19 ड्यूटी:-

द्विन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर रहे समस्त कार्मिक/शिक्षक 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति की एवज में इन्हें उपार्जित अवकाश देय नहीं होंगे। संबंधित मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी द्विन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत कोविड-19 ड्यूटी से मुक्त किये गये कार्मिकों को छोड़कर मुख्यालय पर उपस्थित शेष समस्त कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 16 मई, 2020 के पश्चात ड्यूटी लगाये जाने हेतु तत्काल उपलब्ध करायें। 15 मई, 2020 तक मुख्यालय पर नहीं पहुंचने

वाले कार्मिकों की सूची संभागीय संयुक्त निदेशक स्तर पर समेकित कर 20 मई, 2020 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सनिश्चित करेंगे।

5. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की मुख्यालय पर उपस्थिति:-

5. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का मुख्यालय भर उत्तराखण्ड के आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक: 4307 जयपुर, दिनांक: 03.04.2020 के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर युप का अध्यक्ष नामित किया गया है, अतः समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) अपनी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर आदेशों की पालना करेंगे।

6. मिड-डे-मील प्रभारः—

मिड-डे-मील प्रभार- बिन्दु संख्या-3 के अनुसार यदि पोषाहार प्रभारी को 16 मई, 2020 के पश्चात् डियूटी से राहत दी जाती है तो संबंधित संरक्षा प्रधान/PEEO स्टॉक में उपलब्ध सामग्री एवं अभिलेख का सत्यापन कर अन्य कार्यक्रम को प्रभार हस्तान्तरण के उपरान्त ही मुक्त कर सकेंगे।

३ बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड-१९ संबंधी डयूटी:-

बोर्ड परीक्षा अथवा कोविड-19 संबंधी ड्यूटी:-
 बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने की स्थिति में किसी भी कार्मिक/शिक्षक की परीक्षा संबंधी कार्य या अन्य किसी राजकार्य हेतु अथवा कोविड-19 सम्बन्धी किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाई जाने पर तत्काल उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(सौरभ स्वामी)
आड.ए.एस.

आइ.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 06.05.2020

सिविजा / साध्य / साप्र / बी-२ / विविध / 4418 / 68 /

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
प्रतिलिपि (उत्तरांग प्रभारी) राजस्थान सरकार जयपुर

- प्रातालाप** : ११. नामकरण है विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।

 - विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
 - समस्त जिला कलवटर।
 - सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
 - निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
 - समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
 - समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
 - समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
 - समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
 - समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
 - समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
 - समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राजमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
 - सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 - रक्षित पत्रावली।

AB

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रवासीयों [नॉन एनएफएसए] के सर्वेक्षण हेतु निर्देशिका

भूमिका :- कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योगों धंधों तथा उसमे कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य [गेहूं] का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रवासियों को ईमित्र पोर्टल पर सर्वे फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।

पार्ट : 1 (स्वीकृत श्रेणीयां)

कोविड-19 [कोरोना वायरस] की परिस्थिति के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं उसमे कार्यरत कार्मिकों की श्रेणीयां :-

1. हेयर सलून में कार्य करने वाले कार्मिक |
2. कपडे धुलाई एवं प्रेस करने वाले कार्मिक |
3. फूटवेयर मरम्मत / पालिश करने वाले कार्मिक |
4. घरों में साफ़ सफाई / खाना बनाने वाले कार्मिक |
5. ऐसे व्यक्ति जो चौराहो पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर खाते हैं।
6. रिक्षा / ऑटो चलाने वाले व्यक्ति |
7. पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति |
8. रेस्टोरेंट / होटल में वेटर / रसोईया |
9. रही बिनने वाले व्यक्ति |
10. भवन निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिक |
11. कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे हुए श्रमिक |
12. प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राईवर / कंडक्टर
13. ठेला/ रेहड़ी वाले / स्ट्रीट वेंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल न हो |
14. धार्मिक संस्थाओं में पूजा / इबादत कर्म कांड एवं धार्मिक कार्य कराने वाले व्यक्ति |
15. ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह/ निकाह एवं अन्य धार्मिक कार्य सम्पन्न कराते हैं।
16. मैरिज पैलेस / केटरिंग में कार्य करने वाले कार्मिक |
17. सिनेमा हॉल में काम करने वाले कार्मिक |
18. कोचिंग संस्थानों के सफाई/ सहायक का कार्य करने वाले कार्मिक |
19. विवाह समारोह आदि में बैंड/ ढोल बजाने वाले कार्मिक / घोड़ी वाले / गाने बजाने वाले

20. नागिनों / आभूषण / चूड़ियों के काम में लगे श्रमिक ।
21. फर्नीचर के काम में लगे श्रमिक ।
22. बुक बाईंडर / प्रिंटिंग प्रेस कार्य में लगे श्रमिक ।
23. सभी प्रकार की रंगाई / पुताई [डाइंग/कलरिंग आदि] के काम में लगे श्रमिक ।
24. पर्यटन गाइड का काम करने वाले ।
25. कठपुतली का खेल दिखाने वाले एवं बनाने वाले व्यक्ति।
26. ईट भट्टों में लगे श्रमिक ।
27. फूल-मालाओं का काम करने वाले श्रमिक ।
28. टायर पंचर बनाने वाले श्रमिक ।
29. पत्तल-दोने बनाने के काम में लगे श्रमिक ।
30. घुमंतू / अर्ध घुमंतू व्यक्ति।
31. गाड़िया - लुहार
32. झूले वाले
33. खेल तमाशा दिखाने वाले / जादू करतब दिखाने वाले
34. लोक कलाकार - कालबेलिया, मांगनियार इत्यादि।
35. कुली / हमाल
36. मिट्टी के बर्तन बनाने वाले
37. अन्य

पार्ट : 2 (सर्वे फॉर्म का प्रारूप)

कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी/विशेष श्रेणी के चिन्हीकरण हेतु प्रपत्र

1. जन आधार/आधार नम्बर
 2. परिवार के मुखिया का नाम परिवार में कुल सदस्य
(जन आधार के अनुसार)
 3. मोबाइल नम्बर ई-मेल एड्रेस
 4. आवासीय पता
-
5. गृह राज्य
व्यवसाय/आजीविका
 6. व्यवसाय के स्थान का पता
 7. यदि किसी संस्थान में कार्यरत है तो उसके मालिक का नाम यह मोबाइल नं।

(व्यावसायिक संस्थान यथा— होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा/हेयर सेलून/रिक्शा/ऑटो चालक/बन्द उद्योगों के श्रमिक/मैरिज पैलेस/केटरिंग के कार्य करने वाले कार्मिक/
कोचिंग संस्थान/प्रिंटिंग प्रेस/ईट-भट्टे)
 8. संस्थान का पता
 9. क्या परिवार का कोई भी सदस्य बाहर रोजगार/व्यवसाय/नीकरी करता था? अर्थात्
क्या परिवार में कोई भी सदस्य प्रवासी है?
यदि हां, तो उसका नाम एवं आधार नम्बर
 10. बैंक खाता संख्या बैंक का नाम
 11. डाटा एन्ट्री कर्ता का नाम
मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त समस्त सूचनाएँ सही हैं। कोविड-19 के कारण
मेरे परिवार का रोजगार प्रभावित हुआ है।

(परिवार के मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर)

पार्ट : 3 (ईमित्र सेवा तथा कमीशन)

ईमित्र पोर्टल पर निम्न सेवा का चयन करे

Service Type : Utility

Service : Third party Service

Department : Department of Food And Civil Supplies

Service Name: Non NFSA Covid19 food Survey

कमीशन :-


उक्त सेवा के लिए प्रत्येक ट्रांसजेक्शन के लिए रूपये 6.00 कमिशन दिया जाएगा जो की विभाग द्वारा आपको देय होगा।
आवेदक से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाना है।

पार्ट : 4 (सेवा की प्रक्रिया)

Step 1 – सेवा का चयन करे

The screenshot shows a user interface for selecting services. At the top, there are tabs for 'Dashboard', 'SERVICES', and 'Avail Service'. Below these, a search bar contains the text 'Non NFSA COVID19 food survey' with a magnifying glass icon. A tooltip or placeholder text '(गैर एनएफएसए कोविड नपनीन खाद्य सर्वेक्षण)' is visible next to the search bar.

Step 2 – Re-direct के लिए Ok पर क्लिक करे



Step 3 – निम्न स्क्रीन ओपन हो जायेगी

The screenshot shows a search interface for migrant and non-NFSA families. At the top, there is a header 'Migrant and Non-NFSA Families' with a sub-header 'Migrant and Non-NFSA Families'. Below this, a question 'Migrant Movement *' has a radio button selected, with the text 'राजस्थान के मूल निवासी हैं, या राजस्थान आना चाह रहे हैं' displayed in red. A section labeled 'सर्च करे *' contains three radio button options: 'जन-आधार', 'आधार', and 'रजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर'. To the right of these options is a search input field containing 'संख्या दर्ज करे' and a red search button with a magnifying glass icon labeled 'सर्च'.

Step 4 – आवेदक की जन आधार संख्या / आधार संख्या / रैजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले और "Search" पर क्लिक करे

The screenshot shows a search interface for migrant families. At the top, there's a header with the text "Migrant and Non-NFSA Families". Below it, a search bar has the placeholder "Search *". To the right of the search bar is a red button with a magnifying glass icon labeled "Search". The search bar contains the text "95xxxxxx89". Above the search bar, there's a note in red: "राजस्थान के मूल निवासी हैं, या राजस्थान आना चाह रहे हैं". Below the search bar, there are three radio buttons: "Jan-Aadhar" (unselected), "Aadhar" (unselected), and "Rajisthan Mobile Number" (selected). The mobile number entered is "95xxxxxx89".

Step 5 – आवेदक की जन आधार संख्या / आधार संख्या / रैजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर सर्च करने पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम स्क्रीन पर आ जाएगा, मुखिया का चयन करे


A modal dialog box titled "Select a Family Member". It contains a table with four columns: Name, Gender, and two empty columns. There are four rows of data, each with a radio button next to the name. The names are partially redacted. The genders are listed as "Female", "Male", "Female", and "Male". At the bottom of the dialog are two buttons: "Verify And Fetch Detail" and "Cancel".

Name	Gender		
○ [REDACTED]	Female		
○ [REDACTED]	Female		
○ [REDACTED]	Female		
○ Sushil [REDACTED]	Male		

A modal dialog box titled "Select a Family Member". It contains a table with four columns: Name, Gender, and two empty columns. There are four rows of data, each with a radio button next to the name. The names are partially redacted. The fourth row, which contains the name "Sushil [REDACTED]" and is marked with a blue radio button, is highlighted with a yellow background. At the bottom of the dialog are two buttons: "Verify And Fetch Detail" and "Cancel".

Name	Gender		
○ [REDACTED]	[REDACTED]		
○ [REDACTED]	[REDACTED]		
○ [REDACTED]	[REDACTED]		
○ Sushil [REDACTED]	Male		

Step 6 – आवेदक की मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करे, और OK पर क्लिक कर आगे बढ़े



Step 7 – अब परिवार के सदस्यों की बेसिक जानकारी दिखने लग जाएगी, यदि इन सदस्यों में से कोई माइग्रेंट है तो चेक बॉक्स में Yes का चयन करे नहीं तो No चयन करे | Yes का चयन करने पर सदस्यों के नाम के आगे चेक बॉक्स दिखने लग जाएगा। दोनों स्क्रीन नीचे दिखाई गयी है।

Basic Information

Name*	Gender*	Age*
Sushil [REDACTED]	Male	42
Name*	Gender*	Age*
[REDACTED]	Female	[REDACTED]
Name*	Gender*	Age*
[REDACTED]	Female	[REDACTED]
Name*	Gender*	Age*
Sakham [REDACTED]	Male	[REDACTED]

क्या इनमें से कोई माइग्रेंट है ? Yes No

Basic Information

Name*	Gender*	Age*
<input type="checkbox"/> Sushil [REDACTED]	Male	42
Name*	Gender*	Age*
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Name*	Gender*	Age*
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Name*	Gender*	Age*
<input type="checkbox"/> [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

क्या इनमें से कोई माइग्रेंट है ? Yes No

Step 8 – अब परिवार के सभी सदस्यों के व्यवसाय की जानकारी दी जानी है। स्क्रीन नीचे देखें। यहाँ “स्वयं का व्यवसाय” अथवा “अन्य के व्यवसाय” में से चयन करें, तथा मांगी गयी जानकारी दर्ज करें, दोनों स्क्रीन नीचे दिखाई गयी हैं।

Sushil [REDACTED]

अपने व्यवसाय की जानकारी दे • (● स्वयं का व्यवसाय ○ अन्य के व्यवसाय में चयन करें)

राज्य:	ज़िला:	पौरी ज़िला:
Select	-जापन करें-	
मोकाशत नंबर:	व्यवसाय की तीव्री:	
	Select	

Sushil [REDACTED]

अपने व्यवसाय की जानकारी दे • (● स्वयं का व्यवसाय ○ अन्य के व्यवसाय में चयन करें)

राज्य:	ज़िला:	पौरी ज़िला:
RAJASTHAN	JAIPUR	Muhana Mandi, Jaipur
मोकाशत नंबर:	व्यवसाय की तीव्री:	
[REDACTED]	पाइपेट प्रॉफेशनल ट्रान्सपोर्ट में कार्यालय ब्रॉडबैटर / कॉलक्टर	

Sushil [REDACTED]

अपने व्यवसाय की जानकारी दे • (● स्वयं का व्यवसाय ○ अन्य के व्यवसाय में चयन करें)

राज्य:	ज़िला:	पौरी ज़िला:
RAJASTHAN	JAIPUR	Muhana Mandi Road Jaipur
व्यवसाय के मालिक का नाम:	व्यवसाय के मालिक का मोकाशत नंबर:	व्यवसाय की तीव्री:
Ram	[REDACTED]	पान की दुकान जलाने वाले व्यवसाय

Step 9 – अंत में ऊपर भरी जानकारी ठीक है, के लिए चेक बॉक्स पर टिक करें

Self Declaration

The information provided by me is true to the best of my knowledge

धन्यवाद

Step-by-Step procedure of Uploading the MIGRANT (Inward) data in FORM-4 of COVID19 STATISTICS application under RajSSO using any Govt. Employee SSOID

1. Login to RajsSO using your SSOID (Govt. SSOID only)

Rajasthan Single Sign On v1.0.2
One Digital Identity for all Applications

G2G APPS
195

G2C/ G2B APPS
126

IDENTITIES
18947076

rajeev.gujral

9 7 8 9 3 4 Enter Captcha

Forgot my Digital Identity (SSOID)... Click Here
Forgot my Password... Click Here

Please ensure that Mobile No./Email ID/V. Karmashala

RAJASTHAN GOVERNMENT

RAJASTHAN SINGLE SIGN ON v1.0.2 GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Government Of Rajasthan


Helpdesk Details | Website Policies | Password Policy | FAQ | Sitemap

3.0.1 - 195.5.14

2. Look for "COVID19 STATISTICS" application under "Active Apps" section



3. Click the app icon to open it and then click on "District Quarantine Statistics (FORM-4)" on the left hand side in the menu bar for accessing the data entry form for inward migrants.



4. FORM-4 will be displayed as shown below.

The screenshot shows the 'FORM-4 : DETAILS OF PERSONS IN HOME/ INSTITUTIONAL QUARANTINE' data entry form. The form fields include:

- Home/ Institutional: Home (radio button selected)
- From Date (Isolation Start Date) and To Date (Isolation End Date) with calendar icons
- Gender: Male, Female, Transgender (radio buttons)
- Full Name and Date of Birth with calendar icons
- Age
- Rural/ Urban: Rural (radio button selected)
- State: RAJASTHAN
- District: SELECT DISTRICT
- Tehsil: TESHLI
- Block/ City: BHILWARA
- Village/ Ward Name: BHILWARA
- Address: BHILWARA

A note at the bottom left specifies: "NOTE:
1. If person is from same District of Rajasthan state, then his/ her Residence LONGITUDE/ LATITUDE is to be entered.
2. If person is from other District of Rajasthan state, then his/ her Residence LONGITUDE/ LATITUDE is to be entered.
3. For all other cases, Hospital/ Center's LONGITUDE/ LATITUDE is to be entered.
4. Special characters are not allowed in LONGITUDE/ LATITUDE".

The footer states: "Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan. Remaining Characters: 490/499".

 COVID19 STATISTICS
Government of Rajasthan

FORM-4 : DETAILS OF PERSONS IN HOME/ INSTITUTIONAL QUARANTINE

3. For all other cases, Hospital/ Centre's LONGITUDE/ LATITUDE is to be entered.
4. Special characters are not allowed in LONGITUDE/ LATITUDE.
5. Value of LONGITUDE should be between 69 and 79.
6. Value of LATITUDE should be between 23 and 31.

Latitude (Residence/ Hospital/ Centre) *

Longitude (Residence/ Hospital/ Centre) *

Mobile No. *

Reason for Quarantine *

Source State *

Date of arrival *

Migration (Within India)

Select State

Submit

Cancel

DETAILS OF PERSONS LIST

Please Search Date: To Date: 07/05/2020 Search Q

Show: 5 entries



This designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

END OF DOCUMENT

कार्यालय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीदेवगढ़ (राजसमन्द)
क्रमांक / पीईईओ / कोरोना / 2020 / दिनांक :—
—:आदेश:—

वास्ते:—

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि उपखण्ड क्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) से संक्रमण फैलने के मध्य नजर संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य तथा इसके पीछे लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों में जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द द्वारा जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत निशेधाज्ञा जारी कि गई है। अतः कोरोना वायरस से संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए आप से यह उम्मीद की जाती है कि :—

1. आप अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे।
2. आप अपने घर में घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए परिवार की खुशी के खातिर अपने आप को कमरे (अटेच लेट बाथरूम) में क्वारेटाईन अवधि तक रखेंगे तथा खाना पानी आवश्यक सामग्री एक मीटर दुरी से प्राप्त करेंगे।
3. अपने परिवारजनों से दुर से बात करते हुए उनसे सम्पर्क में नहीं आयेंगे और ऐसा करते समय मुख पर मास्क रखेंगे।
4. आप दिन में 20 बार अपने कमरे में ही निरन्तर हाथ साफ करेंगे।
5. आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों से आपस में दुर रहने और दिन में 20 बार हाथ साफ करने व अपने नाक मुह को नहीं छुने की कसम दिलायेंगे।
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉम क्वारेटाईन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां कि एडवाईजरी की पालना करें।
7. गृह संगरोध/ अलगाव की पालना नहीं करने एवं उक्त आदेश का जानबुझ कर उल्लंघन करने की दशा में राजस्थान एपेडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा 3 के अन्तर्गत धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानानुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पंचायतदेवगढ़

कार्यालय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीदेवगढ़ (राजसमन्द)
क्रमांक / पीईईओ / कोरोना / 2020 / दिनांक :—

नोबल कोरोना वायरस (कोविड 19)
यहाँ विजीट न करे
क्वारेन्टाईन अधीन आवास

दिनांक से दिनांक तक

नाम

पता

.....

.....

व्यक्तियों की संख्या:—

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा | अधिकारी
पंचायत देवगढ़

उपखण्ड प्रशासन देवगढ़ जिला राजसमन्द
नियंत्रण कक्ष नम्बर:—02904—253061

प्रवासी एवं विशेष श्रेणी परिवारों को गेहूं, चना वितरण सूचना प्रपत्र

नाम उचित मूल्य दुकानदार:-

उचित मूल्य दुकान कोड:-

स्थान :-

उपखण्ड:-

तहसील / नगरपालिका:-

क्र0स0	ग्राम पंचायत /वार्ड संख्या	राशनकार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम	आधार संख्या	जनआधार संख्या	मोबाइल न0	प्राप्त गेहूं की मात्रा (किग्रा में)	प्राप्त चने की मात्रा (किग्रा में)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 8, सोमवार, शाके 1942-जून 29, 2020
Asadha 8, Monday, Saka 1942-June 29, 2020

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-5) विभाग

आदेश

जयपुर, जून 29, 2020

संख्या एफ.9(16)गृह-5/2020:-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 01) की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के द्वारा प्रदत्त निम्न निर्देश।

"3. अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए होम क्वारनटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारनटीन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जायेगा। इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच की जायेगी।"

को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

3508

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



राजस्थान राजपत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 8, सोमवार, शाके 1942-जून 29, 2020

Asadha 8, Monday, Saka 1942-June 29, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह (गुप्त-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 29, 2020

एस.ओ. 280:-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 को प्रकाशित हुई है में तुरन्त प्रभाव से निम्न संशोधन करती हैः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्तमान क्रम संख्या 9 व प्रविष्टि को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

[संख्या एफ. 9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजीव स्वरूप

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Home (Gr.V) Department

Notification

Jaipur, June 29, 2020

S.O. 280 :-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the State Government hereby makes the following amendments, with immediate effect, in this department's even number notification dated 03.05.2020, published in Gazette vide S.O. No. 234 dated 03-05-2020, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule of the said notification, the existing serial number 9 and entries thereto shall be deleted, with immediate effect.

[No.F. 9(16) Home-5/2020]

By order of the Governor,

Rajeeva Swarup,

Additional Chief Secretary to the Government.

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME DEPARTMENT**

No.F.33(2)Home/Gr.9/2019

Dated: 29:06:2020

ORDER

The following Orders issued earlier pertaining to mandatory quarantine are hereby withdrawn with immediate effect:


1. Order number IT WAR ROOM / SPL-11 dated 11-05-2020 : Constitution of District level teams for monitoring of CQAS.
2. Order of even number dated 24-05-2020 : Guidelines for Passengers Arriving by Domestic Flights from outside the State.

However, it is advised that all persons who are returning back to the State from other States voluntarily undergo home quarantine for a period of 14 days in the interest of their family members and others.


(Rajeeva Swarup)
Additional Chief Secretary

Copy for information / necessary action to the following:-

1. Principal Secretary to Chief Minister
2. Deputy Secretary to CS
3. Director General of Police
4. Additional Chief Secretary, PWD
5. Additional Chief Secretary, Industries
6. Additional Chief Secretary, Medical & Health
7. All Divisional Commissioners
8. All Range IG/DIGs
9. Commissioner Police, Jaipur/Jodhpur
10. All Collectors and District Magistrates
11. All Distt. Superintendents of Police/DCPs of Jaipur/Jodhpur
12. D.I.P.R.


(P.C. Berwal)
Special Secretary to Government

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक : 30-06-2020

आदेश

विषय :— अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020) के कियान्वयन आदेश।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 29.6.2020 द्वारा कन्टेनमेन्ट जॉन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेद्ध 31 जुलाई, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

तदनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन / अनलॉक-2 के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाइन जारी की जाती है :—

A. कन्टेनमेन्ट जोन्स / कर्फ्यू क्षेत्र
(Containment Zones / Curfew areas)

ये वह क्षेत्र हैं जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्र की उपयुक्त चिन्हित कर वैबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

इन गाईडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेनमेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेनमेन्ट जॉन के बाहर बफर जॉन की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिये गतिविधियों पर प्रतिबन्धों, जो आवश्यक हों, का निर्धारण करेंगे।

B. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध
(Restriction Under Section 144 CrPC):

रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

- (a) पुलिस / जिला प्रशासन / सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं।
- (b) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा / पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय / निजी)।
- (c) IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ।
- (d) औद्योगिक इकाईयां / निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं।
- (f) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।
- (g) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ।
- (h) राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन।
- (i) एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेंड से व्यक्तियों के घर / गन्तव्य स्थान तक आवागमन।
- (j) ट्रक / माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।

C. नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियां
(Negative List / Prohibited Activities)

सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

- i. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों के लिये अन्राष्ट्रीय हवाई यात्राएँ।
- ii. मैट्रो रेल सेवाएँ।
- iii. सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जूलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जूलाई, 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करेंगे।
- iv. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेन्ट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वकृति प्रदान की गयी है, के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
- v. शहरी / नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहाँ लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिये बन्द रहेंगे।

Br

vi. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / अकादमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएँ एवं बड़े सामूहिक आयोजन।
तथापि,

(a) विवाह संबंधी आयोजन, आयोजकों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

- (1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
- (2) कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

(b) अन्त्येष्टी / अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

D. सामान्य सुरक्षा सावधानियां (Common Safety Prescriptions)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा :

- (1) मुँह को ढकना (Face Covering) : सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट “दो गज की दूरी” बनाये रखेगा।
- (3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनेटाईंजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं:

- (1) घर से कार्य (WFH) : जहाँ तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए।

- (2) कार्य / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना : कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)।
- (3) जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene): सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (4) बार-बार सेनेटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) आरोग्य सेतु : सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- (7) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर संघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

3. भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory for Vulnerable People)

- (1) भेद्य व्यक्तियों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सँरुगण्ठा परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

E. अनुमत गतिविधियां (Permitted Activities) :

समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 द्वारा संशोधित अनुमत सभी गतिविधियां, तथापि जो नकारात्मक सूची / निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं हैं, वे उपरोक्त आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों / सावधानियों के साथ जारी रहेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1 जुलाई 2020 से निम्नांकित भी अनुमत होंगे :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मजिजद एवं गुरुद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, को 1 जुलाई, 2020 से निम्नांकित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा :
 - (1) व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अन्तराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये।
 - (2) ऐसे स्थान के अन्दर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
 - (3) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा धार्मिक स्थलों / पूजा के स्थलों के लिये दिनांक 4 जून 2020 द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिये जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी।
 - (4) धार्मिक स्थलों के लिये गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुसंशा पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो संबंधी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की जायेगी।
2. दुकानों में एक समय में 2 से अधिक (छोटी दुकानों में) या 5 से अधिक (बड़ी दुकानों में) ग्राहक, स्थान की उपलब्धता के आधार पर तथा इस शर्त पर कि ग्राहकों के मध्य उपयुक्त शारीरिक दूरी बनी रहे, प्रवेश हो सकेगा।

F. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास :

- (i) व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (ii) अन्य सभी कार्मण्यालय यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ऑला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) तथापि, अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी।
- (iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (v) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

**G सामुदायिक जागरूकता / स्वयंसेवक
(Community Awareness / Volunteers):**

1. कोविड-19 से मुकाबले हेतु अपनाये गये रोकथाम उपायों के लिये सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियों और आत्म नियमन को अपनाकर जिम्मेदार व्यवहार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या उसे नहीं अपनाना न केवल उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिये बल्कि दूसरे के लिये भी भारी हानिकारक हो सकता है। इसलिये संचार के सभी माध्यमों – प्रिन्ट और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे के माध्यम से आवश्यक ऐतिहायाती उपायों पर लोगों को शिक्षित/जागरूक करने के साथ साथ उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एक बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम जनहित में प्रारम्भ किया जावे।
2. विद्यालय / महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाईन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं, वे अपने शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये दैनिक आवश्यक आदतों के भाग के रूप में आवश्यक है। जैसे कि:
 - (a) घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस आने तक चेहरे पर मास्क / कवर पहनना।
 - (b) एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का करने का व्यवहार एवं सुनिश्चित करें।
 - (c) हाथों को साबुन एवं पानी से बार बार धोना तथा किसी सार्वजनिक सम्पर्क की सतह को जैसे दरवाजा, हैण्डल आदि को छूने के पश्चात आवश्यक रूप से हाथ धोना / सेनेटाईज़ करना।
- विद्यार्थियों को इन व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदतों को अपने परिवार के सदस्यों तथा दूसरों को भी प्रचारित/प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
3. गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्वैच्छिक और समुदाय अथवा अन्य संगठनों और समूहों को पूरे जोश के साथ इस संदेश को प्रसारित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सेवकों की सूची तैयार करे जो सुविधाजनक स्थान पर आमजन को सामाजिक दूरी के साथ साथ फेस मास्क / कवर पहनने के संबंध में लोगों को समझाइश कर सकें।

H. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।


(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल / होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराये।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—::आदेशः—

शिविरा पंचांग वर्ष : 2019–20 में प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाएं (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) लॉकडाउन के उपरान्त दिनांक : 24.06.2020 से विद्यालय स्टाफ हेतु खोली जा चुकी है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक : 30.06.2020 द्वारा राजस्थान राज्य हेतु अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020) के क्रियान्वन आदेशान्तर्गत सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रखे जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त शासकीय निर्देशों के अनुसरण में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :—

- समस्त शिक्षण संस्थाओं में 31 जुलाई, 2020 तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कक्षा शिक्षण संबंधी विद्यालयीन गतिविधियां बन्द रहेगी। विद्यार्थियों हेतु स्वयं से संबंधित प्रवेश, टी.सी., कक्षोन्नति प्रमाण-पत्र एवं अंक तालिका प्राप्त करने जैसे आवश्यक कार्यों के अलावा विद्यालय आवागमन निषेध रहेगा।
- उक्त अवधि में विद्यालय के समस्त कार्मिक कार्यदिवसों में विद्यालय संचालन समय के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं इस दौरान विद्यालय से संबंधित विभिन्न आवश्यक कार्य संपादन के साथ-साथ लंबित कार्यों का निष्पादन भी सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभिन्न करणीय कार्यों का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22473/मिड-डे-मील/2018 दिनांक : 19.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि के दौरान का खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) कक्षा- 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना तथा उक्तानुरूप स्टॉक रजिस्टर का मिलान एवं अद्यतन संधारण।
2. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा-स/पर्यावरण/2017/91 दिनांक : 25.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप समस्त विद्यालयों में “पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना” निर्माण तथा वर्षांत्रितु के आगमन को देखते हुए विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य।
3. विद्यालय में समन्वित / समीपवर्ती / कैचमेट एरिया में स्थित आंगनबाड़ियों से संपर्क कर कक्षा-1 में प्रवेश योग्य विद्यार्थियों के नव-प्रवेश तथा विगत वर्ष विभिन्न कक्षाओं में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का विद्यालय में पुनर्नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु दिनांक : 01 से 15 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा कैचमेट एरिया में विद्यालय प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय में आयु के अनुरूप प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा।
4. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा-मा/माध्य/शालादर्पण/60304(2)/2016-17/198 दिनांक : 22.06.2020 द्वारा विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न मॉड्यूल्स में वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि के संबंध में शाला दर्पण प्रभारी के साथ अन्य कार्मिकों / शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्देशानुरूप संस्था प्रधान द्वारा संबंधित प्रभारी गण एवं शाला दर्पण प्रभारी के मार्फत विभिन्न प्रपत्रों तथा मॉड्यूल्स में विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों की अद्यतन पूर्ति का कार्य उक्त अवधि के दौरान संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. इस दौरान ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं पूर्व से संचालित स्मार्टल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऑनलाईन शिक्षण गतिविधियां पूर्ववत् संचालित रहेगी।

6. इस अवधि में विद्यालय में सत्र : 2019-20 के दौरान अध्ययनरत रहे कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र तथा कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र के साथ अंक तालिका का वितरण आवश्यक रूप से कर दिया जाए।
7. इस अवधि में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित समर्त शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करते हुए प्रशिक्षण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
8. उक्त अवधि में बोर्ड परीक्षा उत्तर पुरितका मूल्यांकन संबंधी समर्त कार्यों में संबंधित संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।
9. विगत सत्र में किए गए भुगतानों से संबंधित आहरण एवं वितरण रजिस्टर का ऑनलाईन विलों से मिलान एवं पै-पोर्टिंग रजिस्टर में इन्द्राज की कार्यवाही का सत्यापन।
10. विद्यालय के समर्त कार्मिकों की सेवा पुरितकाओं का अद्यतन संधारण एवं लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के निरतारण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
11. विद्यालय योजना निर्माण तथा उसकी समीक्षा।
12. विद्यालय की विभिन्न रोकड़ पुस्तिकाओं (यथा— राजकीय रोकड़
13. / विद्यार्थी कोप/ एसडीएमसी/ एसएमसी) के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन।
14. विद्यालय के लंबित अंकेक्षण आक्षेपों की पालना एवं पूर्ति की सुनिश्चितता।
15. विद्यार्थियों से संबंधित एस.आर. रजिस्टर का अद्यतन संधारण।

उपर्युक्त निर्देशों की समर्त संबंधितों द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :— ३०.०६.२०२०

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/विधिध दिवस/2018/236

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी संघिव, शासन संघिव, रक्तूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, रक्तूल शिक्षा एवं राजस्थान रक्तूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन संघिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल रॉपटर्स रक्तूल बीकानेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. समर्त संभागीय रायुक्त निदेशक, रक्तूल शिक्षा।
9. समर्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समर्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक/प्रारंभिक।
11. समर्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. समर्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संरक्षा प्रधान को निर्देशों की पालना एवं क्रियान्वयित हेतु
समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
13. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

Email Id - deomdmudaipur@gmail.com & deo_udr@yahoo.in



क्रमांक : जिशिअ / मु.प्रा. / उदय / एमडीएम / खाद्यान्न / उ.वि.आ. / 2020-21 / ५०३ दिनांक : २२/०६/२० २०

:: कार्यालय आदेश ::

आयुक्त, मिड-डे-मील, राजस्थान-जयपुर के पत्र क्रमांक एफ ४(142)प्रा.शि./एमडीएम/FCI/खाद्यान्न/उविआ/पार्ट/2020-21/51 दिनांक 10.06.2020 द्वारा कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है। विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु निम्नानुसार आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं :—

1. खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) उदयपुर, खण्ड स्तर पर सम्बन्धित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो खाद्यान्न वितरण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्तालय मिड-डे-मील को खाद्यान्न वितरण के संबंध में अद्यतन रिस्थिति से अवगत् करायेंगे तथा जिला/खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य संपादित करेंगे।
3. ग्राम स्तर पर संचालित विद्यालयों में पीईईओं एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को खाद्यान्न वितरण की सुनिश्चितता करेंगे।
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखते हुए खाद्यान्न का वितरण करेंगे।
5. जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण विद्यालयवार खाद्यान्न की आवश्यकता की सूची के अनुसार आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा) विद्यालयवार खाद्यान्न की आवश्यकता की सूची जिला रसद अधिकारी उदयपुर को प्रस्तुत करेंगे।
6. खाद्यान्न का वितरण विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को दिनांक 25.06.2020 से पूर्व किया जावें।
7. खाद्यान्न का वितरण विद्यालय के माता-पिता/अभिभावकों को पूर्व दिनांक एवं समय के संबंध में सूचित करेंगे।
8. कोविड-19 के कारण बन्द रहने की अवधि में दिनांक 14.03.2020 से 16.05.2020 तक की अवधि में (49 दिन) व ग्रीष्मावकाश की अवधि दिनांक 17.05.2020 से 30.06.2020 तक (45 दिन) कुल 94 दिन का खाद्यान्न मिड-डे-मील योजना से लाभान्वित राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को विद्यालयों में

- कक्षावार वितरित किया जायेगा, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार 94 दिवस के लिये 9 किलो 400 ग्राम खाद्यान्न प्रत्येक छात्र/छात्रा एवं कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार कुल 94 दिवस के लिये 14 किलो 100 ग्राम खाद्यान्न प्रत्येक छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों को वितरित किया जावेगा।
9. विद्यालय जिनमें स्वयंसेवी/स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते हैं, उन समस्त विद्यालयों में संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूह उनके यहा उपलब्ध खाद्यान्न संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे। स्वयंसेवी संस्था/स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को विद्यालय में वितरित किया जायेगा।
 10. विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रिकार्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किये जावेंगे। संबंधित प्रभारी एवं संस्थाप्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रभाणित कर पीईईओं को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति निम्न प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
- | क्र. सं. | नाम विद्यार्थी | माता-पिता/अभिभावक का नाम | कक्षा | खाद्यान्न की मात्रा | | | खाद्यान्न प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर | दिनांक |
|----------|----------------|--------------------------|-------|---------------------|------|-----|-------------------------------------|--------|
| | | | | गेहूं | चावल | योग | | |
| | | | | | | | | |
11. संबंधित पीईईओं खाद्यान्न वितरण की सूचना प्रत्येक दिवस को अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओं से प्राप्त सूचना का इकजाई कर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर को उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा सूचना को समेकित कर राज्य स्तर पर भिजवायेंगे। समस्त जिला/खण्ड/ग्राम स्तर पर के नोडल अधिकारी खाद्यान्न वितरण का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण होने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) द्वारा निम्न प्रपत्र में समेकित सूचना दिनांक 25.06.2020 को आयुक्तालय भिजवायेंगे।
 12. खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के समय विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं बुलाया जावें। खाद्यान्न विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को उपलब्ध कराया जायेगा। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा पहचान के रूप में स्वयं विद्यार्थी का वैद्य पहचान पत्र साथ लेकर आयेंगे।
 13. विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण पोषहार प्रभारी एवं संस्थाप्रधान अपनी देख-रेख में करेंगे। इस हेतु रथानीय अध्यापक का सहयोग लिया जा सकता है, ताकि खाद्यान्न वितरण में सुविधा हो सकें।
 14. कोविड-19 के कारण कफर्युग्रस्त क्षेत्र में संचालित विद्यालयों/संस्थाओं में जिला प्रशासन/रथानीय प्रशासन के तिर्देशानुसार ही खाद्यान्न वितरण किया जावें।

15. खाद्यान्न की आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा मांग पत्र आयुक्तालय, मिड-डे-मील को भेजवायेगें, ताकि भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त किया जा सके।
16. खाद्यान्न वितरण के समय अध्यापक / कार्मिक मास्क हेण्डगल्ब्ज पहन कर रखेंगे तथा वार-वार साबुन से हाथ धोते रहेंगे।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक द्वारा सभी विद्यालय दिनांक 15.06.2020 से खुले रहने एवं पोषाहार प्रभारी का विद्यालय में उपरिथित सुनिश्चित की जावे जिससे विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित ना होवे सुलभ संदर्भ हेतु आयुक्त, मिड-डे-मील के उक्त पत्र दिनांक 10.06.2020 की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्तानुसार सभी संबंधित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

(आनन्दी)

IAS

जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय, मिड-डे-मील, राजस्थान-जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय समस्त जिला उदयपुर।
4. जिला रसद अधिकारी, रसद विभाग, उदयपुर।
5. तहसीलदार, पंचायत समिति समस्त उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारम्भिक, उदयपुर।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि खाद्यान्न के सुव्यवस्थित ढंग से वितरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही सम्पादित करावें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
उदयपुर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा / माध्य / मा-स / निशुसेनै / 2016-19 / । ५८

दिनांक: ०२/०७/२०२०

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषय :- लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्राओं को सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग :- शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प. 14(2) शिक्षा-1 / 2019 दिनांक 11.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर से प्राप्त पत्र के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण संबंधित योजना एवं कानून की निगरानी के लिये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत वैधायी संस्था के रूप में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

राजस्थान में कक्षा 6 से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाये जाते हैं एवं स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों एवं महिलाओं को आंगनबाड़ी के सहयोग से नेपकिन उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द हैं जिससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सैनेटरी नेपकिन की अनुपलब्धता के कारण युवतियों एवं किशोरियों को माहवारी के दौरान खारेज संबंधी खतरा बना रहता है।

उक्त क्रम में लेख है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिड-डे-मील के अनुरूप लॉक डाउन के समय सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें। यदि सैनेटरी नेपकिन की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सैनेटरी नेपकिन के वितरण की व्यवस्था करावें।

66
(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
02. संयुक्त सचिव राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान जयपुर
03. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन बाबत।
04. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक।
05. रक्षित पत्रावली।

66
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर